[ 2020 ] 7 एस सी आर 180

अर्जुन पंतराव खोडकर

वी.

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा।

( सिविल अपील सं। 20825-20826 2017 का)

14 जुलाई, 2020

[ आर. एफ. नरीमन, एस. रवींद्र भाट और

वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

साक्षय अधिनियम, 1872। 3 , 22 ए, 45 ए, 61-65,65 ए, 65 बी, 136 एस की व्याख्या। 65 बी-इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड-की स्वीकार्यता - अपीलार्थी के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई कि निर्धारित समय के बाद उनके नामांकन पत्र दाखिल किए जाने चाहिए थेअस्वीकार कर दिया गया-उत्तरदाताओं ने निर्वाचन अधिकारी (आरओ) के कार्यालय की वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग पर भरोसा किया-वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गईनिर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना धारा 65-बी (4)-तथापि, मौखिक आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा साक्षय में स्वीकार किया गयाप्रतिपरीक्षा में आर. ओ. का साक्षय-अपीलार्थी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया-यह कहते हुए कि अनवर पी. वी. बनाम को ध्यान में रखते हुए तीन न्यायाधीशों को संदर्भित किया गया। पी. के. बशीर और अन्य। [ 2014 ] 11 एस. सी. आर. 399 (तीन न्यायाधीशों की पीठ), शफी मोहम्मद बनाम मामले में खंड पीठ का निर्णय। की स्थितिहिमाचल प्रदेश (2018) 2 एस. सी. सी. 801 पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है-आयोजितः प्रति आर. एफ. नरीमन, जे. (अपने लिए, एस. रवींद्र भट और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.) एसएस के विशेष प्रावधान। 65 ए और 65 बी अपने आप में एक पूर्ण कोड हैं जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी के साक्षय की स्वीकार्यता की बात आती है-एक लिखित प्रमाण पत्र यू / s.65B (4) इस तरह के साक्षय की स्वीकार्यता के लिए एक अनिवार्य शर्त है-ऐसे प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्षय पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। 65 बी (4) अनिवार्य है-हालांकि, तथ्यों पर, आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने वाले उत्तरदाताओं को अनिवार्य दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है-इसके अलावा,इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अन्य साक्षयों पर भी भरोसा किया गया था-विवादित निर्णय में कोई गलती नहीं है। s.65B (4) अनावश्यक है यदि मूल दस्तावेज़ स्वयं प्रस्तुत किया जाता है-अनवर पी. वी., जैसा कि स्पष्ट किया गया है, एस पर कानून है। 65 बी-शफी मोहम्मद और निर्णय डीटीडी। 03.04.18 रिपोर्ट किए गए [2018] 3 एस. सी. आर. 1096 को खारिज कर दिया गया है-वी. रामसुब्रमण्यन जे. (पूरक) दुनिया के प्रमुख अधिकार क्षेत्र आ गए हैं प्रौद्योगिकी के विकास के साथ शर्तें और उनके कानूनों को ठीक-ठीक करना-एस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। 65 बी-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एस। 2 ( i), (जे), (एल), (ओ), (आर) और (टी)-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-क़ानूनों की व्याख्या-नागरिक

साक्षय अधिनियम,1968 ( यूके)-एसएस। 5 , धारा 6 (1)-सिविल साक्षय अधिनियम, 1995 (यू. के.)-एस. एस. 8 , 9 , 13 और 15 (2)-आपराधिक कानून।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 - s.67C-आयोजित: जनरल सेलुलर कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए निर्देशों का इलेक्ट्रॉनिक साक्षय से निपटने वाली अदालतों द्वारा नियमों और निर्देशों तक पालन किया जाएगा। धारा 67 (सी) को दूरसंचार और सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन के लिए तैयार किया गया है-साक्षय अधिनियम, 1872-एस. एस. 39 , 45 ए और 65 बी।

साक्षय अधिनियम, 1872 - s.65B-पीछे की कटुता-कारण-आयोजित: पर वी. रामसुब्रमण्यन जे. (पूरक) एस। 65 बी (1) शुरू होता है अन्य प्रावधानों के अनुप्रयोग को छोड़कर एक गैर-अवरोधक खंड के साथ और प्रमाणन को एक पूर्व शर्त बनाता हैस्वीकार्यता-पहली चेक पोस्ट के रूप में ऐसी स्वीकार्यता, युग्मितइस तथ्य के साथ कि कई 'कंप्यूटर सिस्टम' (एस में परिभाषित)। 2 ( 1 ) , 2000 अधिनियम) विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व में, इसमें शामिल हो सकता है '(एस में परिभाषित) प्रवर्तक के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उत्पादन। 2 ( ज़ा), 2000 अधिनियम) प्राप्तकर्ताओं या भागीदारों से अलग होने के कारण, एस के पीछे बहुत कड़वाहट पैदा हुई है। 65 बी-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000-ss. 2 ( एल), (जेडए)-साक्षय के संघीय नियम (यूएसए)-आरआर। 901 , 902 – यूके सिविल साक्षय अधिनियम, 1968 - एस. 5-सिविल साक्षय अधिनियम,1995 ( यूके)-पुलिस और आपराधिक साक्षय अधिनियम, 1984 (यूके) - धारा 69-युवा न्याय और आपराधिक साक्षय अधिनियम, 1999। 60 - कनाडासाक्षय अधिनियम, 1985 की धारा 31.1-31.3,31.5 और 31.6।

साक्षय अधिनियम, 1872 - s.65B (4)-जब अनावश्यक हो-चर्चा के तहत प्रमाण पत्र।

साक्षय अधिनियम, 1872-ss. 65 बी (2) (ए) से (डी) और 65 बी (4) के तहत उल्लिखित शर्तें-आयोजित: उप में उल्लिखित शर्तें एस की धारा 2 (ए) से 2 (डी)। 65 बी को संचयी रूप से संतुष्ट किया जाना चाहिए-इसके अलावा, उप-धारा (4) में उल्लिखित शर्तें भी संचयी हैं।

साक्षय अधिनियम, 1872 - s.65B (1)-गैर-बाध्यकारी खंड-चर्चा का उद्देश्य।

अधिकतम-लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया; नपुंसकता बहाना कानून-चर्चा-साक्षय अधिनियम, 1872 का अनुप्रयोग - s.65B (4)।

साक्षय अधिनियम, 1872 - s.65B (4)-स्तर के तहत प्रमाण पत्र उत्पादन-आयोजित: जब तक किसी मुकदमे में सुनवाई अभी खत्म नहीं हुई है, तब तक न्यायाधीश द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है।किसी भी स्तर पर-आपराधिक कानून-आपराधिक मुकदमा-स्वीकार करने का चरण साक्षय-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 91 , 207 , 311 .

चीजें-"कोई भी" का अर्थ संदर्भ को देखते हुए "सभी" हो सकता है-क़ानून साक्षय अधिनियम, 1872 की व्याख्या। 65 बी (4)।

साक्षय अधिनियम, 1872-ss. 65 बी (4), 165-उन व्यक्तियों की अक्षमता के उत्पादन के तहत प्रमाण पत्र जिनके कब्जे में नहीं है: शफी मोहम्मद बनाम का प्रमुख आधार। हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 2

एस. सी. सी. 801 कि ऐसा प्रमाणपत्र व्यक्तियों द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, वे पूरी तरह से गलत हैं। - अपेक्षित व्यक्ति यू/से इस तरह के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के लिएहमेशा एक न्यायाधीश को आवेदन किया जा सकता है। s.65B (4) में मामलों में जिसे ऐसा व्यक्ति देने से इनकार कर देता है-सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 – Or.XVI-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - एस. 91.

साक्षय अधिनियम, 1872 - s.65B (1)-काल्पनिक कल्पना-ऑपरेशन आयोजित किया गया: उप-एस। ( 1 ) एस. 65 बी एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होता है और फिर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी का उल्लेख करता है। एक कंप्यूटर द्वारा निर्मित, जिसे एक काल्पनिक कथा द्वारा "दस्तावेज़" बनाया जाता है-यह काल्पनिक कथा केवल तभी प्रभावी होती है जब आगे खंड में उल्लिखित शर्तें दोनों के संबंध में संतुष्ट हैं जानकारी और विचाराधीन कंप्यूटर-यदि ऐसी स्थितियाँ हैं "दस्तावेज़" तब किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - s.100 (1) (d) (i)-आयोजित: जहाँ वह व्यक्ति जिसका नामांकन अनुचित रूप से स्वीकार किया गया है।क्या स्वयं लौटाया गया उम्मीदवार है, निष्कर्ष यह होना चाहिए किचुनाव का परिणाम "भौतिक रूप से प्रभावित" होगा, इसके बिनाअभिवचन करने और उसे साबित करने की कोई आवश्यकता होना।

संदर्भ का जवाब देना और अपीलों को खारिज करना खर्च, अदालत

पकड़ना: प्रति आर. एफ. नरीमन, जे. (अपने लिए, एस. रवींद्र भट और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.)

1.1 साक्षय अधिनियम की धारा 65 ए और 65 बी की विषय वस्तु इलेक्ट्रॉनिक में निहित जानकारी का प्रमाण है।अभिलेख। धारा 65 ए के सीमांत नोट से संकेत मिलता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित साक्षय के रूप में "विशेष प्रावधान" इस प्रावधान में निर्धारित किए गए हैं। धारा 65 बी का सीमांत नोट तब "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता" को संदर्भित करता है। धारा 65 बी (1) एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ खुलती है, और यह स्पष्ट करती है कि कोई भी जानकारी जो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित है जो एक कागज पर मुद्रित होती है, संग्रहीत, रिकॉर्ड की जाती है या ऑप्टिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिलिपि की जाती है।

कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत चुंबकीय माध्यम को एक दस्तावेज माना जाएगा, और मूल की सामग्री या उसमें बताए गए किसी भी तथ्य के साक्षय के रूप में मूल के उत्पादन के आगे के प्रमाण के बिना किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगा, जिसमें प्रत्यक्ष साक्षय स्वीकार्य होगा। डीमिंग फिक्शन का कारण यह है कि साक्षय अधिनियम की धारा 3 द्वारा परिभाषित "दस्तावेज़" में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं हैं। धारा 65 बी (2) तब उन शर्तों को संदर्भित करती है जो कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में संतुष्ट होनी चाहिए, और बताती है कि परीक्षण में शामिल होने के लिए शर्त 65 बी (2 (ए)) से 65 (2 (डी)) यह है कि कंप्यूटर का उपयोग नियमित रूप से गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए जानकारी को संग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए किया जाता है। विचाराधीन अवधि में नियमित रूप से जारी रखा गया। उप-धारा 2 (ए) से 2 (डी) में उल्लिखित शर्तों को संचयी रूप से पूरा किया जाना चाहिए। [ पारस 20-22] [209-A-E]

1.2 उप-धारा (4) के तहत, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है जो बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करता है औरजिस तरीके से इसका उत्पादन किया जाता है उसका वर्णन करता है, या विवरण देता है।इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उत्पादन में शामिल उपकरण का यह दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक कंप्यूटर द्वारा बनाया गया था,किसी जिम्मेदार आधिकारिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा संबंधित उपकरण के संचालन के संबंध में; या एक व्यक्ति जो "प्रासंगिक गतिविधियों" के प्रबंधन में है-जो भी उपयुक्त हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह पर्याप्त होगा।ताकि इस तरह के मामले को "इसे बताने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार" कहा जा सके। यहाँ, "निम्नलिखित में से कोई भी काम करना". को निम्नलिखित सभी चीजों को करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संदर्भ को देखते हुए "कोई भी" अभिव्यक्ति का अर्थ "सभी" हो सकता है। यह मामला होने के कारण, में उल्लिखित शर्तेंउप-धारा (4) की व्याख्या भी संचयी के रूप में की जानी चाहिए। [ पैरा 23] [209-ई-जी; 210-ए]

बंसीलाल अग्रवाल बनाम। बिहार राज्य [1962] 1 एस. सी. आर. 33; ओम प्रकाश बनाम। भारत संघ (2010) 4 एससीसी 17: [ 2010 ]2 एस. सी. आर. 447-निर्भर।

1.3 धारा 65 बी की उप-धारा (1) एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है, और फिर जानकारी का उल्लेख करती है। एक कंप्यूटर द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित, जोएक काल्पनिक कल्पना द्वारा, फिर एक "दस्तावेज़" बनाया जाता है। यह काल्पनिक धारणा केवल तभी प्रभावी होती है जब धारा में उल्लिखित आगे की शर्तें संबंधित जानकारी और कंप्यूटर दोनों के संबंध में संतुष्ट होती हैं और यदि ऐसी शर्तें पूरी होती हैं, तो "दस्तावेज़" तब किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगा। द.".। उप-धारा (1) में गैर-वांछनीय खंड यह स्पष्ट करता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी की बात आती है, तो उसकी स्वीकार्यता और प्रमाण धारा 65 बी के अभ्यास का पालन करना चाहिए, जो इस उद्देश्य के लिए धारा 62 से 65 तक का एक विशेष प्रावधान है जो अप्रासंगिक है। हालांकि,धारा 65 बी (1) स्पष्ट रूप से "मूल" दस्तावेज़ के बीच अंतर करती है-जो मूल "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" होगा।"कंप्यूटर" में निहित है जिसमें मूल जानकारी पहले संग्रहीत की जाती है-और ऐसी जानकारी वाले कंप्यूटर आउटपुट, जिसे तब "मूल" दस्तावेज़ की सामग्री के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है। यह सब अनिवार्य रूप से दर्शाता है कि धारा 65 बी स्वयं "कंप्यूटर" में निहित मूल जानकारी और उसके द्वारा बनाई गई प्रतियों के बीच अंतर करती है, जिसमें पहला प्राथमिक साक्ष्य है और दूसरा द्वितीयक साक्ष्य है। [ पैरा 30,31] [220-जी-एच; 221-ए-डी]

1.4 अनवर पी. वी. में इस प्रकार घोषित कानून के बावजूद, जिसमें इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 65 ए के विशेष प्रावधानऔर साक्ष्य अधिनियम का 65 बी अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जब सूचना के साक्ष्य की स्वीकार्यता की बात आती है।इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में निहित है, और यह भी कि धारा 65 बी (4) के तहत एक लिखित प्रमाण पत्र ऐसे अर्जुन पंडितराव खोकर बनाम की स्वीकार्यता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। सबूत, एक असंगत नोट जल्द ही टोमासो ब्रूनो में मारा गया था। अनवर पी. वी. के फैसले का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया था। वास्तव में, राज्य बनाम में निर्णय। नवजोत संधू (2005) 11 एस. सी. सी. 600 का विज्ञापन किया गया था, जिसे विशेष रूप से अनवर पी. वी. द्वारा खारिज कर दिया गया था। धारा 65 बी (4) को भी इस फैसले द्वारा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया

था। इसलिए, नवजोत के बाद टोमासो ब्रूनो में कानून की घोषणासंधू ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को स्वीकार्य बनाने के लिए साक्षय अधिनियम की धारा 65 के तहत किसी दस्तावेज की सामग्री का द्वितीयक साक्षय भी अनवर पी. वी. के हाथों में होगा।और इसे कानून का सही कथन नहीं कहा जा सकता है।

तदनुसार उक्त दृष्टिकोण को खारिज कर दिया जाता है। [ पैरा 34,35] [222-जी; 223-ए-बी; 224-बी-सी]टोमासो ब्रूनो और एनर। वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2015)7 एससीसी 178: [ 2015 ] 1 एस. सी. आर. 721-खारिज।

1.5 इस तथ्य के अलावा कि शफी मोहम्मद में निर्णय कानून को गलत तरीके से बताता है और कानून के नियमों में है। टोमासो ब्रूनो में निर्णय के बाद अनवर पी. वी. में निर्णय जिसे ऊपर दिए गए तथ्यों के अनुसार माना गया है -जिस पक्ष के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, उसके द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में कठिनाई का अंतर्निहित तर्क भी है पूरी तरह से गलत। वास्तव में, साक्षय अधिनियम की धारा 165 एक न्यायाधीश को प्रासंगिक तथ्यों की खोज या प्रमाण प्राप्त करने के लिए किसी भी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने का आदेश देने का अधिकार देती है। इसी तरह, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के तहत, जो 'गवाहों को बुलाने और उनकी उपस्थिति' से संबंधित है, न्यायालय दस्तावेजों को पेश करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। इसी तरह, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में, न्यायाधीश संचालन करते हुएआपराधिक मुकदमे को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शफी मोहम्मद का प्रमुख आधार है कि इस तरह के प्रमाण पत्र को व्यक्तियों द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता है

जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, वे पूरी तरह से गलत हैं। धारा 65 बी (4) के तहत अपेक्षित व्यक्ति से इस तरह के प्रमाण पत्र को पेश करने के लिए न्यायाधीश को हमेशा आवेदन किया जा सकता है, उन मामलों में जिनमें ऐसा व्यक्ति इसे देने से इनकार करता है। [ पारस 39-43] [228-C-E; 229-B; 230-C; 239-C]

1.6 वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि उत्तरदाताओं द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, दोनों उच्च न्यायालय और अन्यथा, धारा 65बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों से साक्षय अधिनियम, फिर भी संबंधित अधिकारियों ने जानबूझकर इनकार कर दिया, किसी बहाने या अन्य, ऐसा प्रमाण पत्र देने के लिए। वास्तव में-ऐसी परिस्थिति में जहां संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है, और व्यक्ति या प्राधिकारी या तो ऐसा प्रमाण पत्र देने से इनकार कर देता है, या ऐसी मांग का जवाब नहीं देता है, ऐसे प्रमाण पत्र के लिए पूछने वाला पक्ष इसके लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। साक्षय अधिनियम, सी. पी. सी. या सी. आर. पी. सी. के उपरोक्त प्रावधानों के तहत उत्पादन। एक बार जब न्यायालय में ऐसा आवेदन किया जाता है, और न्यायालय तब आदेश या निर्देश देता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाए जिसे वह ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समन भेजता है, तो प्रमाण पत्र मांगने वाले पक्ष ने आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वह सब किया है जो वह संभवतः कर सकता है। इस स्तर पर दो लैटिन सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला है लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया यानी कानून असंभव की मांग नहीं करता है, और नपुंसकता माफी

कानून यानी जब एक हैअक्षमता जो कानून का पालन करना असंभव बनाती है, कानून की कथित अवज्ञा को माफ कर दिया जाता है। वर्तमान मामले में उपरोक्त अधिकतम के आवेदन पर, यह स्पष्ट है कि हालांकि धारा 65 बी (4) अनिवार्य है, फिर भी, इस मामले के तथ्यों पर, प्रत्यर्थियों ने प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया है आवश्यक प्रमाणपत्र, जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिया जाना था, जिस पर प्रत्यर्थियों का कोई नियंत्रण नहीं था, को उक्त उप-धारा में निहित अनिवार्य दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए।[ पैरा 45,49] [232-ई-एच; 236-सी-डी]

रीः राष्ट्रपति चुनाव (1974) 2 एस. सी. सी. 33; चंद्राकिशोर झा बनाम। महावीर प्रसाद और अन्य। ( 1999 ) 8 एससीसी 266: [ 1999 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 754; 2002 (2002) का विशेष संदर्भ 1 8 एस. सी. सी. 237: [ 2002 ] 3 पूरक। एससीआर 366; राज कुमार यादव बनाम। समीर कुमार महासेठ और अन्य। ( 2005 ) 3 एससीसी 601: [ 2005 ] 2 एस. सी. आर. 670-पर निर्भर।

2.1 धारा 65 बी उस चरण की बात नहीं करती है जिस पर इस तरह के प्रमाण पत्र को न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनवर पी. वी. में, यहअदालत ने कहा कि इस तरह के प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जब साक्षय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा उन मामलों में होता है जहां इस तरह के प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर भरोसा करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, इसमेंऐसे मामले जहां या तो दोषपूर्ण प्रमाण पत्र दिया जाता है, या ऐसे मामलों में जहां अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम।जहां इस तरह के प्रमाण पत्र की मांग की गई है और संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया है, वहां मुकदमे का संचालन करने वाले न्यायाधीश कोसाक्षय अधिनियम की धारा 65 बी (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों को समन करें और यह अपेक्षा करें कि ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दिया जाए। यह, विचारण न्यायाधीश को तब करना चाहिए जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उपरोक्त परिस्थितियों में आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना उसके सामने साक्षय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह, निश्चित रूप से, कानून के अनुसार और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर न्याय की आवश्यकताओं के अनुसार दीवानी मामलों में विवेकाधिकार का प्रयोग किए जाने के अधीन है। जब आपराधिक मुकदमों की बात आती है, तो इस सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त को उन सभी दस्तावेजों की आपूर्ति की जानी चाहिए जिन पर अभियोजन पक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा शुरू करने से पहले भरोसा करना चाहता है। आपराधिक मुकदमे में दस्तावेजी साक्षय को स्वीकार करने का चरण आरोप पत्र दाखिल करना है। जब कोई आपराधिक अदालत अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाती है, तो आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट में दर्ज किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को देनी होती हैं। सी. आर. पी. सी. की धारा 207, जो निम्नानुसार है, अनिवार्य है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक साक्षय, यानी कंप्यूटर आउटपुट, परीक्षण शुरू होने से पहले नवीनतम रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपराधिक मुकदमे में, यह माना जाता है कि जांच पूरी हो गई है और अभियोजन पक्ष ने मुकदमे की शुरुआत से पहले किसी आरोपी के खिलाफ अपना मामला ठोस कर लिया है। अभियोजन पक्ष को मुकदमे के दौरान किसी भी कमी को भरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में, अभियोजन पक्ष उन सभी दस्तावेजों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है जिन पर मुकदमा शुरू होने से पहले किसी आरोपी को भरोसा दिया जा सकता है। इस प्रकार, आपराधिक मुकदमों में अदालतों द्वारा बाद के चरण में साक्षय दायर करने की अनुमति देने में शक्ति के

प्रयोग के परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति गंभीर या अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। धाराओं के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी आवेदन की जांच करने में अदालत द्वारा पक्षों के अधिकारों के संबंध में एक संतुलन अभ्यास किया जाना चाहिए।

91 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 या साक्षय अधिनियम की धारा 165। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, और न्यायालय यह देखने के बाद विवेकाधिकार का प्रयोग करता है कि अभियुक्त निष्पक्ष मुकदमे के अभाव में पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, न्यायालय उचित मामलों में अनुमति दे सकता है -

बाद में ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन। यदि यह अभियुक्त है जो अपने बचाव के हिस्से के रूप में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो यह फिर से [2020] 7 एस. सी. आर. के न्याय पर निर्भर करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला-न्यायालय द्वारा तदनुसार विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना कानून के साथ। [ पैरा 50,52-54] [236-D-G; 237-E-F; 238-C, F; 239-A-B]

2.2 जब तक किसी मुकदमे में सुनवाई अभी खत्म नहीं हुई है, तब तक आवश्यक प्रमाण पत्र को किसी भी स्तर पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक में निहित जानकारी

अभिलेख प्रपत्र को तब स्वीकार किया जा सकता है और साक्षय में उस पर भरोसा किया जा सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि यह प्रमाण पत्र देने वाला व्यक्ति उन कई व्यक्तियों में से कोई भी हो सकता है जो संबंधित उपकरण के संचालन के संबंध में 'जिम्मेदार आधिकारिक पद' पर काबिज हैं, और वह व्यक्ति भी हो सकता है जो अन्यथा धारा 65 बी की उप-धारा (4) में उल्लिखित 'प्रासंगिक गतिविधियों के प्रबंधन' में हो सकता है। यह देखते हुए कि ऐसा प्रमाण पत्र भी लंबे समय बाद दिया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वास्तव में कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, धारा 65 बी (4) यह स्पष्ट करती है कि यह पर्याप्त है कि ऐसा व्यक्ति

"अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास" के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र देता है (जाहिर है, धारा 65 बी (4) में "ज्ञान और विश्वास के बीच" शब्द को "या" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता है।एक ही समय में अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए)। धारा 65 बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से साक्षय की स्वीकार्यता के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है, जैसा कि अनवर पी. वी. में सही ढंग से आयोजित किया गया है, और शफी मोहम्मद में गलत तरीके से "स्पष्ट" किया गया है। इस तरह के प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्षय संभवतः पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि धारा 65 बी (4) कानून की एक अनिवार्य आवश्यकता है। साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी (4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि द्वितीयक साक्षय केवल तभी स्वीकार्य है जब बताए गए

तरीके से नेतृत्व किया जाए और अन्यथा नहीं। अन्यथा अभिनिर्धारित करने से धारा 65 बी (4) अनुचित हो जाएगी। [ पारस 57-59] [243-B-G]

टेलर वी। टेलर (1876) 1 Ch. D. 426-संदर्भित।

इलेक्ट्रॉनिक कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लॉग के रिकॉर्ड को सीमित समय के लिए संरक्षित और बनाए रखने के लिए मोबाइल टेलीफोनी प्रदाता एक वर्ष की अवधि। इसलिए, यदि पुलिस या अन्य व्यक्ति (किसी भी प्रकार के मुकदमे में रुचि रखने वाले, या पक्षकार) उन अर्जुन पंद्राव खोटकार बनाम को सुरक्षित करने में विफल रहते हैं।

कैलाश कुशानराव

गोरैंटल

संभाव्यता डेटा को असत्यापित करती है। यह अभियुक्त को एक खतरनाक स्थिति में रखता है, जैसे कि, यदि अभियुक्त चाहता हैसाक्षय अधिनियम की धारा 45 ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्षय परीक्षक की राय लेकर इस प्रमाण पत्र की वास्तविकता को चुनौती देते हुए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (यानी सेवा प्रदाता के कंप्यूटर में कॉल लॉग के रूप में डेटा) गायब हो सकता है। इसे दूर करने के लिए सेलुलर कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सी. डी. आर. और अन्य रखरखाव के लिए सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं।

यदि उक्त अवधि में जांच के दौरान कोई विशेष सीडीआर या अन्य रिकॉर्ड जब्त किया जाता है तो संबंधित अवधि के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड (साक्षय अधिनियम की धारा 39 के अनुरूप) अलग और सुरक्षित तरीके से। संबंधित पक्ष तब बचाव साक्षय के स्तर पर ऐसे रिकॉर्ड को बुला सकते हैं, या यदि किसी विशेष गवाह से जिरह करने के लिए इस तरह के डेटा की आवश्यकता होती है। यह निर्देश आपराधिक मुकदमों में लागू होगा, जब तक कि लागू लाइसेंसों की प्रासंगिक शर्तों के तहत या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 सी के तहत उचित निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं। [ पैरास 61,

62 ] [ 244 - ए-एफ]

विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2019 में समाप्त हो रहा है। ऐसा होने पर, आम तौर पर, इसके गुण-दोष पर निर्णय लेना अनावश्यक होगा।मामला, क्योंकि विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। हालांकि, विवादित फैसले को पढ़ने के बाद, यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य से व्यथित थे कि चुनाव

आयोग के अधिकारियों ने खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार किया

अपीलार्थी का पक्ष लेना। इस तथ्य के बावजूद कि [2020] 7 एस. सी. आर. के अभाव में धारा 65 बी (4) के "पर्याप्त अनुपालन" का कारण दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपेक्षित प्रमाणपत्र कानून में गलत है, फिर भी, यह देखते हुए कि प्रत्यर्थी ने उपयुक्त अधिकारियों से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया था, जिसमें आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय के निर्देश भी शामिल हैं,

नामांकन को अनुचित रूप से स्वीकार कर लिया गया है, यदि स्वयं लौटे उम्मीदवार को, तो यह आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि यह निष्कर्ष यह होना चाहिए कि चुनाव का परिणाम "भौतिक रूप से प्रभावित" होगा, बिना किसी अनुरोध और साबित करने की आवश्यकता के। एक ही। राजेंद्र कुमार मेशराम में निर्णय, एक बड़ी ताकत बाध्यकारी के इन पहले के फैसलों का उल्लेख नहीं किया गया है

यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने कानून को सही ढंग से घोषित किया है। इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय इस मुद्दे पर भी अपने निष्कर्ष में सही है। [ पारस 68,71] [247-डी; 249-एच; 250-ए-सी]

राजेन्द्र कुमार मेशराम बनाम। वंशमणि प्रसाद वर्मा( 2016 ) 10 एससीसी 715 [2016] 9 एससीआर 74-आयोजित नहीं किया गया

सही कानून।

मैरेम्बम पृथ्वीराज बनाम। पुखरम शरतचंद्र सिंह

( 2017 ) 2 एससीसी 487 [2016] 9 एससीआर 687; दुरई

मुथुस्वामी बनाम। एन. नचियप्पन और अन्य। ( 1973 ) 2 एससीसी

45 [ 1974 ] 1 एस. सी. आर. 40-संदर्भित। 4. संदर्भ का उत्तर यह कहते हुए दिया जाता है कि:

टोमासो में ब्रूनो, इनक्यूरियम के अनुसार, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। इसके अलावा, एसएलपी (सी. आर. एल.) में निर्णय। 2011 का सं. 9431 शफी मोहम्मद के रूप में रिपोर्ट किया गया और निर्णय दिनांकित 03.04.2018 अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम।

कैलाश कुशानराव

गोरैंटल

(2018) 5 एस. सी. सी. 311 के रूप में सूचित, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करते हैं और इसलिए खारिज कर दिए जाते हैं।

बी। ऊपर उल्लिखित स्पष्टीकरण यह है कि धारा 65 बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र अनावश्यक है यदि मूल

दस्तावेज़ स्वयं तैयार किया जाता है। यह लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या यहां तक कि मोबाइल फोन के मालिक द्वारा किया जा सकता है।

गवाह बॉक्स में प्रवेश करना और यह साबित करना कि संबंधित उपकरण, जिस पर मूल जानकारी पहली बार संग्रहीत की जाती है, उसके स्वामित्व में है और/या उसके द्वारा संचालित है। जिन मामलों में "कंप्यूटर" एक "कंप्यूटर प्रणाली" या "कंप्यूटर नेटवर्क" का हिस्सा होता है और अदालत में ऐसी प्रणाली या नेटवर्क को भौतिक रूप से लाना असंभव हो जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी प्रदान करने का एकमात्र साधन धारा 65 बी (1) के अनुसार हो सकता है, साथ ही इसके तहत आवश्यक प्रमाण पत्र भी हो सकता है।

धारा 65 ख (4)। अनवर पी. वी. में अंतिम वाक्य जो इस प्रकार है ". यदि साक्षय अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्षय के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है", इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है। इसे "साक्षय अधिनियम की धारा 62 के तहत" शब्दों के बिना पढ़ा जाना है। इस स्पष्टीकरण के साथ, अनवर पी. वी. के पैराग्राफ 24 में बताए गए कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सी। पैराग्राफ 62 में जारी किए गए सामान्य निर्देशों का पालन उन अदालतों द्वारा किया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक साक्षय से संबंधित हैं, ताकि उनके संरक्षण और उचित स्तर पर प्रमाण पत्र का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। ये निर्देश सूचना की धारा 67 सी के तहत नियमों और निर्देशों तक सभी कार्यवाहियों में लागू होंगे।

दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन के लिए प्रौद्योगिकी अधिनियम और डेटा प्रतिधारण शर्तें तैयार की गई हैं।डी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रयोग में शक्तियों का प्रयोग करके उपयुक्त नियम और निर्देश बनाए जाने चाहिए

जैसे कि धारा 67 सी में, और अपराधों के मुकदमे में शामिल डेटा के प्रतिधारण के लिए उपयुक्त नियम तैयार करना, उनका पृथक्करण, हिरासत की श्रृंखला के नियम, मुहर लगाना और रिकॉर्ड रखरखाव, परीक्षण और अपील की पूरी अवधि के लिए, और भ्रष्टाचार से बचने के लिए मेटा डेटा के संरक्षण के संबंध में भी। इसी तरह, अप्रैल, 2016 में मुख्य न्यायाधीश के सम्मेलन द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संरक्षण, पुनर्प्राप्ति और उत्पादन के लिए उपयुक्त नियम बनाए जाने चाहिए, जैसा कि पहले संकेत दिया गया था। [ पैरा 72] [250-सी-एच; 251-ए-सी] [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शफी मोहम्मद बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 2 एस. सी. सी. 801; शफी मोहम्मद बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 5 एससीसी 311: [ 2018 ] 3 एस. सी. आर. 1096; के. रामाजियम बनाम। पुलिस निरीक्षक (2016) सीआरएल। एलजे 1542 -

खारिज कर दिया।

अनवर पी. वी. वी. पी. के. बशीर और अन्य। ( 2014 ) 10 एससीसी 473:

[ 2014 ] 11 एस. सी. आर. 399-स्पष्ट।

कुंदन सिंह बनाम। राज्य 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 13647;

पारस जैन बनाम। राजस्थान राज्य 2015 एससीसी ऑनलाइन

राज 8331-स्वीकृत।

कोचीन स्टेट पावर एंड लाइट कॉर्पोरेशन बनाम। की स्थिति

केरल [1965] 3 एस. सी. आर. 187; राज कुमार दुबे बनाम। तारापद डे और ओआरएस। ( 1987 ) 4 एससीसी 398 [1988] 1 एससीआर 118; मेसर्स बी. पी. खेमका प्रा. लिमिटेड वी. बीरेंद्र कुमार भौमिक और अन्र। ( 1987 ) 2 एस. सी. सी. 401; हीरा टिकू बनाम। यू. टी., चंडीगढ़ और अन्य। ( 2004 ) 6 एससीसी 765: [ 2004 ] 1 पूरक। एस. सी. आर. 65; कर्नाटक राज्य बनाम एम. आर. हीरेमथ (2019) 7 एस. सी. सी. 515: [ 2019 ] 8 एससीआर 713; वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम। देव चंद्र [1955] 1 एससीआर 509-आश्रित

पर।

विक्रम सिंह और अन्र। वी. पंजाब और अन्र राज्य। ( 2017 ) 8 एससीसी 518: [ 2017 ] 8 एस. सी. आर. 177; राज्य बनाम। नवजोत संधू (2005) 11 एस. सी. सी. 600 [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 79; तुकाराम एस. दिघोले बनाम। माणिकराव शिवाजी कोकाटे (2010) 4 एससीसी

329 [ 2010 ] 2 एस. सी. आर. 396; केंद्रीय ब्यूरो

जांच v. आर. एस. पाई (2002) 5 एस. सी. सी 82: [ 2002 ] 2 एस. सी. आर. 889; जगजीत सिंह बनाम धरम पाल सिंह (1995) सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 422-संदर्भित।

पर वी. रामसुब्रमण्यन, जे. (पूरक)

1.1 भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी (1) एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है, जिसमें दूसरे के आवेदन को शामिल नहीं किया गया है।

प्रावधान और यह प्रमाणन को स्वीकार्यता के लिए एक पूर्व शर्त बनाता है। ऐसा करते समय, यह प्रासंगिकता के बारे में बात नहीं करता है। एक तरह से, धारा 65 ए और 65 बी को अगर एक साथ पढ़ा जाए, तो प्रमाण और स्वीकार्यता दोनों को मिला दें, लेकिन प्रासंगिकता के बारे में बात न करें। धारा 65 ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री को साबित करने के उद्देश्य से धारा 65 बी में निर्धारित प्रक्रिया को संदर्भित करती है, लेकिन धारा 65 बी अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम।

कैलाश कुशानराव

गोरैंटल

यह पूरी तरह से स्वीकार्यता की पूर्व शर्तों के बारे में बताता है। नतीजतन, धारा 65 बी स्वीकार्यता को पहली या सबसे बाहरी जांच चौकी के रूप में रखती है, जो सीमा पर भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्षय को बिना किसी जांच के मोड़ने में सक्षम है, अगर उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। धारा 65 बी द्वारा पहली या सीमा जांच चौकी के रूप में स्वीकार्यता की नियुक्ति, इस तथ्य के साथ कि विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व वाले कई 'कंप्यूटर सिस्टम' (जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 (1) में परिभाषित किया गया है), के उत्पादन में शामिल हो सकते हैं।इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिसमें 'प्रवर्तक' (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 (जेडए) में परिभाषित) अलग है

प्राप्तकर्ताओं या भागीदारों ने धारा 65 बी के पीछे बहुत कड़वाहट पैदा की है, जो एक पेंडुलम की तरह झूलती न्यायिक राय से स्पष्ट है। [ पैरा 10,11] [254-बी-ई]

1.2 यह तथ्य और रिकॉर्ड की बात है कि दुनिया भर की अदालतों ने एनालॉग में साक्षय के लिए खुद को अनुकूलित करने में तेजी दिखाईरूप, पुरातन, सदियों पुराने साक्षय के नियमों के ढांचे के भीतर। ऐसा नहीं था कि अनुरूप रूप में साक्षय में हेरफेर करने में असमर्थ था। लेकिन अदालतों ने समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले नियमों को लागू करके शो को अच्छी तरह से प्रबंधित किया।

हेरफेर किया गया। जिस खुशी के साथ अदालतों ने एनालॉग रूप में साक्षय की सराहना करने के लिए खुद को अनुकूलित किया, वह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण था कि एनालॉग तकनीक में, कोई भी कुछ ऐसा देख और/या महसूस करने में सक्षम है जो हो रहा है। एनालॉग तकनीक में, एक तरंग को उसके मूल रूप में दर्ज या उपयोग किया जाता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी में, एनालॉग तरंग का कुछ अंतराल पर नमूना लिया जाता है और फिर डिजिटल उपकरण में संग्रहीत संख्याओं में बदल दिया जाता है। इसलिए, जो संग्रहीत हैं, वे संख्या के संदर्भ में हैं और वे, बदले में, वोल्टेज तरंगों में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि जो संग्रहीत किया गया था उसका उत्पादन किया जा सके। इसके अलावा, समय-समय पर आवश्यक संशोधनों के साथ आने के लिए कानून निर्माताओं की ओर देखे बिना, अदालतों ने स्वयं इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता का एनालॉग रूप में परीक्षण करने के लिए समय के साथ कुछ नियम विकसित किए और ये नियम वास्तव में अच्छी तरह से काम करते हैं। लेकिन साइबर स्पेस में गुमनामी में काम करने की सुविधा ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हेरफेर के लिए अधिक प्रवण बना दिया है और इसके परिणामस्वरूप संदेह की

अधिक मात्रा हो गई है। समय के साथ, कुछ क्षेत्राधिकार उचित रूप से अच्छे समाधान के साथ आए हैं। [ पैरा 12,13,17 और 22] [254-एफ-एच; 255-ए-बी; 257-सी; 258-ई] [2020] 7 एस. सी. आर.



1.3 निष्कर्ष

दुनिया के प्रमुख क्षेत्राधिकार समय के परिवर्तन और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सहमत हुए हैं और अपने कानूनों को ठीक किया है। इसलिए, यह समय की आवश्यकता है कि भारतीय साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी पर फिर से विचार किया जाए, जिसे 20 साल पहले 2000 के अधिनियम 21 द्वारा पेश किया गया था, और जिसने एक बड़ी न्यायिक उथल-पुथल पैदा कर दी है, जिसमें पिछले 15 वर्षों में कानून एक चरम से दूसरे चरम पर चला गया है, जिसमें नवजोत संधू से अनवर पी. वी., टोमासो ब्रूनो, सोनू से लेकर शफी मोहम्मद तक शामिल हैं। [ पैरा 46] [282-डी-ई]

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600: [ 2005 ] 2 पूरक। एससीआर 79; अनवर पी. वी. वी. पी. के. बशीर, (2014) 10 एससीसी 473: [ 2014 ] 11 एस. सी. आर. 399; टोमासो ब्रूनो बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 7 एस. सी. सी. 178: [ 2015 ] 1 एस. सी. आर. 721; सोनू बनाम हरियाणा राज्य (2017) 8 एससीसी 570: [ 2017 ] 8 एससीआर 151; शफी मोहम्मद बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 2 एससीसी 801: एस. प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य [1964] 4 एस. सी. आर. 753; यूसुफल्ली इस्माइल नागरी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [1967] 3 एस. सी. आर. 720; एन. श्री रामा रेड्डी बनाम। वी. वी. गिरि ए. आई. आर 1972 एस. सी. 1162; आर. एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 157: [ 1973 ] 2 एससीआर 417; जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम। बृजमोहन रामदास मेहरा (1976) 2 एस. सी. सी. 17 [1975] पूरक। एस. सी. आर. 281; राम सिंह बनाम कर्नल राम सिंह एयर 1986 एससी 3:

[ 1985 ] पूरक। एस. सी. आर. 399; तुकाराम एस. दिघोले बनाम।

माणिकराव शिवाजी कोकाटे (2010) 4 एस. सी. सी. 329: [ 2010 ] 2

एस. सी. आर. 396 संदर्भित है।

सभी ई. आर. 195; आर. वी. पेटीग्रू [1980] 71 करोड़। ऐप. आर. 39; कैसल वी. क्रॉस [1984] 1 डब्ल्यूएलआर 1372; आर वी। रॉबसनमिचेल और रिचर्ड्स [1991] क्रिम एल. आर. 360; लोरेन बनाम। मार्केल अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी 241 एफ. आर. डी. 534 (2007)

- संदर्भित किया गया।

अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम। कैलाश कुशाने गारंटी और हमारा।

मामला कानून संदर्भ

आर. एफ. नरीमन के फैसले में, जे. (अपने लिए, एस. रवि)

भट और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.) [ 2014 ] 11 एससीआर 399

स्पष्ट कीजिए।

पैरा 2

( 2018 ) 2 एस. सी. सी. 801

पैरा 2

खारिज कर दिया गया

[ 2018 ] 3 एससीआर 1096

खारिज कर दिया गया

पैरा 9

[ 2015 ] 1 एससीआर 721

खारिज कर दिया गया

पैरा 9

[ 1962 ] 1 एससीआर 33

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

[ 2010 ] 2 एससीआर 447

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

[ 2017 ] 8 एससीआर 177

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[ 2005 ] 2 पूरक। एससीआर 79

पैरा 35

संदर्भित किया गया है

[ 2010 ] 2 एससीआर 396

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

( 1974 ) 2 एससीसी 33

उस पर भरोसा करें

पैरा 45

[ 1999 ] 2 पूरक। एससीआर 754

उस पर भरोसा करें

पैरा 45

[ 2002 ] 3 पूरक। एससीआर 366

पैरा 45

उस पर भरोसा करें

[ 2005 ] 2 एससीआर 670

उस पर भरोसा करें

पैरा 45

[ 1965 ] 3 एससीआर 187

उस पर भरोसा करें

पैरा 46

[ 1988 ] 1 एससीआर 118

उस पर भरोसा करें

पैरा 47

( 1987 ) 2 एस. सी. सी. 401

उस पर भरोसा करें

पैरा 48

[ 2004 ] 1 पूरक। एससीआर 65

उस पर भरोसा करें

पैरा 49

[ 2019 ] 8 एससीआर 713

उस पर भरोसा करें

पैरा 51

[ 2002 ] 2 एससीआर 889

संदर्भित किया गया है

पैरा 53

[ 2016 ] 9 एससीआर 74

सही नहीं रखा गया

पैरा 69

कानून

[ 2016 ] 9 एससीआर 687

पैरा 70

संदर्भित किया गया है

[ 1974 ] 1 एससीआर 40

संदर्भित किया गया है

पैरा 70

( 1995 ) 1 पूरक। एस. सी. सी. 422

संदर्भित किया गया है

पैरा 70

[ 1955 ] 1 एससीआर 509

उस पर भरोसा करें

पैरा 70 [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. रामसुब्रमण्यन के निर्णय में, जे. (पूरक)

[ 1964 ] 4 एससीआर 753

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[ 1967 ] 3 एससीआर 720

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[ 1973 ] 2 एससीआर 417

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[ 1975 ] पूरक। एससीआर 281

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[ 1985 ] पूरक। एससीआर 399

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[ 2010 ] 2 एससीआर 396

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[ 2005 ] 2 पूरक। एससीआर 79

पैरा 46

संदर्भित किया गया है

[ 2014 ] 11 एससीआर 399

संदर्भित किया गया है

पैरा 46

[ 2015 ] 1 एससीआर 721

पैरा 46

संदर्भित किया गया है

[ 2017 ] 8 एससीआर 151

संदर्भित किया गया है

पैरा 46

( 2018 ) 2 एस. सी. सी. 801

संदर्भित किया गया है

पैरा 46

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 20825

20826 2017 से।

उच्च न्यायालय के 24.11.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 की चुनाव याचिका संख्या 6 और 2014 की 9 में बॉम्बे की न्यायपालिका, औरंगाबाद की पीठ।

के साथ

सिविल अपील सं। 2407 और 2018 का 3696।सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, प्रवीण एम. शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रवींद्र

केशवराव अदसुरे, हरिभाऊ दामोदर जोल, प्रतीक अरविंद भोसले, प्रशांत रमाकांत कटनेश्वरकर, एत बाबनराव काले, सागर एन पाहुने पाटिल, शशिभूषण पी. अदगांवकर, आदित्य सिक्की, जकलवार गगनदीप शर्मा, गौतम तालुका, विकास उपाध्याय, अश्विन कुमा नायर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. सी. ए. संख्या में हस्तक्षेप के लिए 2019 का आई. ए. No.134044।20825 .

20826 2017 की अनुमति है।

2. इन दीवानी अपीलों को तीन सदस्यीय पीठ को भेजा गया है।

इस न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने एक खंड पीठ के संदर्भ आदेश अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम.

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

इस न्यायालय के दो निर्णयों द्वारा भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 ("साक्षय अधिनियम") की धारा 65 बी की व्याख्या से संबंधित। संदर्भ क्रम में, अनवर पी. वी. v. से उद्धृत करने के बाद। पी. के. बशीर और अन्य। ( 2014 ) 10 एस. सी. सी. 473 (इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय), यह पाया गया कि एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में एक खंड पीठ का निर्णय। 2011 का सं. 9431 शफी मोहम्मद बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 2 एस. सी. सी. 801 को एक बड़ी संख्या वाली पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है।

3. वर्तमान मामले में विवाद की सराहना करने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि 2017 के सिविल अपील 20825-20826 में स्पष्ट किया गया है, इस प्रकार हैं:

आई. वर्तमान प्रत्यर्थियों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 और 81 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष दो चुनाव याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री अर्जुन पंडितराव खोटकर (जो 101 जालना विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना पार्टी से संबंधित वापस आए

उम्मीदवार (जिसे इसके बाद "आर. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है) के महाराष्ट्र के चुनाव को चुनौती दी गई थी।

शुरू होने वाले कार्यकाल के लिए राज्य विधान सभा

नवंबर, 2014। 2014 की चुनाव याचिका संख्या 6 पराजित कांग्रेस (आई) उम्मीदवार श्री कैलाश किशनराव गोरंटयाल द्वारा दायर की गई थी, जबकि 2014 की चुनाव याचिका संख्या 9 दायर की गई थी। श्री विजय चौधरी, उक्त में एक निर्वाचक द्वारा

निर्वाचन क्षेत्र। आर. सी. के लिए जीत का अंतर बेहद कम था, अर्थात् 296 मत-आर. सी. ने 45,078 मत प्राप्त किए, जबकि श्री कैलाश किशनराव गोरंटयाल ने 44,782 मत प्राप्त किए।

ii. उच्च न्यायालय के समक्ष पूरा मामला आर. सी. द्वारा दायर नामांकन पत्रों के चार सेटों के इर्द-गिर्द घूमता था। यह वर्तमान उत्तरदाताओं का मामला था कि नामांकन पत्रों के प्रत्येक सेट में पर्याप्त प्रकृति के दोष थे और इसलिए, नामांकन पत्रों के सभी चार सेट, चुनाव आयोग के निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुचित रूप से स्वीकार किए गए थे, एक श्रीमती. मुथा, (इसके बाद "आरओ" के रूप में संदर्भित), आरसी के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए। विशेष रूप से, यह वर्तमान उत्तरदाताओं का तर्क था कि नामांकन फॉर्म संख्या की देर से प्रस्तुति। 43 और 44

आर. सी. द्वारा-क्योंकि वे दायर किए गए थे

27.09.2014-[2020] 7 एस. सी. आर. पर दोपहर 3 बजे के निर्धारित समय के बाद आर. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह के नामांकन पत्रों को तदनुसार दाखिल नहीं किया जा रहा है

कानून के साथ, और अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था।

iii. इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, उत्तरदाताओं ने अनुरोध किया

वीडियो-कैमरा व्यवस्थाओं पर भरोसा करना जो दोनों बनाए गए थे

आरओ के कार्यालय के अंदर और बाहर। इसके अनुसार

उत्तरदाताओं, नामांकन पत्र केवल 3.53 पर पेश किए गए थे

कि उन्हें समय से बाहर दाखिल किया गया था। एक विशिष्ट शिकायत करना यह आपत्ति श्री कैलाश किशनराव ने प्रस्तुत की थी।

सुबह 11.00 पर 28.09.2014 पर आरओ के सामने गोरंटचाल, जिसमें

अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था। इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था उसी दिन आरओ, यह कहते हुए कि नामांकन फॉर्म

वास्तव में, समय के भीतर दाखिल किया गया था।

4. इस तथ्य को देखते हुए कि आरोप और जवाबी आरोप थे

जिस समय आर. ओ. को नामांकन पत्र दिए गए थे, और वह वीडियोग्राफी उपलब्ध थी, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को मूल वीडियो रिकॉर्डिंग सहित इस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया। एक विशिष्ट आदेश दिया गया था कि इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

5. इस आदेश के अनुपालन में, ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी

चुनाव आयोग द्वारा सीडी/वीसीडी के संबंध में जारी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया, जो इस प्रकार है:

" प्रमाण पत्र

नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख 26.9.2014 के दो दिन बाद और 27.9.2014 जो अभिलेख में मौजूद थे, उन्हें प्रस्तुत किया जाता है।

एसडी /

एसडी / निर्वाचन अधिकारी

आसिस्टेंट। वापसी

101 जालना विधान सभा

अधिकारी

निर्वाचन क्षेत्र/तहसीलदार जालना "

101 जालना विधायी

सभानिर्वाचन क्षेत्र /

तहसीलदार जालना अर्जुन पंतराव खोडकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

6. इन सी. डी./वी. सी. डी. की सामग्री के प्रतिलेख तैयार किए गए थे।

स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा। मुद्दा संख्या। 6 और 7 जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया है (और इन मुद्दों पर इसके उत्तर) महत्वपूर्ण हैं, और

विवादित निर्णय दिनांकित 24.11.2017, और यहाँ नीचे निकाला गया है:

" मुद्दे

निष्कर्ष

6. क्या याचिकाकर्ता यह साबित करता है कि

सकारात्मक। ( नामांकन पत्र

श्री. सं. 43 और 44 नहीं थे

Sr.Nos पर नामांकन पत्र। 43 और 44 थे

दोपहर 3 बजे से पहले आर. सी. द्वारा प्रस्तुत।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया/लौटाया गया

27.9.2014.)

उम्मीदवार 27/09/2014 पर दोपहर 3 बजे से पहले? 7. क्या याचिकाकर्ता यह साबित करता है कि

सकारात्मक। ( ए, बी फॉर्म थे

प्रत्यर्थी/लौटाया उम्मीदवार प्रस्तुत किया गया

दोपहर 3 बजे के बाद प्रस्तुत किया गया

नामांकन के साथ मूल फॉर्म ए और बी

27.9.2014 ) "

केवल दोपहर 3 बजे के बाद 27/09/2014 पर और Sr.No पर नामांकन पत्र के साथ। 44?

7. मुद्दों 6 और 7 का जवाब देते हुए, उच्च न्यायालय ने दर्ज किया:" 60. चुनाव के याचिकाकर्ता द्वारा कई आवेदन दिए गए थे

इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रतियां प्राप्त करने के लिए याचिका संख्या 6/2014

धारा 65-बी में दिए गए प्रमाण पत्र के साथ उपरोक्त घटनाओं कीसाक्षय अधिनियम। उनके साथ किया गया पत्राचार दिखाता है

धारा 65-बी में उल्लिखित प्रमाण पत्र देने से बचा गया साक्षय अधिनियम। इस मामले में न्यायालय में अभिलेख प्रस्तुत करने के बाद

इस संबंध में, इस न्यायालय ने आदेश द्वारा चुनाव आयोग को अनुमति दी थी आवेदकों को ऐसे अभिलेख की प्रतियां देना, लेकिन उसके बाद भी

प्राधिकारी लंगड़े बहाने देकर प्रतियां देने से बचते थे। इसकी जरूरत है।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आर. सी. राजनीतिक दल से है जिसने

सत्तारूढ़ दल, भाजपा के साथ गठबंधन, न केवल राज्य में, बल्कि

केंद्र। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस मशीनरी की अपेक्षा की जाती है

बे फेयर ने वर्तमान मामले में निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं किया। परिस्थितियाँ

उनकी शरारत को ढक दें। हालांकि सामग्री केवल एक देती हैअनुमान है कि नामांकन संख्या बनाता है। 43 और 44 ए, बी रूपों के साथ

आर. सी. द्वारा 27.9.2014 के दोपहर 3 बजे के बाद आर. ओ. के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

और उन्हें दोपहर 3 बजे से पहले नहीं सौंपा गया था। इसे ध्यान में रखते हुएआर. सी. के विद्वान वकीलों की जानकारी का उपयोग करने पर आपत्ति

उपरोक्त वी. सी. डी. में निहित, अनुच्छेद ए 1 से ए 6 के रूप में चिह्नित, यह [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत ने 11.7.2017 पर आदेश दिया था कि आपत्तियों पर फैसले में ही विचार किया जाएगा। इन वी. सी. डी. को इस न्यायालय द्वारा पहले से ही एक्स. एच. एस. के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 70 75 तक। इस प्रकार, यदि उपरोक्त वीसीडी की सामग्री का उपयोग साक्षय में किया जा सकता है, तो याचिकाकर्ता

वर्तमान मामलों में सफल होने के लिए बाध्य हैं।

8. उच्च न्यायालय ने तब एन्से अधिनियम की धारा 65-ए और 65-बी निर्धारित की और अनवर पी. वी. (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले को संदर्भित किया। अदालत ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 65 में कहा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत सीडी को मौलिक रिकॉर्ड के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए, इसे डरावने साक्षय के माध्यम से साबित करना होगा। यह देखते हुए कि साक्षय अधिनियम के 65-बी (4) द्वारा आवश्यक कोई लिखित प्रमाण पत्र किसी भी चुनाव और विशेष रूप से आरओ द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय ने तब निर्णय दिया:

" 69. ठोस साक्षय में, श्रीमती की प्रतिपरीक्षा में। मुथा, यह रिकॉर्ड पर लाया जाता है कि कार्यालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले वीडियो कैमरों के काम करने के संबंध में कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने स्वीकार किया है कि उपरोक्त घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कार्यालय में नियमित रूप से वीडियो कैमरों का उपयोग किया जाता था और उनके कार्यालय द्वारा रिकॉर्डिंग के दैनिक वीसीडी एकत्र किए जाते थे। यह रिकॉर्ड चुनाव आयोग की गतिविधियों के रिकॉर्ड के रूप में बनाया गया था। यह रिकॉर्ड में लाया गया है कि इमारत की पहली मंजिल पर वीसीआर जैसे इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र रखकर व्यवस्था की गई थी खिलाड़ी आदि और रिकॉर्डिंग देखने की व्यवस्था की गई थी। यह पहले से ही देखा गया है कि उनके निर्देशों के तहत, वीसीडी को इस रिकॉर्डिंग के लिए चिह्नित किया गया था। इस प्रकार, उसके मूल साक्षय के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी में उल्लिखित शर्तें पूरी हो गई हैं और वह प्रमाणित कर रही है

साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी (4) द्वारा आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग, मशीनरी

साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी (4) के अनुसार लिखित में प्रमाण पत्र देने से बचा जाता है। लेकिन, उस संबंध में सक्षम अधिकारी के रिकॉर्ड पर ठोस सबूत लाया जाता है। जब अपेक्षित प्रमाण पत्र को सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर जारी करने की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में श्रीमती की शपथ पर प्रमाण होता है। मुथा। इस प्रकार, वर्तमान मामलों में साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी (4) में उल्लिखित प्रमाण पत्र की सामग्री से कुछ अधिक है। इस तरह के साक्षय को साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी के प्रावधानों द्वारा वर्जित नहीं किया गया है क्योंकि वह साक्षय केवल अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम के प्रमाणन पर है।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

आर. ओ. जैसे जिम्मेदार आधिकारिक पद से। वह प्रासंगिक गतिविधियों के प्रबंधन की प्रभारी थीं और इसलिए उनके साक्षय का उपयोग किया जा सकता है और साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी के प्रावधान के अनुपालन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय का मानना है कि उपरोक्त के संबंध में वर्तमान मामले में साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी के प्रावधान का अनुपालन है।

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इसलिए, रिकॉर्ड में निहित जानकारी का उपयोग साक्षय में किया जा सकता है।

इसलिए, साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता के "पर्याप्त अनुपालन" के आधार पर, यह था

अभिनिर्धारित किया कि सी. डी./वी. सी. डी. साक्षय में स्वीकार्य थे, और इसके आधार पर

इस साक्षय में यह पाया गया कि वास्तव में, आर. सी. द्वारा नामांकन पत्रों को अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था। इसलिए विवादित फैसले में आर. सी. के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था।9. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र अदसुरे ने कहा कि अनवर पी. वी. (उपरोक्त) के फैसले में हमारे समक्ष मामले को शामिल किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि साक्षय अधिनियम की धारा 65बी (4) के तहत लिखित और हस्ताक्षरित आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना, सीडी/वीसीडी, जिन पर निर्णय की संपूर्णता टिकी हुई है, नहीं हो सकती थी।

साक्षय में स्वीकार किया गया। उन्होंने टोमासो ब्रूनो और एनर का उल्लेख किया। वी. उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 7 एस. सी. सी. 178, और तर्क दिया कि उक्त निर्णय में धारा 65 बी या अनवर पी. वी. (ऊपर) पर ध्यान नहीं दिया गया था, और इसलिए यह अनुचित था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ होने के नाते शफी मोहम्मद (उपरोक्त) नहीं आ सकते थे।

अनवर पी. वी. (उपर्युक्त) के विपरीत एक निष्कर्ष पर, जो इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों का निर्णय था। विशेष रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि शफी मोहम्मद (उपरोक्त) में यह नहीं माना जा सकता था कि जब भी न्याय के हित की आवश्यकता होती है, तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती हैधारा 65बी (4) के तहत समाप्त कर दिया गया। समान रूप से, इस न्यायालय का दिनांक 03.04.2018 का निर्णय, (2018) 5 SCC 311 के रूप में रिपोर्ट किया गया, जो केवल शफी मोहम्मद (उपरोक्त) में निर्धारित कानून का पालन करता है, जो इसके विपरीत है

अनवर पी. वी. (ऊपर) में वृहद पीठ के फैसले को भी अच्छा कानून निर्धारित नहीं करने के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि के. रामाजियम बनाम में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय। पुलिस निरीक्षक (2016) सीआरएल। एल. जे. 1542, अनवर पी. वी. (उपर्युक्त) के विपरीत होने के कारण भी कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है, जिसमें यह माना गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार्य बनाने के लिए धारा 65बी के बाहर के साक्षय को भी लिया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि यह स्पष्ट था कि [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था, धारा 65 बी (4) के प्रावधानों के साथ "पर्याप्त अनुपालन" का कोई सिद्धांत, जैसा कि विवादित निर्णय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, संभवतः कानून में कायम नहीं रखा जा सकता था।

10. उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने हमें विस्तृत जानकारी दी है।

इस मामले के तथ्य, और तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को अदालत के समक्ष आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ आरओ के कार्यालय में की गई वीडियो-रिकॉर्डिंग की मूल सीडी/वीसीडी पेश करने का निर्देश दिया है। 16.08.2016 दिनांकित एक आवेदन भी किया गया था।धारा 65 बी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के लिए जिला चुनाव आयोग और आरओ के साथ-साथ सहायक आरओ को। 14.09.2016 पर जवाब दिया गया था कि यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि मामला विचाराधीन था। इसके बावजूद, बाद में, उनके मुवक्किल ने धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करते हुए अधिकारियों को फिर से लिखा, लेकिन 31.07.2017 और 02.08.2017 के उत्तरों से, ऐसा कोई प्रमाण पत्र सामने नहीं आया। अंत में, एक जगह से दूसरी जगह भागने के बाद, उनके मुवक्किल ने नई दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त को 26.08.2017 पर आवेदन किया, जिसमें कहा गया कि अधिकारी उनके मुवक्किल को धारा 65 बी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र देने से इनकार कर रहे हैं और इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह उन्हें दिया जाए। इस पत्र का मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली की ओर से कोई जवाब नहीं आया।

दिल्ली। इसे देखते हुए, कई स्थानों पर उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के दौरान कहा था कि अधिकारियों ने निर्देश दिए जाने के बावजूद जानबूझकर धारा 65 बी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विवादित निर्णय सही ढंग से निर्भर था।

स्वयं आरओ की मौखिक गवाही। सुश्री अरोड़ा के अनुसार, लिखित रूप में ली गई ऐसी मौखिक गवाही, जिस पर गवाह के बयान पर आरओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, स्वयं इस मामले के तथ्यों में धारा 65 बी (4) के तहत जारी किए जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र के बराबर होगी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही माना गया था। इसके अलावा, सुश्री अरोड़ा ने यह भी कहा कि सी. डी./वी. सी. डी. पर भरोसा करके उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष से स्वतंत्र-उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अन्य दस्तावेजी और मौखिक साक्षय पर भी भरोसा किया कि आर. सी. ने दोपहर 2.20 बजे (यानी दोपहर 3 बजे से पहले) सीधे आर. ओ. को नामांकन पत्र नहीं सौंपे थे। वास्तव में, इस साक्षय के आधार पर यह पाया गया कि नामांकन पत्र आर. ओ. द्वारा दोपहर 3 बजे के बाद ही सौंपे गए और स्वीकार किए गए और इसलिए अनुचित रूप से स्वीकार किए गए, जिसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी का चुनाव सही ढंग से अलग कर दिया गया।

अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

बंद कर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट अन्याय होगा।12. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से श्री विकास उपाध्याय ने हमें सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया

साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी के साथ अधिनियम, 2000, और तर्क दिया कि धारा 65 बी उस चरण का उल्लेख नहीं करती है जिस पर धारा 65 बी (4) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने कुंदन सिंह बनाम के अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय के साथ-साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया। दिल्ली उच्च न्यायालय का राज्य 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 13647 यह तर्क देने के लिए कि आवश्यक प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से साक्षय देने के समय दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कार्यवाही के बाद के चरण में हो सकता है, जैसे कि ऐसे मामलों में जहां आवश्यक प्रमाण पत्र उस पक्ष की कोई गलती नहीं है जिसने इसे पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन जिसे इसे पेश करने के लिए न्यायाधीश के पास आवेदन करना पड़ा था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनवर पी. वी. (उपर्युक्त) को इस हद तक स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि धारा 65 ए और 65 बी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता के रूप में एक पूर्ण संहिता होने के कारण, साक्षय अधिनियम की धारा 62 और 65 में निहित प्राथमिक और माध्यमिक साक्षय के "सामान" को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी की ग्राह्यता की बात आती है तो केवल धारा 65 ए और 65 बी की कवायद का पालन किया जाना चाहिए।

13. अब इसके प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक है

साक्षय अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000। साक्षय अधिनियम की धारा 3 "दस्तावेज़" को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" दस्तावेज़ "। दस्तावेज़ "का अर्थ है व्यक्त किया गया कोई भी मामला याकिसी भी पदार्थ पर अक्षरों, आकृतियों या निशानों के माध्यम से, या उनमें से एक से अधिक माध्यमों से वर्णित किया गया है, जिसका उपयोग करने का इरादा है, या जिसका उपयोग उस मामले को दर्ज करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" धारा 3 में साक्षय को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" सबूत "। " साक्षय का अर्थ है और इसमें (1) सभी शामिल हैं।

ऐसे बयानों को मौखिक साक्षय कहा जाता है। ( 2 ) न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी दस्तावेज; ऐसे दस्तावेजों को दस्तावेजी कहा जाता है।

सबूत "।साक्षय अधिनियम यह भी घोषित करता है कि अभिव्यक्तियाँ "प्रमाणन"

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिए गए अर्थ। 14. साक्षय अधिनियम की धारा 22-ए, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री के रूप में मौखिक प्रवेश की प्रासंगिकता से संबंधित है, निम्नानुसार है:

" 22ए. जब इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के बारे में मौखिक प्रवेश अभिलेख प्रासंगिक हैं। — इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री के रूप में मौखिक प्रवेश प्रासंगिक नहीं हैं, जब तक कि उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाया जाता है।

15. इलेक्ट्रॉनिक साक्षय परीक्षक की राय पर साक्षय अधिनियम की धारा 45ए में कहा गया है:

" 45ए. इलेक्ट्रॉनिक साक्षय के परीक्षक की राय। जब किसी कार्यवाही में, न्यायालय को किसी भी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में प्रेषित या संग्रहीत किसी भी जानकारी से संबंधित किसी भी मामले पर राय बनानी होती है, तो धारा 79ए में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्षय परीक्षक की राय।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) प्रासंगिक है।

तथ्य।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक परीक्षक

इलेक्ट्रॉनिक साक्षय एक विशेषज्ञ होगा।

16. साक्षय अधिनियम की धारा 65-ए और 65-बी निम्नानुसार है:

जुन पन्डित्राव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 65ए. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित साक्षय के बारे में विशेष प्रावधान। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री को धारा 65बी के प्रावधानों के अनुसार साबित किया जा सकता है। " 65बी. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता। - ( 1 ) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित कोई भी जानकारी जो कागज पर मुद्रित होती है, संग्रहीत, दर्ज या

कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या चुंबकीय माध्यम में प्रतिलिपि (इसके बाद कंप्यूटर आउटपुट के रूप में संदर्भित) को भी एक दस्तावेज माना जाएगा, यदि इस खंड में उल्लिखित शर्तें संबंधित जानकारी और कंप्यूटर के संबंध में संतुष्ट हैं।

और किसी भी कार्यवाही में, मूल के आगे के प्रमाण या प्रस्तुत किए बिना, साक्षय के रूप में या मूल या उसमें बताए गए किसी भी तथ्य की किसी भी सामग्री के रूप में स्वीकार्य होगा, जिसमें प्रत्यक्ष साक्षय है।

स्वीकार्य होगा।

( 2 ) कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:

( a) जानकारी वाले कंप्यूटर आउटपुट का उत्पादन किया गया था

उस अवधि के दौरान कंप्यूटर द्वारा जिसका कंप्यूटर के उपयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस अवधि में नियमित रूप से की गई किसी भी गतिविधि के उद्देश्यों के लिए जानकारी को संग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए कंप्यूटर का नियमित रूप से उपयोग किया जाता था;

( ख) उक्त अवधि के दौरान, में निहित प्रकार की जानकारी

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या जिस प्रकार से इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की गई है, उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में नियमित रूप से कंप्यूटर में डाली गई थी;

( ग) उक्त अवधि के पूरे भौतिक भाग में, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था या, यदि नहीं, तो किसी भी अवधि के संबंध में जिसमें यह ठीक से काम नहीं कर रहा था या अवधि के उस हिस्से के दौरान संचालन से बाहर था, ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक को प्रभावित करे।

रिकॉर्ड या इसकी सामग्री की सटीकता; और

( घ) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में कंप्यूटर में दी गई ऐसी जानकारी को पुनः प्रस्तुत करती है या उससे प्राप्त होती है।

( 3 ) जहाँ किसी भी अवधि में, किसी भी गतिविधि के उद्देश्यों के लिए जानकारी को संग्रहीत करने या संसाधित करने का कार्य नियमित रूप से किया जाता है। उस अवधि में जैसा कि उप-धारा (2) के खंड (ए) में उल्लेख किया गया है, कंप्यूटर द्वारा नियमित रूप से किया जाता था, चाहे वह [2020] 7 एस. सी. आर. हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( क) उस अवधि में काम करने वाले कंप्यूटरों के संयोजन द्वारा; या( ख) उस अवधि में लगातार काम करने वाले विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा;

या

( ग) उस अवधि में लगातार काम करने वाले कंप्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा; या

( घ) एक या अधिक कंप्यूटरों और कंप्यूटरों के एक या अधिक संयोजनों के उस अवधि में, किसी भी क्रम में, क्रमिक संचालन से जुड़े किसी भी अन्य तरीके से,

उस अवधि के दौरान उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटरों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक एकल कंप्यूटर के रूप में माना जाएगा और इस धारा में कंप्यूटर के संदर्भों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।( 4 ) किसी भी कार्यवाही में जहां इस धारा के आधार पर साक्षय में बयान देना वांछित है, एक प्रमाण पत्र जो निम्नलिखित में से कोई भी काम कर रहा है, अर्थात -

( क) बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करना और जिस तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया था उसका वर्णन करना;

( क) जानकारी को कंप्यूटर को आपूर्ति करने के लिए लिया जाएगा यदि वहइसे किसी भी उपयुक्त रूप में आपूर्ति की जाती है और क्या इसकी आपूर्ति सीधे या (मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) किसी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से की जाती है।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

( ख) क्या किसी अधिकारी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दौरान, जानकारी इस दृष्टि से प्रदान की जाती है कि उसे संग्रहीत या संसाधित किया जा रहा है।

उन गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए एक कंप्यूटर द्वारा संचालित

( ग) एक कंप्यूटर आउटपुट को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित किया गया माना जाएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से या (मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) किसी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से बनाया गया था। स्पष्टीकरण। — इस धारा के प्रयोजनों के लिए अन्य जानकारी से प्राप्त की जा रही जानकारी का कोई भी संदर्भ गणना, तुलना द्वारा उससे प्राप्त होने का संदर्भ होगा।

या कोई अन्य प्रक्रिया।

17. मेशन प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 में निहित निम्नलिखित परिभाषाएँ भी प्रासंगिक हैं:

" ( i) "कंप्यूटर" का अर्थ है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, ऑप्टिकल या अन्य उच्च गति डेटा प्रसंस्करण उपकरण या प्रणाली जो प्रदर्शन करती है।

इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय या ऑप्टिकल आवेगों के हेरफेर द्वारा तार्किक, अंकगणितीय और स्मृति कार्य, और इसमें सभी इनपुट, आउटपुट, प्रसंस्करण, भंडारण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या संचार सुविधाएं शामिल हैं जो कंप्यूटर से जुड़े या संबंधित हैं।

कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क; "

" ( जे) "कंप्यूटर नेटवर्क" का अर्थ है-(i) उपग्रह, माइक्रोवेव, स्थलीय लाइन, तार, वायरलेस या अन्य संचार माध्यमों के उपयोग के माध्यम से एक या एक से अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या संचार उपकरण का अंतर-कनेक्शन; और (ii) टर्मिनल या एक अन्य संचार माध्यम।

दो या दो से अधिक आपस में जुड़े कंप्यूटर या संचार उपकरण से मिलकर बना कॉम्प्लेक्स चाहे इंटर-कनेक्शन हो या न हो

लगातार बनाए रखा; "

" ( 1 ) " कंप्यूटर सिस्टम "का अर्थ है एक उपकरण या उपकरणों का संग्रह, जिसमें इनपुट और आउटपुट समर्थन उपकरण शामिल हैं और कैलकुलेटर को छोड़कर।

जो प्रोग्राम करने योग्य नहीं हैं और उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं बाहरी फ़ाइलों के साथ संयोजन, जिसमें कंप्यूटर होता है

कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक निर्देश, इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा,

जो तर्क, अंकगणित, डेटा भंडारण और पुनर्प्राप्ति, संचार नियंत्रण और अन्य कार्य करता है; "[2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ( 0 ) " "डेटा" का अर्थ है सूचना, ज्ञान, तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रतिनिधित्व जो तैयार किए जा रहे हैं या औपचारिक तरीके से तैयार किए गए हैं, और जिनका उद्देश्य है -संसाधित किया जा रहा है, संसाधित किया जा रहा है या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधित किया गया है, और किसी भी रूप में हो सकता है (जिसमें कंप्यूटर प्रिंटआउट चुंबकीय या ऑप्टिकल भंडारण मीडिया, पंच्ड शामिल हैं)

कार्ड, छिद्रित टेप) या स्मृति में आंतरिक रूप से संग्रहीत

कंप्यूटर; "" ( आर) सूचना के संदर्भ में "इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र" का अर्थ है -

फिशे या इसी तरह का उपकरण; " " ( टी) "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" का अर्थ है डेटा, रिकॉर्ड या डेटा उत्पन्न, छवि या ध्वनि संग्रहीत, प्राप्त या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा गया या

माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर से उत्पन्न माइक्रो फिशे; "

18. धारा 65ए और 65बी साक्षय अधिनियम के अध्याय 5 में आते हैं जिसका शीर्षक "दस्तावेजी साक्षय" है। साक्षय अधिनियम की धारा 61 दस्तावेजों की सामग्री के प्रमाण से संबंधित है, और यह बताती है कि दस्तावेजों की सामग्री को प्राथमिक या द्वारा साबित किया जा सकता है।

द्वितीयक साक्षय। साक्षय अधिनियम की धारा 62 प्राथमिक साक्षय को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है अदालत के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज। साक्षय अधिनियम की धारा 63 उस प्रकार या प्रकार के गौण साक्षय के बारे में बताती है जिसके द्वारा दस्तावेजों को साबित किया जा सकता है। साक्षय अधिनियम की धारा 64 तब अधिनियमित करती है कि दस्तावेजों को प्राथमिक रूप से साबित किया जाना चाहिए।

इसके बाद उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर साक्षय। साक्षय अधिनियम की धारा 65 महत्वपूर्ण है, और यह बताती है कि "किसी दस्तावेज़ के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री" के लिए द्वितीयक साक्षय दिया जा सकता है। निम्नलिखित मामलों में। "

19. धारा 65 किसी दस्तावेज़ के अस्तित्व, स्थिति और सामग्री के बीच अंतर करती है। जबकि "अस्तित्व" किसी दस्तावेज़ की "स्वीकार्यता" के लिए जाता है, एक दस्तावेज़ की "सामग्री" को सबूत में दस्तावेज़ के स्वीकार्य होने के बाद साबित किया जाना है। धारा 65 ए की "सामग्री" की बात करता है

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रावधानों के अनुसार साबित किया जा रहा है

धारा 65 ख। धारा 65 बी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की "स्वीकार्यता" की बात करती है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के "अस्तित्व" और "सामग्री" से संबंधित है जो साक्षय में स्वीकार्य होने के बाद साबित हो जाते हैं। इन प्रारंभिक टिप्पणियों के साथ आइए हम धारा 65 ए और 65 बी पर करीब से नज़र डालें।

अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

20. सबसे पहले यह ध्यान दिया जाएगा कि साक्षय अधिनियम की धारा 65 ए और 65 बी की विषय वस्तु इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी का प्रमाण है। धारा 65 ए के सीमांत नोट से संकेत मिलता है कि "विशेष

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखसँ सम्बन्धित साक्षयक प्रावधान एहि प्रावधानमे देल गेल अछि। धारा 65 बी के सीमांत नोट में तब उल्लेख किया गया है -

" इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता "।21. धारा 65 बी (1) एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ खुलती है, और यह स्पष्ट करती है कि कोई भी जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित है।

जो एक कागज पर मुद्रित होता है, एक कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या चुंबकीय माध्यम में संग्रहीत, रिकॉर्ड या प्रतिलिपि किया जाता है, उसे एक दस्तावेज माना जाएगा, और मूल की सामग्री या उसमें बताए गए किसी भी तथ्य के प्रमाण के रूप में, मूल के उत्पादन के आगे के प्रमाण के बिना किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगा, जिसमें प्रत्यक्ष साक्षय होगा

स्वीकार्य है। डीमिंग फिक्शन का कारण यह है कि साक्षय अधिनियम की धारा 3 द्वारा परिभाषित "दस्तावेज़" में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं हैं।

22. धारा 65 बी (2) तब उन शर्तों को संदर्भित करती है जो कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में संतुष्ट होनी चाहिए, और बताती है कि परीक्षण को शामिल किया जाना चाहिए।

65 बी (2 (ए)) से 65 (2 (डी)) की स्थितियों में यह है कि कंप्यूटर नियमित रूप सेविचाराधीन अवधि में नियमित रूप से की जाने वाली गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए जानकारी को संग्रहीत या संसाधित करने

के लिए उपयोग किया जाता है। उप-धारा 2 (ए) से 2 (डी) में उल्लिखित शर्तों को संचयी रूप से पूरा किया जाना चाहिए।

23. उप-धारा (4) के तहत, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है कि

बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करता है और उस तरीके का वर्णन करता है जिसमें इसे बनाया जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उत्पादन में शामिल उपकरण का विवरण देता है ताकि यह दिखाया जा सके कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंप्यूटर द्वारा या तो किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। संबंधित उपकरण के संचालन के संबंध में एक जिम्मेदार आधिकारिक पद पर कब्जा करना; या एक व्यक्ति जो "प्रासंगिक गतिविधियों" के प्रबंधन में है-जो भी उपयुक्त हो। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह भी है कि इस तरह के मामले को सबसे अच्छे लोगों को बताए जाने के लिए यह पर्याप्त होगा।

इसे बताने वाले व्यक्ति का ज्ञान और विश्वास "। यहाँ, "निम्नलिखित में से कोई भी काम करना". को निम्नलिखित सभी चीजों को करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संदर्भ को देखते हुए "कोई भी" अभिव्यक्ति का अर्थ "सभी" हो सकता है (उदाहरण के लिए, बंसीलाल अग्रवाल बनाम में इस न्यायालय के निर्णय देखें। बिहार राज्य (1962) 1 एस. सी. आर. 33 1 और ओम प्रकाश बनाम। संघ का

1 " 3. पहला तर्क इस धारणा पर आधारित है कि धारा 76 में "कोई भी" शब्द का अर्थ केवल "निदेशकों में से एक, और केवल एक शेयरधारक" है।

यह प्रश्न [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत (2010) 4 एससीसी 17 2. इस मामले में, उप-धारा (4) में उल्लिखित शर्तों की व्याख्या भी संचयी होने के रूप में की जानी चाहिए।

24. अब इस न्यायालय द्वारा धारा 65 बी की व्याख्या करने के तरीके की जांच करना उचित है। अनवर पी. वी. (उपर्युक्त) मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 65 ए और 65 बी निर्धारित करने के बाद, साक्षय अधिनियम, अभिनिर्धारित किया गया:

" 14. धारा 59 और 65-ए को ध्यान में रखते हुए साक्षय अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से कोई भी दस्तावेजी साक्षय केवल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही साबित किया जा सकता हैधारा 65-बी के तहत। धारा 65-बी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित है। इन प्रावधानों का उद्देश्य कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक रूप में द्वितीयक साक्षय को पवित्र करना है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि खंड एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होता है। इस प्रकार, साक्षय अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित कोई भी जानकारी जो एक कागज पर मुद्रित होती है, संग्रहीत की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है या कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या

चुंबकीय माध्यम में प्रतिलिपि बनाई जाती है, उसे केवल तभी दस्तावेज़ माना जाएगा जब उप-धारा (2) के तहत उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, बिना मूल के आगे के प्रमाण या उत्पादन के। ऐसे दस्तावेज़ यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिसे कंप्यूटर आउटपुट कहा जाता है, की स्वीकार्यता निर्भर करती है।

धारा 65 बी (2) के तहत चार शर्तों की संतुष्टि पर। साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी (2) के तहत निम्नलिखित निर्दिष्ट शर्तें हैं:

जहां तक धारा 76 में "कोई भी" शब्द की व्याख्या का संबंध है, आपराधिक अपील संख्या में उठाया गया था। 98 1959 के 106 तक (खानों के मुख्य निरीक्षक, आदि) और यह किया गया है

वहाँ निर्णय लिया गया कि "कोई भी" शब्द की व्याख्या वहाँ "हर एक" के रूप में की जानी चाहिए। इस प्रकार धारा 76 के तहत खदान के मालिक निजी कंपनी के प्रत्येक शेयरधारक और खदान के मालिक सार्वजनिक कंपनी के प्रत्येक निदेशक पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं उठता।

2 " 70. बी. आर. गुप्ता में पूर्ण पीठ की राय का अवलोकन-I [बालक राम गुप्ता बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1987 डेल 239] अधिनियम की धारा 6 के प्रथम प्रावधान के लिए स्पष्टीकरण 1 में "कोई भी" शब्द की व्याख्या के संबंध में स्पष्ट रूप से इंगित करेगा जो भूमि मालिकों के एक मामले में दिए गए स्थगन आदेश के दायरे को स्वचालित रूप से उन सभी भूमि मालिकों तक विस्तारित करता है, जिनकी भूमि अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचनाओं के तहत आती है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उनकी भूमि के संबंध में कोई अलग आदेश था या नहीं। पूर्ण पीठ द्वारा निर्दिष्ट तर्क, प्रासंगिक भाग जिनके ऊपर पुनः प्रस्तुत किए गए हैं, उचित, उपयुक्त, कानूनी और उचित प्रतीत होते हैं। जुन पन्डित्राव खोतकर बनाम।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

( i) जानकारी वाला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उस अवधि के दौरान कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जिस अवधि में उस अवधि में नियमित रूप से की जाने वाली किसी भी गतिविधि के उद्देश्य से जानकारी को संग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए इसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता था।

उस कंप्यूटर के उपयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति; ( (ii) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित या जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त की जाती है, उसकी जानकारी नियमित रूप से दी जाती थी।

उक्त गतिविधि के सामान्य पाठ्यक्रम में कंप्यूटर में डाला गया;

( iii) उक्त अवधि के भौतिक भाग के दौरान, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था और भले ही यह कुछ समय के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा था, ब्रेक या ब्रेक ने रिकॉर्ड या इसकी सामग्री की सटीकता को प्रभावित नहीं किया था; और

( (iv) अभिलेख में निहित जानकारी में दी गई जानकारी से पुनरुत्पादन या व्युत्पत्ति होनी चाहिए।

साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी (2) के तहत उल्लिखित; और ( ई) प्रमाण पत्र पर एक व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए

संबंधित उपकरण के संचालन के संबंध में जिम्मेदार आधिकारिक स्थिति।

16. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति को केवल यह बताने की आवश्यकता है कि

यह प्रमाणित करें कि यह उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के प्रमाण पत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे कंप्यूटर प्रिंटआउट, कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी), वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क (वीसीडी), पेन ड्राइव आदि होना चाहिए, जिसके बारे में एक विवरण [2020] 7 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साक्षय के रूप में दिए जाने की मांग की जाती है, जब उसे साक्षय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये सभी सुरक्षा उपाय स्रोत और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं, जो संबंधित दो लक्षण हैं -

18. साक्षय अधिनियम मौखिक साक्षय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाण पर विचार या अनुमति नहीं देता है यदि साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी के तहत आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है, जैसा कि अब भारत में कानून है। XXX XXX XXX

20. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाण साक्षय अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करते हुए आई. टी. अधिनियम द्वारा शुरू किया गया एक विशेष प्रावधान है। साक्षय अधिनियम की धारा 65-ए का शीर्षक, जिसे धारा 59 और 65-बी के साथ पढ़ा जाता है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित साक्षय पर विशेष प्रावधान साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा शासित होंगे।

यह अपने आप में एक पूर्ण कोड है। एक विशेष कानून होने के कारण, धारा 63 और 65 के तहत सामान्य कानून को मान लेना पड़ता है।21. राज्य में (एन. सी. टी. दिल्ली) v. इस न्यायालय के दो-न्यायाधीशों की पीठ, नवजोत संधू के पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के रूप में पेश करने के मुद्दे पर विचार करने का अवसर था। प्रिंटआउट पर विचार करते समय

सेलफोन से संबंधित कॉल के कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड में से, यह पैरा 150 पर निम्नानुसार आयोजित किया गया था: ( एस. सी. सी पी. 714) " 150. धारा 63 के अनुसार, "द्वितीयक साक्षय" का अर्थ है और इसमें अन्य बातों के अलावा, 'यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियां जो स्वयं में

प्रतिलिपि की सटीकता का बीमा करती हैं, और ऐसी प्रतियों की तुलना में प्रतियां' शामिल हैं। धारा 65 किसी दस्तावेज़ की सामग्री के द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है यदि मूल ऐसी प्रकृति का है जो आसानी से चल नहीं सकता है। यह विवाद में नहीं है कि कॉल रिकॉर्ड में निहित जानकारी विशाल सर्वरों में संग्रहीत की जाती है जिन्हें आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

और अदालत में पेश किया गया। उच्च न्यायालय ने भी पैरा 276 में यही टिप्पणी की है। इसलिए, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कंप्यूटर/सर्वर से लिए गए प्रिंटआउट और सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए प्रिंटआउट को एक गवाह के माध्यम से साक्ष्य में ले जाया जा सकता है जो प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर की पहचान कर सकता है या अन्यथा उसके व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर तथ्यों की बात कर सकता है। धारा 65-बी की आवश्यकताओं के अनुपालन के बावजूद, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित एक प्रावधान है, साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों, अर्थात् धारा 63 और 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं है। यह हो सकता है कि उप में विवरण वाला प्रमाण पत्र

यह देखा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक जिम्मेदार अधिकारी ने प्रस्तुत करने के समय ही दस्तावेज़ को विधिवत प्रमाणित किया था। प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर की भी पहचान की गई थी। यह स्पष्ट रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में है। हालांकि, यह माना गया कि धारा 65-बी की आवश्यकताओं के अनुपालन के बावजूद, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित एक विशेष प्रावधान है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की धारा 63 और 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं है।

22. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित साक्ष्य, जैसा कि उल्लेख किया गया हैइससे पहले, एक विशेष प्रावधान होने के नाते, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के साथ पठित धारा 63 के तहत द्वितीयक साक्ष्य पर सामान्य कानून उसी को स्वीकार करेगा। जनरलिया स्पेशलिबस नॉन

अपमानजनक, विशेष कानून हमेशा सामान्य कानून पर हावी रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता से संबंधित धारा 59 और 65-ए पर ध्यान देना छोड़ दिया। धारा 63 और 65 का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से द्वितीयक साक्ष्य के मामले में कोई आवेदन नहीं है; यह पूरी तरह से धारा 65-ए और 65-बी द्वारा शासित है। उस हद तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर कानून का बयान, जैसा कि कहा गया है।

इस अदालत द्वारा नवजोत संधू मामले में, सही कानूनी स्थिति निर्धारित नहीं की गई है। इसे रद्द करने की आवश्यकता है और हम ऐसा करते हैं। द्वितीयक साक्ष्य के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड [2020] 7 एस. सी. आर. नहीं होगा।

साक्षय में स्वीकार किया जाता है जब तक कि धारा 65-बी के तहत आवश्यकताएं न हों।

संतुष्ट हैं। इस प्रकार सी. डी., वी. सी. डी., चिप आदि के मामले में भी ऐसा ही है।

धारा 65-बी के संदर्भ में प्रमाण पत्र के साथ होगा

दस्तावेज़ लेते समय प्राप्त किया गया, जिसके बिना,

उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित द्वितीयक साक्षय है - अस्वीकार्य।

सी. डी., एक्स. टी. एस. के संबंध में धारा 65-बी की शर्तें। पी-4, पी-8, पी-9,पी-10, पी-12, पी-13, पी-15, पी-20 और पी-22। इसलिए, इसे साक्षय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, पूरे मामले के बारे में स्थापित किया गया

गीतों, घोषणाओं और भाषणों का उपयोग करने की भ्रष्ट प्रथा

जमीन पर गिर जाते हैं।24. स्थिति अलग होती अगर अपीलार्थी

घोषणा और गीतों के लिए उपयोग की जाने वाली सीडी। क्या उन सीडी का उपयोग किया गया था आपत्तिजनक गीतों या घोषणाओं को विधिवत जब्त कर लिया गया है

पुलिस या चुनाव आयोग और उसी का उपयोग किया गया था

प्राथमिक साक्षय, उच्च न्यायालय भी ऐसा ही कर सकता था

अदालत यह देखने के लिए कि क्या आरोप सही थे। ऐसा नहीं है कि इस मामले में। भाषण, गीत और घोषणाएँ

अन्य उपकरणों का उपयोग करके और उन्हें एक में खिलाकर रिकॉर्ड किया गया था

कंप्यूटर, सी. डी. वहाँ से बनाए गए थे जिनका उत्पादन किया गया था।

न्यायालय, उचित प्रमाणन के बिना। उन सीडी में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है।

धारा 65-बी की अनिवार्य आवश्यकताओं के बाद से साक्षय

साक्षय अधिनियम संतुष्ट नहीं हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि

इसके बावजूद कि हमने यहाँ पूर्व में क्या कहा है

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के द्वितीयक साक्षय पर पैराग्राफ साक्षय अधिनियम की धारा 59,65-ए और 65-बी का संदर्भ, यदि

एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग प्राथमिक साक्षय के रूप में किया जाता है साक्षय अधिनियम की धारा 62, वही साक्षय में स्वीकार्य है,

धारा 65-बी की शर्तों का पालन किए बिना

साक्षय अधिनियम "।

5. श्री उपाध्याय ने पैराग्राफ की भाषा पर आपत्ति जताई

यह निर्णय। विद्वान वकील के अनुसार, प्राथमिक और

धारा 61 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के बारे में आवश्यक साक्षय

साक्षय अधिनियम को इलेक्ट्रॉनिक की स्वीकार्यता से बाहर रखा जाना चाहिए

डीएस, इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 65 ए और 65 बी एक पूर्ण कोड ई विषय हैं।

जुन पन्डित्राव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]26. इस मोड़ पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिविल साक्षय अधिनियम 1968 (यू. के.) की धारा 5 में धारा 65 बी का अपना आधार है, जो कहता है:

कमियाँ:

" कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत बयानों की स्वीकार्यता।

( 1 ) किसी भी दीवानी कार्यवाही में दस्तावेज़ में निहित एक बयान

न्यायालय के नियमों के अधीन रहते हुए कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा -

उसमें बताए गए किसी भी तथ्य के साक्षय के रूप में स्वीकार्य जिसके बारे में निर्देश दिया गया हैमौखिक साक्षय स्वीकार्य होगा, यदि यह दिखाया जाता है कि नीचे उप-धारा (2) में उल्लिखित शर्तें इसके संबंध में संतुष्ट हैं।

बयान और विचाराधीन कंप्यूटर।

( 2 ) उक्त शर्तें हैं -

( क) कि विवरण वाला दस्तावेज़ कंप्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया था जब कंप्यूटर का उपयोग उस अवधि में नियमित रूप से की जाने वाली किसी भी गतिविधि के उद्देश्यों के लिए जानकारी

को संग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए नियमित रूप से किया जाता था, चाहे वह लाभ के लिए हो या नहीं, किसी भी निकाय द्वारा, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या किसी भी व्यक्ति द्वारा;

बयान में निहित प्रकार या जिस प्रकार से इस प्रकार निहित जानकारी प्राप्त की गई है; ( ग) कि उस अवधि के पूरे भौतिक भाग में कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था या, यदि नहीं, तो कोई भी संबंध जिसमें यह ठीक से काम नहीं कर रहा था या उस भाग के दौरान संचालन से बाहर था।

उस अवधि में उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

दस्तावेज़ या इसकी सामग्री की सटीकता; और ( घ) कि कथन में निहित जानकारी सामान्य रूप से कंप्यूटर को प्रदान की गई जानकारी से पुनः प्रस्तुत या प्राप्त की गई है।

उन गतिविधियों का क्रम।

( ख) उस अवधि में लगातार काम करने वाले विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा;



( ग) उस अवधि में लगातार काम करने वाले कंप्यूटरों के विभिन्न संयोजनों द्वारा; या

( घ) एक या अधिक कंप्यूटरों और कंप्यूटरों के एक या अधिक संयोजनों के उस अवधि में, किसी भी क्रम में, क्रमिक संचालन से जुड़े किसी भी अन्य तरीके से, उस अवधि के दौरान उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटरों को इस अधिनियम के इस भाग के प्रयोजनों के लिए एक एकल कंप्यूटर के रूप में माना जाएगा और इस अधिनियम के इस भाग में कंप्यूटर के संदर्भों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

( 4 ) किसी भी दीवानी कार्यवाही में जहां इस धारा के आधार पर साक्षय में बयान देना वांछित है, एक प्रमाण पत्र जो निम्नलिखित में से कोई भी काम करता है, अर्थात

( क) कथन वाले दस्तावेज़ की पहचान करना और उसे प्रस्तुत करने के तरीके का वर्णन करना; ( ख) उस दस्तावेज़ के निर्माण में शामिल किसी भी उपकरण का ऐसा विवरण देना जो यह दिखाने के उद्देश्य से उचित हो कि दस्तावेज़ एक कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था;

( ग) उन मामलों में से किसी से निपटना जिसके लिए शर्तें हैं।

ऊपर उप-धारा (2) में उल्लिखित,

और सुसंगत उपकरण के संचालन या सुसंगत गतिविधियों के प्रबंधन (जो भी उपयुक्त हो) के संबंध में एक जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना प्रमाण पत्र में बताए गए किसी भी मामले का प्रमाण होगा और इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए यह किसी मामले के लिए पर्याप्त होगा -

इसे बताने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कहा जाए। ( 5 ) इस अधिनियम के इस भाग के प्रयोजनों के लिए

( क) जानकारी को कंप्यूटर को आपूर्ति के रूप में लिया जाएगा यदि इसे किसी उपयुक्त रूप में प्रदान किया जाता है और क्या ऐसा हैकिसी भी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से सीधे या (मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना) आपूर्ति की गई;

( ख) जहाँ, किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दौरान, जानकारी को इस दृष्टि से प्रदान किया जाता है कि उसे कंप्यूटर द्वारा उन गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए संग्रहीत या संसाधित किया जा रहा है।

उन गतिविधियों के दौरान के अलावा अन्यथा संचालित किया गया, कि अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

चाहे इसका उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से किया गया हो या (मानव के साथ या उसके बिना)हस्तक्षेप) किसी भी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से।

( 6 ) उपरोक्त उप-धारा (3) के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के इस भाग में " "कंप्यूटर" का अर्थ है भंडारण और प्रसंस्करण के लिए कोई उपकरण।

जानकारी, और प्राप्त की जा रही जानकारी का कोई भी संदर्भ

अन्य जानकारी इसके द्वारा व्युत्पन्न होने का एक संदर्भ है

गणना, तुलना या कोई अन्य प्रक्रिया।

27. यह ध्यान दिया जा सकता है कि साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी की उप-धारा (2) से (5) साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी की उप-धारा (2) से (5) का पुनरुत्पादन है।सिविल साक्षय अधिनियम, 1968 की धारा 5, मामूली परिवर्तनों के साथ। सिविल साक्षय अधिनियम की धारा 5 (6) के तहत "कंप्यूटर" की परिभाषा,

1968 हालाँकि, सूचना की धारा 2 (i) द्वारा अपनाया नहीं गया था।

प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक अधिक जटिल और जटिल प्रकृति की 'साधन और शामिल' परिभाषा है। नागरिक साक्षय अधिनियम, 1968 की धारा 6 (1) और (5) पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि

इस प्रकार है:

" ( 1 ) जहाँ किसी दीवानी कार्यवाही में एक बयान में निहित है -

दस्तावेज़ को धारा के आधार पर साक्षय के रूप में देने का प्रस्ताव है2 , 4 या इस अधिनियम के 5 यह, अदालत के किसी भी नियम के अधीन, उस दस्तावेज़ को प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है या (चाहे वह

दस्तावेज़ अभी भी अस्तित्व में है) उस दस्तावेज़ की एक प्रति, या उसके भौतिक भाग की एक प्रति के उत्पादन द्वारा, जो इस तरह से प्रमाणित है। जिस तरह से अदालत मंजूरी दे।

( 5 ) यदि किसी प्रमाण पत्र में कोई व्यक्ति सिविल में साक्षय देता है इस अधिनियम की धारा 5 (4) के आधार पर कार्यवाही जानबूझकर एक

उन कार्यवाहियों में कथन सामग्री जिसे वह जानता है

झूठा है या सच नहीं मानता है, वह दोषसिद्धि पर उत्तरदायी होगा

यू. के. पुलिस और आपराधिक साक्षय अधिनियम, 1984 की धारा 69 साक्षय से संबंधित है।

आपराधिक कार्यवाही में कंप्यूटर रिकॉर्ड। धारा 69 इस प्रकार है:

“ 69 . - ( 1 ) किसी भी कार्यवाही में, कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ में एक बयान उसमें बताए गए किसी भी तथ्य के प्रमाण के रूप में तब तक स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि इसे दिखाया न जाए।

( क) कि यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं हैं कि कथन है

उस कंप्यूटर के अनुचित उपयोग के कारण गलत; [2020] 7 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दो साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास के लिए अभियोग पर

या जुर्माना या दोनों।

28. धारा 6 (1), संक्षेप में, दोनों के बीच द्विभाजन को बनाए रखती है।

'प्राथमिक' और 'द्वितीयक' साक्षय द्वारा प्रमाण-'दस्तावेज़' के स्वयं के प्राथमिक साक्षय होने का प्रमाण, और के उत्पादन द्वारा प्रमाण

उस दस्तावेज़ की एक प्रति, जैसा कि प्रमाणित है, गौण साक्षय है।

( ख) कि सभी भौतिक समय पर कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था, या यदि नहीं, तो कोई भी संबंध जिसमें यह ठीक से काम नहीं कर रहा था या संचालन से बाहर था, ऐसा नहीं था कि दस्तावेज़ के उत्पादन या इसकी सटीकता को प्रभावित करे।

सामग्री; और

( ग) कि उप-धारा (2) के अधीन न्यायालय के नियमों में विनिर्दिष्ट कोई सुसंगत शर्तें।

नीचे संतुष्ट हैं।

( 2 ) न्यायालय के नियमों द्वारा यह अपेक्षा करते हुए प्रावधान किया जा सकता है कि किसी भी कार्यवाही में जहां इस धारा के आधार पर साक्षय में बयान देना वांछित है, उस बयान से संबंधित ऐसी जानकारी जो नियमों द्वारा आवश्यक हो, उस रूप में और उस समय प्रदान की जाएगी जिसकी इस प्रकार आवश्यकता हो।धारा 70 द्वारा, इस अधिनियम की धारा 68 और 69 को उसकी अनुसूची 3 के साथ पढ़ा जाना था, जिसके प्रावधान धारा 68 और 69 के समान प्रभावी थे। भाग I

अनुसूची 3 धारा 68 का पूरक है। अनुसूची 3 के भाग 1 के महत्व के बावजूद, हम इसके केवल दो प्रावधानों का उल्लेख करने का प्रस्ताव करते हैं, अर्थात्:

" 1. उपरोक्त धारा 68 (1) लागू होती है कि क्या दस्तावेज़ में निहित जानकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई थी, लेकिन यदि इसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया गया था, तो केवल तभी जब प्रत्येक व्यक्ति जिसके माध्यम से इसे प्रदान किया गया था वह एक कर्तव्य के तहत कार्य कर रहा था; और यह भी लागू होता है जहां रिकॉर्ड संकलित करने वाला व्यक्ति स्वयं वह व्यक्ति है जिसके द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है। " 6. ऊपर की धारा 68 में या इस अनुसूची के इस भाग में किसी कर्तव्य के तहत कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी संदर्भ में किसी भी व्यापार, व्यवसाय, पेशे या अन्य व्यवसाय के दौरान कार्य करने वाले व्यक्ति का संदर्भ शामिल है जिसमें वह लगा हुआ है या नियोजित है या उसके द्वारा आयोजित किसी भी भुगतान या अवैतनिक पद के प्रयोजनों के लिए है।

भाग II महत्वपूर्ण मामलों में धारा 69 का पूरक है। इसके दो प्रावधान प्रासंगिक हैं, अर्थात्" 8. किसी भी कार्यवाही में जहां उपरोक्त धारा 69 के अनुसार साक्षय में बयान देना वांछित है, एक प्रमाण पत्र

( क) कथन वाले दस्तावेज़ की पहचान करना और उसमें तरीके का वर्णन करना।

जिसका उत्पादन किया गया था;

( ख) उस दस्तावेज़ के उत्पादन में शामिल किसी भी उपकरण का ऐसा विवरण देना जो यह दिखाने के उद्देश्य से उचित हो कि दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया था

कंप्यूटर;

( ग) उपरोक्त धारा 69 (1) में उल्लिखित किसी भी मामले से निपटने के लिए; और

( घ) कंप्यूटर के संचालन के संबंध में एक उचित पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने का तात्पर्य, इसमें बताई गई किसी भी बात का प्रमाण होगा; और इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह किसी मामले को सर्वश्रेष्ठ को बताए जाने के लिए पर्याप्त होगा।

इसे बताने वाले व्यक्ति के ज्ञान और विश्वास का।

9. उपरोक्त पैराग्राफ 8 के बावजूद, एक अदालत को मौखिक साक्षय देने की आवश्यकता हो सकती है जिसके बारे में उस पैराग्राफ के तहत प्रमाण पत्र द्वारा साक्षय दिया जा सकता है।

} अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

धारा 6 (5), जो अधिनियम की धारा 5 (4) में उल्लिखित प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति को प्रमाण पत्र में जानबूझकर दिए गए झूठे बयानों को दंडित करके अधिकार देती है, को भारतीय साक्षय अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। सितंबर, 1993 (लॉ कॉम) में प्रकाशित यूके विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इन धाराओं को 1995 (यूके) के नागरिक साक्षय अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है। सं. 216), जिसके द्वारा सुनी-सुनाई गवाही के बारे में सख्त नियम में ढील दी गई थी, और सुनी-सुनाई गवाही को 1995 के नागरिक साक्षय अधिनियम द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों में स्वीकार्य बनाया गया था। इस अधिनियम की धारा 8,9 और 13 महत्वपूर्ण हैं और इनका उल्लेख किया गया है।

नीचे दिया गया है:

" 8. दस्तावेजों में निहित बयानों का प्रमाण।

( 1 ) जहाँ किसी दस्तावेज़ में निहित कथन दीवानी कार्यवाही में साक्षय के रूप में स्वीकार्य है, वहाँ इसे साबित किया जा सकता है।

( (क) उस दस्तावेज़ को प्रस्तुत करके, या

( ख) वह दस्तावेज़ अभी भी अस्तित्व में है या नहीं, उस दस्तावेज़ की एक प्रति या उसके भौतिक भाग की एक प्रति प्रस्तुत करके,

इस तरह से प्रमाणित किया जाता है जिसे अदालत मंजूरी दे।

( 2 ) इस उद्देश्य के लिए यह मायने नहीं रखता कि कितने निष्कासन हैं।

( 1 ) एक दस्तावेज जिसे किसी व्यवसाय या सार्वजनिक प्राधिकरण के रिकॉर्ड का हिस्सा दिखाया गया है, बिना किसी और सबूत के दीवानी कार्यवाही में साक्षय के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ( 2 ) एक दस्तावेज़ को किसी व्यवसाय या सार्वजनिक प्राधिकरण के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए लिया जाएगा

यदि अदालत को उस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिस पर व्यवसाय के किसी अधिकारी या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

अधिकार जिससे अभिलेख संबंधित हैं। इस उद्देश्य के लिए

( क) व्यवसाय या सार्वजनिक प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र होने का तात्पर्य रखने वाले दस्तावेज़ को ऐसे अधिकारी द्वारा विधिवत दिया गया और उसके द्वारा हस्ताक्षरित माना जाएगा; और

( बी) एक प्रमाण पत्र को एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित माना जाएगा यदि इसका उद्देश्य है

उनके हस्ताक्षर की प्रतिकृति धारण करने के लिए। ( 3 ) किसी व्यवसाय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अभिलेखों में प्रविष्टि की अनुपस्थिति को दीवानी कार्यवाही में एक के शपथ पत्र द्वारा साबित किया जा सकता है

व्यवसाय या प्राधिकरण का अधिकारी जिसके अभिलेख संबंधित हैं।



( 4 ) इस खंड में

" अभिलेख "से किसी भी रूप में अभिलेख अभिप्रेत है;

" "व्यवसाय" में कोई भी गतिविधि शामिल है जो नियमित रूप से किसी भी अवधि में की जाती है, चाहे वह लाभ के लिए हो या नहीं, किसी भी निकाय द्वारा (चाहे वह निगमित हो)।

या नहीं) या किसी व्यक्ति द्वारा;

" "अधिकारी" में व्यवसाय या सार्वजनिक प्राधिकरण की प्रासंगिक गतिविधियों के संबंध में एक जिम्मेदार पद पर काबिज कोई भी व्यक्ति शामिल है।

" सार्वजनिक प्राधिकरण में कोई भी सार्वजनिक या वैधानिक उपक्रम, कोई भी सरकारी विभाग और इसके तहत पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है। महामहिम।

( 5 ) न्यायालय, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्देश दे सकता है कि इस धारा के उपरोक्त सभी या कोई भी प्रावधान किसी विशेष दस्तावेज या रिकॉर्ड, या दस्तावेजों या रिकॉर्ड के विवरण के संबंध में लागू नहीं होते हैं।

इस अधिनियम की धारा 13 "दस्तावेज़" को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" दस्तावेज़ "का अर्थ है कुछ भी जिसमें किसी विवरण की जानकारी दर्ज की गई है, और दस्तावेज़ के संबंध में" प्रतिलिपि "का अर्थ है कुछ भी जिस पर दस्तावेज़ में दर्ज जानकारी की प्रतिलिपि बनाई गई है, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो।

29. इस अधिनियम की धारा 15 (2) उसमें अनुसूची II में उल्लिखित अधिनियमों को निरस्त करती है और अनुसूची II नागरिक साक्षय के भाग I को निरस्त करती है।

अधिनियम, 1968-जिसमें से धारा 5 और 6 एक भाग थे। इस अधिनियम में "अभिलेख" और "दस्तावेज" की परिभाषा से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित "दस्तावेज" का हिस्सा माना जाता है, जिसके लिए अलग से किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती है।

स्वीकार्यता या प्रमाण के रूप में उपचार। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यू. के. के कानून में, जैसा कि वर्तमान में है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न साक्षय और अन्य साक्षय के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है, या तो इस तरह के साक्षय की स्वीकार्यता, या वजन का जुड़ाव। 30. भारतीय साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी पर वापस आते हुए, उप-धारा (1) का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उप-खंड अनऑन ऑब्स्टैंट खंड से शुरू होता है, और फिर कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी का उल्लेख करता है, जो कि एक काल्पनिक कल्पना द्वारा, फिर एक "दस्तावेज़" बनाया जाता है। यह काल्पनिक कल्पना केवल तभी प्रभावी होती है जब खंड में उल्लिखित आगे की शर्तें अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम के संबंध में संतुष्ट होती हैं।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह स्पष्ट करें कि एक बार धारा में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के बाद, "मानित दस्तावेज" अब मूल की किसी भी सामग्री या उसमें बताए गए किसी भी तथ्य के प्रमाण के रूप में मूल के और प्रमाण या उत्पादन के बिना साक्षय में स्वीकार्य हो जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष साक्षय स्वीकार्य होगा।31. उप-धारा (1) में गैर-वस्तुनिष्ठ खंड यह स्पष्ट करता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी की बात आती है,

इसकी स्वीकार्यता और प्रमाण धारा 65 बी की कवायद का पालन करना चाहिए, जो इस संबंध में एक विशेष प्रावधान है-धारा 62 से 65 इस उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है। हालांकि, धारा 65 बी (1) स्पष्ट रूप से दोनों के बीच अंतर करती है।

"मूल" दस्तावेज़-जो "कंप्यूटर" में निहित मूल "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" होगा जिसमें मूल जानकारी पहले संग्रहीत की जाती है-और ऐसी जानकारी वाले कंप्यूटर आउटपुट, जो तब

इसे "मूल" दस्तावेज़ की सामग्री के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है। यह सब अनिवार्य रूप से दर्शाता है कि धारा 65 बी के बीच अंतर है -

"कंप्यूटर" में निहित मूल जानकारी और उससे बनाई गई प्रतियां-पहला प्राथमिक साक्षय है, और दूसरा द्वितीयक साक्षय है। 32. स्पष्ट रूप से, उप-धारा (4) में अपेक्षित प्रमाण पत्र अनावश्यक है यदि मूल दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत किया जाता है। यह हो सकता है

एक लैपटॉप कंप्यूटर, एक कंप्यूटर टैबलेट या यहां तक कि एक मोबाइल फोन के मालिक द्वारा, गवाह बॉक्स में कदम रखते हुए और यह साबित करते हुए किया जाता है कि संबंधित उपकरण, जिस पर मूल जानकारी पहली बार संग्रहीत की जाती है, उसके स्वामित्व में है और/या उसके द्वारा संचालित है। जिन मामलों में "कंप्यूटर", जैसा कि परिभाषित किया गया है, एक "कंप्यूटर प्रणाली" या "कंप्यूटर नेटवर्क" (जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित किया गया है) का हिस्सा होता है और ऐसे नेटवर्क या प्रणाली को भौतिक रूप से न्यायालय में लाना असंभव हो जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी को साबित करने का एकमात्र साधन धारा 65 बी (1) के अनुसार, धारा 65 बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ हो सकता है। इस मामले को देखते हुए, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अनवर पी. वी. (उपर्युक्त) के पैराग्राफ 24 में अंतिम वाक्य में क्या निहित है जो इस प्रकार है "... यदि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग साक्षय की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्षय के रूप में किया जाता है। ऐक्ट. " इसे "साक्षय अधिनियम की धारा 62 के तहत" शब्दों के बिना अधिक उचित रूप से पढ़ा जा सकता है। इस छोटे से स्पष्टीकरण के साथ, अनवर पी. वी. (ऊपर) के पैराग्राफ 24 में बताए गए कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

[ 2020 ] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. वास्तव में, विक्रम सिंह और अन्र में। वी. पंजाब राज्य और

एन. आर. ( 2017 ) 8 एस. सी. सी. 518, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अनवर पी. वी. (उपरोक्त) में कानून का पालन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि जहां इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राथमिक साक्षय प्रस्तुत किया गया है, वहां धारा 65 बी के तहत किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यह इस प्रकार कहा गया था:

" 25. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि टेप-रिकॉर्ड किया गया बिना किसी प्रमाण पत्र के बातचीत पर भरोसा किया गया है

कि ऑडियो टेप चुंबकीय मीडिया पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, वही हो सकता हैधारा 65-बी के तहत एक प्रमाण पत्र के माध्यम से स्थापित किया जाए और

प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति, वह दस्तावेज़ जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, एक वैध साक्षय नहीं माना जा सकता है और

विचार से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। रिलायंस को रखा गया हैअनवर में इस न्यायालय के फैसले पर विद्वान वकील द्वारा

पी. वी. वी. पी. के. बशीर लैंडलाइन फोन पर बातचीत

शिकायतकर्ता द्वारा एक दुकान में स्थित शिकायत दर्ज की गई थी। वही कैसेट जिसमें बातचीत होती है जिसके द्वारा फिरौती की कॉल की जाती है

पुलिस को मूल रूप से शिकायतकर्ता। इस न्यायालय ने अपने फैसले में दिनांकित 25-1-2010 ने उपरोक्त तथ्य का उल्लेख किया है और नोट किया है

निम्नलिखित प्रभाव के लिए उक्त तथ्यः

और पुलिस ने सुना। 26. टेप-रिकॉर्ड की गई बातचीत गौण सबूत नहीं थी

जिसके लिए धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि यह था

मूल कैसेट जिसके द्वारा फिरौती कॉल को टेप-रिकॉर्ड किया गया था, वहाँ

धारा 65 द्वारा विचार किए गए प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में दर्ज करना। बी एक अनिवार्य शर्त है। 4

34. अनवर पी. वी. (ऊपर) में घोषित कानून के बावजूद, जिसमें

इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि साक्षय अधिनियम की धारा 65 ए और 65 बी के विशेष प्रावधान अपने आप में एक पूर्ण संहिता हैं।

4 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (जैसा कि ऊपर दिया गया है) के तहत "डेटा", "इलेक्ट्रॉनिक रूप" और "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" की परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि "डेटा" और "इलेक्ट्रॉनिक रूप" में "चुंबकीय या ऑप्टिकल भंडारण माध्यम" शामिल है, जिसमें विक्रम सिंह (उपरोक्त) में चर्चा की गई ऑडियो टेप/कैसेट शामिल होगी।

जुन पन्डित्राव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]इलेक्ट्रॉनिक डी. एस. में निहित जानकारी के साक्षय की ग्राह्यता के लिए, और यह भी कि धारा 65 बी (4) के तहत एक लिखित प्रमाण पत्र ऐसे साक्षय की ग्राह्यता के लिए एक अनिवार्य शर्त है, टोमासो ब्रूनो (ऊपर) में एक विसंगत टिप्पणी की गई थी। इस फैसले में, एक अन्य तीन पीठ ने एक आपराधिक मामले में साक्षय की स्वीकार्यता पर विचार किया जिसमें सीसीटीवी फुटेज को साक्षय में भरोसा करने की मांग की गई थी। द.

टी आयोजितः

" 24. सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, व्यक्ति में और संस्थागत स्तर पर वैज्ञानिक मनोवृत्ति जांच के तरीकों में व्याप्त है। बढ़ते प्रभाव के साथरोजमर्रा की जिंदगी में प्रौद्योगिकी और इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन

एक कंप्यूटर द्वारा, निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन धारा 65-ख की उप-धारा (2) में। दस्तावेज़ की सामग्री का द्वितीयक साक्षय भी साक्षय की धारा 65 के तहत दिया जा सकता है।

एक्ट करें। पीडब्लू 13 ने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन उन्होंने केस डायरी में इसे रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि इसमें कुछ भी ठोस नहीं है।

सबूत इसमें मौजूद थे। 25. साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी के तहत न्यायालय में वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्षय का उत्पादन निम्नानुसार है -

जाँच एजेंसी और अभियोजन पक्ष को भी बहुत मदद। इलेक्ट्रॉनिक साक्षय की प्रासंगिकता मोहम्मद के प्रकाश में भी स्पष्ट है। अजमल आमिर कसाब बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(2012) 9 एस. सी. सी. 1], जिसमें इंटरनेट लेनदेन के प्रतिलेखों के उत्पादन ने अभियोजन पक्ष के मामले को आरोपी के अपराध को साबित करने में बहुत मदद की। इसी तरह, राज्य में (एन. सी. टी. दिल्ली) v.

नवजोत संधू, [2020] 7 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मारे गए आतंकवादियों और हमले के मास्टरमाइंडों के बीच संबंध केवल मोबाइल सेवा प्रदाताओं से प्राप्त फोन कॉल प्रतिलेखों के माध्यम से स्थापित किए गए थे।

35. इस फैसले से जो बात स्पष्ट है वह यह है कि अनवर पी. वी. (उपरोक्त) के फैसले का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया था। वास्तव में, राज्य बनाम में निर्णय। नवजोत संधू (2005) 11 एस. सी. सी. 600 का विज्ञापन किया गया था।

विशेष रूप से अनवर पी. वी. (ऊपर) द्वारा खारिज किया गया निर्णय। यह भी कहा जा सकता है कि इस निर्णय द्वारा धारा 65 बी (4) को भी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए, टोमासो ब्रूनो (ऊपर) में कानून की घोषणा निम्नलिखित है

36. अब हम शफी मोहम्मद (ऊपर) के निर्णय पर आते हैं। इस मामले में, दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा 30.01.2018 दिनांकित आदेश द्वारा इस न्यायालय के बारे में कहा गया था:

" 21. हम कुछ निर्णयों के माध्यम से लिए गए हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है। राम सिंह बनाम। राम सिंह बनाम राम सिंह। राम सिंह, 1985 पूरक एस. सी. सी. 611], तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त मुद्दे पर विचार किया। आर. वी. में अंग्रेजी निर्णय मकसूद अली [आर. वी.] मकसूद अली (1966) 1 क्यू. बी. 688] और आर. वी. रॉबसन [आर. वी.] रॉबसन, (1972) 1

डब्ल्यूएलआर 651] और अमेरिकी कानून जैसा कि अमेरिकी में उल्लेख किया गया है

न्यायशास्त्र 2 डी (खंड। 29) पी। 494 , अनुमोदन के साथ इस प्रभाव का हवाला दिया गया था कि नई तकनीकों और नए उपकरणों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले साक्षय लाभों के कानून से इनकार करना गलत होगा,

बशर्ते रिकॉर्डिंग की सटीकता साबित की जा सके। इस तरह

साक्षय पर हमेशा कुछ सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए और प्रत्येक मामले की सभी परिस्थितियों के आलोक में मूल्यांकन किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक साक्षय को सुरक्षा उपायों के अधीन स्वीकार्य माना गया था

उसी की प्रामाणिकता के बारे में न्यायालय द्वारा अपनाया गया। टेप-रिकॉर्डिंग के मामले में, यह देखा गया कि वक्ता की आवाज की विधिवत पहचान की जानी चाहिए, बयान की सटीकता को रिकॉर्ड बनाने वाले द्वारा साबित करने की आवश्यकता थी, छेड़छाड़ की संभावना को खारिज करने की आवश्यकता थी। साक्षय के टुकड़े की विश्वसनीयता निश्चित रूप से तथ्यों में निर्धारित की जाने वाली बात है और

एक तथ्य स्थिति की परिस्थितियाँ। हालांकि, किसी भी तकनीकी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक साक्षय की सीमा स्वीकार्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

यदि वही प्रासंगिक था।

जुन पन्डित्राव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

23. टोमासो में ब्रूनो बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [(2015) 7 एस. सी. सी. 178], एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक स्वभाव की उन्नति जांच के तरीके में व्याप्त होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक साक्षय तथ्यों को स्थापित करने के लिए प्रासंगिक थे। वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्षय एक जाँच एजेंसी के लिए एक बड़ी मदद हो सकती है। निर्णयों का संदर्भ दिया गया था मोहम्मद में यह न्यायालय। अजमल आमिर कसाब बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(2012) 9 एस. सी. सी. 1] और राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. नवजोत संधू।

24. तथापि, हम अनवर पी. वी. बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं। पी. के. बशीर, तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया। पैरा 24 में उक्त निर्णय में यह देखा गया कि प्राथमिक साक्षय के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्षय साक्षय अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत आता है, जिसके लिए साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी की प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं थी। हालांकि, माध्यमिक के लिए

साक्षय, साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता थी और नवजोत संधू में एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का द्वितीयक साक्षय हो सकता है

साक्षय अधिनियम की धारा 63 और 65 के तहत कवर किया गया, सही नहीं था। हालाँकि, पैरा 14 में इस आशय की टिप्पणियां हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को केवल साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी के अनुसार ही साबित किया जा सकता है।

25. हालांकि तोमासो ब्रूनो और राम सिंह [1985 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 611] में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्षय स्वीकार्य है और साक्षय अधिनियम की धारा 65-ए और 65-बी के तहत प्रावधान हैं।

स्पष्टीकरण और प्रक्रियात्मक प्रावधान हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक साक्षय प्रामाणिक और प्रासंगिक है तो निश्चित रूप से ऐसा ही हो सकता है

न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के अधीन इसकी प्रामाणिकता और इसकी स्वीकार्यता के लिए प्रक्रिया के बारे में संतुष्ट होना तथ्य स्थिति पर निर्भर कर सकता है जैसे कि क्या ऐसा साक्षय प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति धारा 65-बी (4) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में है।

[ 2020 ] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 65-ए और 65-बी को इस विषय पर एक पूर्ण संहिता नहीं माना जा सकता है। अनवर पी. वी. में, इस न्यायालय ने पैरा 24 में स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्राथमिक साक्षय साक्षय अधिनियम की धारा 65-ए और 65-बी के तहत नहीं आता है। प्राथमिक साक्षय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया दस्तावेज है और शब्द "दस्तावेज" को साक्षय अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, आकृतियों या निशानों के माध्यम से या उनमें से एक से अधिक माध्यमों से व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला है, जिसका उपयोग उस मामले को दर्ज करने के उद्देश्य से किया जाना है। 27. "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" शब्द को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 (1) (टी) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" 2. ( 1 ) ( टी) "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" का अर्थ है डेटा, रिकॉर्ड या डेटा उत्पन्न, छवि या ध्वनि संग्रहीत, प्राप्त या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा गया या

माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर से उत्पन्न माइक्रो फिशे; "

28. "डेटा" अभिव्यक्ति को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 (1) (ओ) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" 2. ( 1 ) ( 0 ) " "डेटा" का अर्थ है जानकारी, ज्ञान, तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रतिनिधित्व जो तैयार किए जा रहे हैं या हैं

एक औपचारिक तरीके से तैयार किया गया है, और इसका इरादा है संसाधित किया जा रहा है या कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधित किया गया है, और किसी भी रूप में हो सकता है (जिसमें कंप्यूटर प्रिंटआउट चुंबकीय या ऑप्टिकल भंडारण मीडिया, पंच्ड कार्ड, पंच्ड टेप शामिल हैं) या कंप्यूटर की स्मृति में आंतरिक रूप से संग्रहीत किया जा सकता है।

29. धारा 65 के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकता की प्रयोज्यताप्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के साक्षय अधिनियम के बी (4) को केवल तभी लागू किया जाना है जब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक साक्षय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो उक्त उपकरण के नियंत्रण में होने के कारण ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में है न कि विरोधी पक्ष के। ऐसे मामले में जहां

इलेक्ट्रॉनिक साक्षय एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसके पास कोई उपकरण नहीं है, साक्षय अधिनियम की धारा 63 और 65 की प्रयोज्यता को बाहर नहीं रखा जा सकता है। ऐसे मामले में, उक्त धाराओं के तहत प्रक्रिया निश्चित रूप से लागू की जा सकती है। यदि इसकी अनुमति नहीं है, तो यह उस व्यक्ति को न्याय से वंचित करना होगा जिसके पास अधिकार है।

प्रामाणिक साक्षय/गवाह, लेकिन साबित करने के तरीके के कारण, इस तरह के दस्तावेज़ को अदालत द्वारा अर्जुन पंडितराव खोटकार बनाम में विचार से बाहर रखा गया है।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी (4) के तहत प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति, जिसे प्रस्तुत करने वाला पक्ष संभवतः सुरक्षित नहीं कर सकता है। इस प्रकार, धारा 65-बी (4) के तहत प्रमाणपत्र की आवश्यकता हमेशा अनिवार्य नहीं होती है।

30. तदनुसार, हम इलेक्ट्रॉनिक साक्षय की स्वीकार्यता पर इस विषय पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं, विशेष रूप से एक पक्ष द्वारा जो

उत्पादित किया। ऐसे पक्ष को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी (4) के तहत। की प्रयोज्यता

प्रमाणपत्र के प्रक्रियात्मक होने की आवश्यकता में ढील दी जा सकती है

न्यायालय जहाँ कहीं भी न्याय का हित उचित ठहराता है।

2000 , जब 2000 के संशोधन अधिनियम 21 ने पहली बार साक्षय अधिनियम में धारा 65ए और 65बी को शामिल किया था और इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी के साक्षय में स्वीकार्यता के रूप में कानून की व्याख्या करने में कोई सहायता नहीं हो सकती है। इसी तरह, पैराग्राफ में उद्धृत निर्णय 22 , अर्थात् तुकाराम एस. दिघोले बनाम। माणिकराव शिवाजी कोकाटे (2010) 4 एस. सी.

सी. 329 भी एक निर्णय है जो धारा 65 बी से संबंधित नहीं है। वास्तव में, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 में न्यायालय के समक्ष मुद्दों को इस प्रकार बताया गया है:

" 20. हालाँकि, वर्तमान मामले में, विवाद यह नहीं है कि कैसेट एक सार्वजनिक दस्तावेज है या नहीं, बल्कि मुद्दे यह हैं कि क्या:

( i) न्यायाधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष कि यह दिखाने के लिए किसी भी साक्षय के अभाव में कि वीएचएस कैसेट अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया था

अपीलार्थी को सार्वजनिक दस्तावेज़ के रूप में विकृत नहीं माना जा सकता है; और ( (ii) केवल एक ऑडियो कैसेट का उत्पादन, यह मानते हुए कि वह चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रमाणित प्रति है, इस तथ्य का निर्णायक है कि कैसेट में जो निहित है वह कथित रूप से प्रतिवादी या उसके एजेंट द्वारा दिए गए भाषण की सही और सही रिकॉर्डिंग है? ”

दूसरे मुद्दे का जवाब उन फैसलों के संदर्भ में दिया गया था जो धारा 65 बी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे।

38. पैराग्राफ 23 में टोमासो ब्रूनो (ऊपर) में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से बहुत मदद ली गई, जो, जैसा कि कहा गया है [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऊपर, धारा 65 बी पर कानून को सही ढंग से नहीं बताया गया है। अनवर पी. वी. (ऊपर) का उल्लेख पैराग्राफ 24 में किया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, पैराग्राफ 26 में, अदालत ने कहा कि धारा 65 ए और 65 बी को पैराग्राफ 24 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

अनवर पी. वी. (ऊपर) में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जो कहा गया था, उसके सीधे विपरीत, इस विषय पर पूर्ण संहिता। तब यह "स्पष्ट" किया गया कि धारा 64 बी (4) के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता, प्रक्रियात्मक होने के कारण, न्यायालय द्वारा जहां भी न्याय का हित उचित है, उसमें ढील दी जा सकती है, और एक परिस्थिति जिसमें न्याय का हित इस तरह से उचित होगा, वह होगी जहां इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो इसमें शामिल नहीं है।ऐसे उपकरण का कब्जा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसा पक्ष आवश्यक प्रमाण पत्र को सुरक्षित करने की स्थिति में नहीं होगा।

39. इस तथ्य के अलावा कि शफी में निर्णय

मोहम्मद (ऊपर) ने कानून को गलत तरीके से बताया है और अनवर पी. वी. (ऊपर) में निर्णय के अनुसार है, टोमासो ब्रूनो (ऊपर) में निर्णय के बाद-जिसे ऊपर दिए गए निर्णय के अनुसार माना गया है-एक पक्ष

द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में कठिनाई का अंतर्निहित तर्क जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, वह भी पूरी तरह से गलत है।

40. वास्तव में, साक्षय अधिनियम की धारा 165 अधिकार प्रदान करती है

प्रासंगिक तथ्यों का प्रमाण खोजने या प्राप्त करने के लिए किसी भी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने का आदेश देने वाला न्यायाधीश। साक्षय अधिनियम की धारा 165 इस प्रकार बताती है:

" धारा 165। प्रश्न या आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति

उत्पादन। - न्यायाधीश, प्रासंगिक तथ्यों का उचित प्रमाण खोजने या प्राप्त करने के लिए, किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी गवाह या पक्षकारों से किसी भी प्रासंगिक या अप्रासंगिक तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और किसी भी तथ्य को प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है।

दस्तावेज़ या वस्तु; और न तो पक्षकारों और न ही उनके अभिकर्ताओं को ऐसे किसी प्रश्न या आदेश पर कोई आपत्ति करने का अधिकार होगा, और न ही, न्यायालय की अनुमति के बिना, ऐसे किसी प्रश्न के उत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी गवाह से जिरह करने का अधिकार होगा।

बशर्ते कि निर्णय द्वारा घोषित तथ्यों पर आधारित होना चाहिए

इस अधिनियम को प्रासंगिक और विधिवत साबित करने के लिए:

बशर्ते कि यह धारा किसी भी न्यायाधीश को अधिकृत नहीं करेगी -

किसी भी गवाह को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने या किसी भी दस्तावेज को पेश करने के लिए मजबूर करना, जिसे ऐसा गवाह धारा 121 से 131 के तहत जवाब देने या पेश करने से इनकार करने का हकदार होगा, दोनों सहित, यदि प्रश्न पूछा गया था या प्रतिकूल पक्ष द्वारा दस्तावेज़ बुलाया गया था; जून पंडितराव खोडकर v.

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

न ही न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 148 या 149 के तहत पूछना अनुचित होगा और न ही वह किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्षय के साथ वितरित करेगा, सिवाय इसके कि - यहाँ पहले के मामलों को छोड़कर।

41. इसी तरह, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 सी) के आदेश XVI के तहत, जो 'गवाहों को बुलाने और उनकी उपस्थिति' से संबंधित है, हम दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी कर सकते हैं:

" 6. दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए समन। — कोई भी हो सकता है

साक्षय देने के लिए बुलाए बिना दस्तावेज़ पेश करने के लिए बुलाया जाता है और केवल दस्तावेज़ पेश करने के लिए बुलाए गए किसी भी व्यक्ति को समन का पालन करने वाला माना जाएगा यदि वह उपस्थित होने के बजाय ऐसे दस्तावेज़ को पेश करता है।

व्यक्तिगत रूप से उसी का उत्पादन करने के लिए।

7. न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों से देने की अपेक्षा करने की शक्ति

साक्षय या दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। अदालत में उपस्थित कोई भी व्यक्ति

न्यायालय द्वारा साक्षय देने या कोई साक्षय प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

दस्तावेज़ तब और वहाँ उसके कब्जे या शक्ति में।

XXX XXX XXX

10. प्रक्रिया जहाँ गवाह पालन करने में विफल रहता है

समन। — ( 1 ) जहां किसी व्यक्ति को या तो साक्षय देने के लिए उपस्थित होने के लिए या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी किया गया है, ऐसे समन के अनुपालन में उपस्थित होने या दस्तावेज़ पेश करने में विफल रहता है, तो न्यायालय-(ए) यदि सेवारत अधिकारी का प्रमाण पत्र शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, या यदि किसी पक्ष या उसके एजेंट द्वारा समन की सेवा प्रभावित हुई है, या (बी) यदि सेवारत अधिकारी का प्रमाण पत्र इस तरह सत्यापित किया गया है, तो शपथ पर उस सेवारत अधिकारी या पक्ष या उसके एजेंट की जांच कर सकता है, जिसने सेवा को प्रभावित किया है, या किसी भी अदालत द्वारा उसकी इस तरह से जांच कराई जा सकती है, जो समन की सेवा या गैर-सेवा को छूता है।

( 2 ) जहां न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि ऐसा साक्षय या प्रस्तुति भौतिक है, और यह कि ऐसा व्यक्ति, वैध बहाने के बिना, ऐसे समन के अनुपालन में दस्तावेज़ में उपस्थित होने या पेश करने में विफल रहा है या जानबूझकर सेवा से बच गया है, तो वह एक घोषणा जारी कर सकता है जिसमें उसे साक्षय देने के लिए उपस्थित होने या दस्तावेज़ को उसमें नामित किए जाने वाले समय और स्थान पर पेश करने की आवश्यकता होती है; और ऐसी घोषणा की एक प्रति बाहरी पर चिपकाई जाएगी।

घर का दरवाजा या अन्य विशिष्ट भाग जिसमें वह सामान्य रूप से

रहता है।

( 3 ) ऐसी घोषणा के बदले या जारी करने के समय, या उसके बाद किसी भी समय, न्यायालय, अपने विवेकाधिकार पर, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, जमानत के साथ या उसके बिना, वारंट जारी कर सकता है, और

कुर्की की लागत की राशि और नियम 12 के तहत लगाए जाने वाले किसी भी जुर्माने से अधिक नहीं, अपनी संपत्ति को ऐसी राशि में कुर्क करने का आदेश दें जो वह उचित समझे:बशर्ते कि लघु कारणों का कोई भी न्यायालय इसके लिए आदेश नहीं देगा

अचल संपत्ति की कुर्की "।

42. इसी तरह, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सी. आर. पी. सी".) में, आपराधिक मुकदमे का संचालन करने वाले को दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित एस जारी करने का अधिकार है:

" 91. दस्तावेज़ या अन्य चीज़ प्रस्तुत करने के लिए समन। — ( 1 )

जब भी कोई न्यायालय या किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का मानना है कि किसी दस्तावेज या अन्य चीज़ को प्रस्तुत करना है

किसी भी जांच के उद्देश्यों के लिए आवश्यक या वांछनीय,इस संहिता के तहत ऐसे न्यायालय या अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष जांच, मुकदमा या अन्य कार्यवाही, ऐसा न्यायालय उस व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश जारी कर सकता है जिसके कब्जे या शक्ति में है।

ऐसा दस्तावेज़ या चीज़ माना जाता है, जिसमें उसे उपस्थित होने की आवश्यकता होती है और इसका उत्पादन करने के लिए, या इसका उत्पादन करने के लिए, में बताए गए समय और स्थान पर

( 3 ) इस धारा में कुछ भी नहीं माना जाएगा-(ए) भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 (1872 का 1), या बैंकर पुस्तक साक्षय अधिनियम, 1891 (1891 का 13) की धारा 123 और 124 को प्रभावित करने के लिए, या (बी) लागू करने के लिएकिसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज़ या किसी पार्सल या

डाक या तार प्राधिकरण की अभिरक्षा में चीज़।

" 349. इनकार करने वाले व्यक्ति का कारावास या समर्पण जवाब दें या दस्तावेज़ तैयार करें। यदि कोई गवाह या व्यक्ति आपराधिक न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज या चीज़ पेश करने के लिए बुलाया जाता है तो वह इनकार कर देता है।

ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो उसे दिए जाते हैं या उसके कब्जे या शक्ति में कोई दस्तावेज या चीज़ पेश करने के लिए जो न्यायालय

उसे उत्पादन करने की आवश्यकता होती है, और उचित आदेश के बाद नहीं

उन्हें ऐसा करने का अवसर दिया गया है, कोई भी उचित अर्जुन पंतराव खोतर बनाम।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

ऐसे इनकार के लिए बहाना, ऐसा न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उसे साधारण कारावास की सजा दे सकता है, या पीठासीन मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के हाथ से वारंट द्वारा उसे सात दिनों से अधिक की अवधि के लिए न्यायालय के किसी अधिकारी की हिरासत में भेज सकता है, जब तक कि इस बीच, ऐसा व्यक्ति जांच करने और जवाब देने या दस्तावेज़ या चीज़ पेश करने के लिए सहमत न हो और उसके इनकार करने की स्थिति में, उसके साथ धारा 345 या धारा 346 के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है।

43. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शफी मोहम्मद (उपरोक्त) का प्रमुख आधार है कि इस तरह के प्रमाण पत्र को उन व्यक्तियों द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता है जो नहीं हैं

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना पूरी तरह से गलत है। धारा 65 बी (4) के तहत अपेक्षित व्यक्ति से इस तरह के प्रमाण पत्र को पेश करने के लिए न्यायाधीश को हमेशा आवेदन किया जा सकता है, उन मामलों में जिनमें ऐसा व्यक्ति इसे देने से इनकार करता है।

44. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने शफी मोहम्मद (उपरोक्त) में गलत तरीके से निर्धारित कानून का पालन करते हुए (2018) 5 एस. सी. सी. 311 के रूप में रिपोर्ट किया गया निर्णय भी होना चाहिए, और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

45. हालाँकि, यहाँ एक चेतावनी दर्ज की जानी चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्य बताते हैं कि प्रत्यर्थियों द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद,

दोनों उच्च न्यायालय के माध्यम से और अन्यथा, संबंधित अधिकारियों से साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, फिर भी संबंधित अधिकारियों ने जानबूझकर इनकार कर दिया, किसी बहाने या

अन्य, ऐसा प्रमाण पत्र देने के लिए। वास्तव में-ऐसी परिस्थिति में जहां व्यक्ति या प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया हो।

संबंधित, और व्यक्ति या प्राधिकरण या तो ऐसा देने से इनकार कर देता है

प्रमाण पत्र, या ऐसी मांग का जवाब नहीं देता है, इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए पूछने वाला पक्ष साक्षय अधिनियम, सी. पी. सी. या सी. आर. पी. सी. के उपरोक्त प्रावधानों के तहत इसे पेश करने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। एक बार ऐसा

अदालत में आवेदन किया जाता है, और अदालत तब आदेश या निर्देश देती है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाए जिसे वह ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समन भेजता है, प्रमाण पत्र मांगने वाले पक्ष ने आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वह सब किया है जो वह

संभवतः कर सकता है। इस स्तर पर दो लैटिन सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला है लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया यानी कानून असंभव की मांग नहीं करता है, और नपुंसकता माफी कानून यानी जब कोई विकलांगता होती है जो इसे बनाती है।

कानून का पालन करना असंभव है, कानून की कथित अवज्ञा को माफ कर दिया जाता है। यह इस न्यायालय द्वारा पुनः अच्छी तरह से रखा गया थाः राष्ट्रपति चुनाव (1974) 2 एस. सी. सी. 33 निम्नानुसार हैः

[ 2020 ] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 14. यदि संभावित उम्मीदवार की मृत्यु के कारण कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव पूरा करना संभव नहीं है, तो यह स्पष्ट है कि चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले शुरू हो गया है, लेकिन कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा करना मानव एजेंसी के नियंत्रण से परे एक कार्य द्वारा असंभव हो जाता है। चुनाव को पहले पूरा करने की आवश्यकता

कार्यकाल की समाप्ति का आदेश संविधान द्वारा सार्वजनिक और राज्य हित में यह देखने के लिए दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति होने के प्रावधान का पालन न करने से देश का शासन लकवाग्रस्त न हो। 15. राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए चुनाव पूरा होने की असंभवता, किसी उम्मीदवार की मृत्यु की स्थिति में, जो प्रतीत हो सकता है, पद की अवधि समाप्त होने से पहले

1952 के अधिनियम की धारा 7 से इसके अनिवार्य चरित्र के अनुच्छेद 62 (1) को नहीं खोता है। लॉ इम्पोटेंशिया एक्सक्यूसैट लेगम का सिद्धांत लॉ लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया के एक अन्य सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। नपुंसकता एक्सक्यूसैट लेगम यह है कि जब एक

कानून के अनिवार्य भाग को पूरा करने के लिए आवश्यक या अजेय अक्षमता जो नपुंसकता का बहाना है। कानून किसी को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो कोई संभवतः नहीं कर सकता है। " जहाँ कानून कोई कर्तव्य या आरोप बनाता है, और पक्षकार बिना किसी चूक के इसे करने में अक्षम है, और उस पर कोई उपाय नहीं है, वहाँ कानून सामान्य रूप से उसे माफ कर देगा। इसलिए, जब यह प्रतीत होता है कि किसी कानून द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं का प्रदर्शन उन परिस्थितियों से असंभव हो गया है जिन पर व्यक्ति

इच्छुक का कोई नियंत्रण नहीं था, भगवान के कार्य की तरह, परिस्थितियों को एक वैध बहाने के रूप में लिया जाएगा। जहाँ ईश्वर का कार्य किसी कानून के शब्दों के अनुपालन को रोकता है, वहाँ वैधानिक प्रावधान को पर्यवेक्षण के कारण इसके अनिवार्य चरित्र से वंचित नहीं किया जाता है।

ईश्वर के कार्य के कारण असंभवता। ( ब्रूम की लीगल मैक्सिम्स 10 वीं संस्करण देखें। पीपी में। 162-163 और क़ानून 6 वीं संस्करण पर क्रेज़। में

पी। 268 ) . ”

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रीडेंशियल पोल (उपरोक्त) में विचाराधीन प्रावधान भी अनिवार्य था, जिसे उस मामले के तथ्यों में ईश्वर के एक कार्य के कारण नहीं माना जा सकता था। ये सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा अन्य चुनावों में विभिन्न स्थितियों में लागू किए गए थे।

- चंद्र किशोर झा बनाम देखें। महावीर प्रसाद और अन्य।

9 ) 8 एस. सी. सी. 266 (पैराग्राफ 17 और 21 पर); अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम का विशेष संदर्भ 1।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

2002 ( 2002 ) 8 एस. सी. सी. 237 (पैराग्राफ 130 और 151 पर) और राज कुमार यादव बनाम। समीर कुमार महासेठ और अन्य। ( 2005 ) 3 एस. सी. सी. 601 (पैराग्राफ 13 और 14 पर)।

46. ये लैटिन सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा कई अन्य संदर्भों में भी लागू किए गए हैं। कोचीन राज्य बिजली और प्रकाश निगम में

वी. केरल राज्य (1965) 3 एस. सी. आर. 187, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 6 (4) के तहत राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा एक उपक्रम खरीदने के विकल्प के प्रयोग के बारे में एक सवाल उठा। इस प्रावधान के लिए ऐसे राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा राज्य को प्रासंगिक अवधि की समाप्ति से कम से कम 18 महीने पहले एक सूचना देने की आवश्यकता होती है।

सरकार। चूँकि यह अनिवार्य प्रावधान असंभव था

अनुपालन में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य विद्युत बोर्ड को इस तरह की सूचना देने से छूट दी गई थी, जो इस प्रकार है:

" धारा 6 की उप-धारा (1) स्पष्ट रूप से राज्य विद्युत बोर्ड में लाइसेंस में निर्दिष्ट प्रासंगिक अवधि की समाप्ति पर खरीद का विकल्प निहित करती है। लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत अब यह विकल्प निहित है। अब, धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत, राज्य सरकार के पास केवल "राज्य बिजली" का विकल्प होगा।

बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, या यदि गठित किया गया है, तो उपक्रम को खरीदने का चुनाव नहीं करता है। यह आम बात है कि राज्य विद्युत बोर्ड का विधिवत गठन किया गया था। लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि राज्य विद्युत बोर्ड ने इस उपक्रम को खरीदने का फैसला नहीं किया था। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार धारा 6 की उप-धारा (4) के प्रावधानों पर निर्भर करती है, और

यह तर्क देता है कि चूंकि बोर्ड ने राज्य सरकार को उप-धारा द्वारा आवश्यक विकल्प का उपयोग करने के अपने इरादे के बारे में लिखित रूप में कोई सूचना नहीं भेजी थी, इसलिए बोर्ड को उपक्रम को नहीं खरीदने के लिए चुना गया माना जाना चाहिए। अब, धारा 6 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (4) का प्रभाव यह है कि उप-धारा (4) द्वारा निर्धारित सूचना देने में बोर्ड की विफलता पर, धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत बोर्ड में निहित विकल्प को वापस लिया जा सकता है। धारा 6 की उप-धारा (4)

बोर्ड का कर्तव्य है कि वह धारा 6 के लागू होने के बाद संबंधित अवधि की समाप्ति से कम से कम 18 महीने पहले विकल्प का प्रयोग करने के अपने इरादे की लिखित सूचना दे। धारा 6 5 सितंबर, 1959 को लागू हुई और प्रासंगिक अवधि 3 दिसंबर, 1960 को समाप्त हो गई। इन परिस्थितियों में, [2020] 7 एस. सी. आर. देना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 दिसंबर, 1960 की समाप्ति पर खरीद के विकल्प के संबंध में 18 महीने की अपेक्षित सूचना धारा 6 के प्रारंभ से ही असंभव थी। इस असंभव कर्तव्य के निष्पादन को उक्ति के अनुसार माफ किया जाना चाहिए, लेक्स नॉन कोजिटिया एड इम्पॉसिबिलिया (कानून असंभवताओं को करने के लिए मजबूर नहीं करता है), और धारा 6 की उप-धारा (4) का अर्थ लगाया जाना चाहिए।

के रूप में एक मामले में लागू नहीं किया जा रहा है जहां इसके साथ अनुपालन है

असंभव है। इसलिए हमें यह मानना चाहिए कि राज्य विद्युत बोर्ड को 25 वर्ष की समाप्ति पर खरीद के अपने विकल्प के संबंध में धारा 6 की उप-धारा (4) के तहत नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी। यह माना जाना चाहिए कि बोर्ड को धारा 6 की उप-धारा (4) के तहत उपक्रम को न खरीदने के लिए चुना गया है।

अपीलार्थी को दिए गए नोटिस द्वारा, बोर्ड ने 25 वर्ष की समाप्ति पर उपक्रम को खरीदने के लिए विधिवत चुनाव किया। नतीजतन, राज्य सरकार के पास कभी भी यह विकल्प नहीं रहा कि धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत उपक्रम का क्रय करना।

इसके नोटिस के तहत आगे की कार्रवाई, एक्स। जी, दिनांक 20 नवंबर, 1959 "। 547. राज कुमार दुबे बनाम। तारापद डे और ओआरएस। ( 1987 ) 4

398 , मेक्सिम नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया को लागू किया गया था

पंजीकरण के अनिवार्य प्रावधान की प्रयोज्यता का अगला भाग

1908 , इस प्रकार है:

" 6. हमें समानता के दो मानकों को ध्यान में रखना होगा जो अच्छी तरह से तय किए गए हैं, अर्थात्, एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट-न्यायालय का एक अधिनियम किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। ब्रूम के कानूनी अधिकतम में, 10 वीं संस्करण। , 1939 पृष्ठ 73 पर इस उक्ति को समझाया गया है कि यह उक्ति न्याय और सद्बुद्धि पर आधारित थी; और एक सुरक्षा प्रदान की गई थी।

और कानून के प्रशासन के लिए कुछ मार्गदर्शक। हालाँकि, उपरोक्त उक्ति को सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया (ब्रूम का लीगल मैक्सिम्स-पेज)।

162 ) - कानून किसी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह करता है।

संभवतः प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं कानून और प्रशासन

सर डब्ल्यू. स्कॉट ने कहा कि इसे, राजस्व कानूनों के कथित उल्लंघन के संदर्भ में, वह स्वीकार करना चाहिए जिसके लिए सब कुछ झुकना चाहिए, आवश्यकता के लिए; कानून, अपने सबसे सकारात्मक और आकस्मिक आदेशों में, अस्वीकार करने के लिए समझा जाता है, जैसा कि यह अपने सामान्य सूत्र में करता है, मजबूर करने वाली असंभवताओं के सभी इरादे, और

5 ) 3 एससीआर 187,193 पर।

जुन पन्डित्राव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

कानूनों को सभी के विचार में उस सामान्य अपवाद को अपनाना चाहिए।

विशेष मामले। 7. इस मामले में निर्विवाद रूप से 26-7-1978 से दिसंबर 1982 की अवधि के दौरान इस पर रोक लगाने वाला निषेधाज्ञा मौजूद था

मध्यस्थों को कोई भी कदम उठाने से। इसके अलावा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था कि पुरस्कार अदालत की अभिरक्षा में था, अर्थात, 28-1 1978 जब तक कि 24-11-1983 पर मध्यस्थों को पुरस्कार वापस नहीं किया गया, तब तक मध्यस्थ या पक्षकार उस दौरान इसके पंजीकरण के लिए पुरस्कार प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि पुरस्कार 28-11-1977 पर दिया गया था और 28-11-1977 से चार महीने की समाप्ति से पहले, न्यायालय के आदेश के अनुसार न्यायालय में पुरस्कार दायर किया गया था। यह तर्क दिया गया कि अदालत द्वारा मध्यस्थों को पुरस्कार को अदालत की हिरासत में रखने का निर्देश देने वाला आदेश गलत और अधिकार क्षेत्र के बिना था, लेकिन किसी भी मध्यस्थ को अदालत के आदेश की अवज्ञा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और यदि संदिग्ध अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के अनुपालन या आज्ञाकारिता में, वह इसके पंजीकरण के लिए कोई और कदम उठाने के लिए अदालत की हिरासत से पुरस्कार वापस नहीं ले सकता है तो यह नहीं कहा जा सकता हैकि वह पुरस्कार को कानून के अनुसार पंजीकृत कराने में विफल रहा है।

उपरोक्त दो कानूनी सिद्धांत-कानून किसी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है और अदालत का एक कार्य पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा कि कोई भी व्यक्ति इस मामले के तथ्यों में पूरे जोश के साथ लागू नहीं होगा और यदि यह स्थिति है तो जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, पुरस्कार प्राप्त करने के अगले ही दिन उप-पंजीयक, आरामबाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

यह पुरस्कार समय के भीतर प्रस्तुत किया गया था क्योंकि उस अवधि के दौरान न्यायिक कार्यवाही लंबित थी, अर्थात 1978 से लेकर 1963 के सीमा अधिनियम की धारा 15 में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इसे बाहर रखा जाना चाहिए। इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना गलत था कि केवल एक अवधि जिसे बाहर रखा जाना चाहिए वह 26-7-1978 से 20 12-1982 तक थी। हम इस स्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। 26-7-1978 यह विद्वान मुन्सिफ के आदेश की तारीख थी जिसमें यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था और 20-12-1982 वह तारीख थी जब अंतरिमनिषेधाज्ञा को खाली कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पुरस्कार अदालत की हिरासत में था और पर्याप्त सबूत हैं क्योंकि इससे पहले की गई घटनाओं के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि मध्यस्थों के पास [2020] 7 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुरस्कार की अभिरक्षा प्राप्त करने की कोशिश की जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया

उन्हें देना।"

48. ये सिद्धांत किरायेदारी कानून पर भी लागू किए गए हैं-मैसर्स बी. पी. खेमका प्राइवेट देखें। लिमिटेड वी. बीरेंद्र कुमार भौमिक

और एन. आर. ( 1987 ) 2 एस. सी. सी. 401 (पैराग्राफ 12 पर), और अधिकारियों को भूखंड आवंटित करने के अपने दायित्व को पूरा करने से राहत देने के लिए भी लागू किया गया है जब ऐसा होता है ।केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन के कारण भूखंडों को आवंटन योग्य नहीं पाया गया है-हीरा टिकू बनाम देखें। यू. टी., चंडीगढ़ और अन्य।

( 2004 ) 6 एस. सी. सी. 765 (पैराग्राफ 23 और 24 पर)।

50. हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि धारा 65 बी उस स्तर की बात नहीं करती है जिस पर ऐसा प्रमाण पत्र न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनवर मेंपी. वी. (ऊपर), इस न्यायालय ने कहा कि इस तरह के प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए जब इसे साक्षय में पेश किया जाता है। हम कर सकते हैं

केवल यह जोड़ें कि ऐसा उन मामलों में है जहां इस तरह का प्रमाण पत्र उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर भरोसा करना चाहता है। हालांकि, इसमें

जिन मामलों में या तो दोषपूर्ण प्रमाण पत्र दिया जाता है, या उन मामलों में जहां ऐसे प्रमाण पत्र की मांग की गई है और संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया है, मुकदमे का संचालन करने वाले न्यायाधीश को साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी (4) में संदर्भित व्यक्ति/व्यक्तियों को तलब करना चाहिए, और यह आवश्यक है कि ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दिया जाए। यह, विचारण न्यायाधीश को तब करना चाहिए जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसके सामने साक्षय में पेश किया जाए।

उपरोक्त परिस्थितियों में आवश्यक प्रमाण पत्र के बिना। यह, निश्चित रूप से, कानून के अनुसार और न्याय की आवश्यकताओं के अनुसार दीवानी मामलों में विवेक का प्रयोग किए जाने के अधीन है।

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर। जब आपराधिक मुकदमों की बात आती है, तो इस सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त को उन सभी दस्तावेजों की आपूर्ति की जानी चाहिए जिन पर अभियोजन पक्ष पहले भरोसा करना चाहता है।

सी. आर. पी. सी. की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे की शुरुआत। 51. हाल के एक निर्णय में, कर्नाटक राज्य बनाम में इस न्यायालय की एक खंड पीठ। एम. आर. हीरेमथ (2019) 7 एस. सी. सी. 515, का उल्लेख करने के बाद

अनवर पी. वी. (ऊपर) ने अभिनिर्धारित किया:

अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 16. भारत संघ बनाम मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इसी विचार को दोहराया है। रवींद्र वी. देसाई [(2018) 16

एससीसी 273]। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक का गैर-उत्पादन

पहले के अवसर पर धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र एक उपचार योग्य दोष है। अदालत ने सोनू बनाम में पहले के फैसले पर भरोसा किया। राज्य

हरियाणा का [(2017) 8 एस. सी. सी. 570], जिसमें यह आयोजित किया गया था:

" 32. ..... जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, महत्वपूर्ण परीक्षा यह है कि क्या

दोष को चिह्नित करने के चरण में ठीक किया जा सकता था

दस्तावेज़। यदि कोई आपत्ति है तो वर्तमान मामले में इस परीक्षण को लागू करना।

बिना प्रमाण पत्र के चिह्नित किए जा रहे सी. डी. आर. तक ले जाया गया,

अदालत अभियोजन पक्ष को एक मौका दे सकती थी

कमी को ठीक करें। "

17. कानून के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय

इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि एक का उत्पादन करने में विफलता

साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी (4) के तहत प्रमाण पत्र

जब आरोप पत्र दायर किया गया था तो अभियोजन पक्ष के लिए घातक था। इस तरह के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होगी जब

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्षय में प्रस्तुत करने की मांग की जाती हैमुकदमा। यह उस स्तर पर है कि उत्पादन की आवश्यकता

प्रमाण पत्र उत्पन्न होगा। "

52. यह याद रखना उचित है कि स्वीकार करने का चरण

आपराधिक मुकदमे में दस्तावेजी साक्षय आरोप पत्र दाखिल करना है। जब कोई आपराधिक अदालत अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाती है, तो आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट में दर्ज किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को देनी होती हैं। सी. आर. पी. सी. की धारा 207, जो निम्नानुसार है, अनिवार्य है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक साक्षय, यानी कंप्यूटर आउटपुट, परीक्षण शुरू होने से पहले नवीनतम रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका कारण यह नहीं है

' धारा 207। अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति प्रदान करें। - किसी भी मामले में जहां पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू की गई है, मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के अभियुक्त को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति नि:शुल्क प्रस्तुत करेगा:

( (i) पुलिस रिपोर्ट;

( (ग) धारा 161 की उप-धारा (3) के तहत दर्ज किए गए उन सभी व्यक्तियों के बयान, जिनसे अभियोजन पक्ष अपने गवाह के रूप में पूछताछ करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है, जिसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उप-धारा (6) के तहत इस तरह के बहिष्कार का अनुरोध किया गया है।( (iv) धारा 164 के अधीन अभिलिखित स्वीकारोक्ति और कथन, यदि कोई हों; [2020] 7 एस. सी. आर.

यह अभियुक्त को मुकदमे के दौरान उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को तैयार करने और उनका बचाव करने का उचित मौका देता है। इसलिए आपराधिक कार्यवाही में सामान्य सिद्धांत यह है कि अभियुक्त को उन सभी दस्तावेजों की आपूर्ति की जाए जिन पर अभियोजन पक्ष मुकदमा शुरू होने से पहले भरोसा करना चाहता है। इस तरह के पूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता एक अत्यंत मूल्यवान अधिकार है और निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार की एक आवश्यक विशेषता है क्योंकि यह अभियुक्त को मुकदमे के शुरू होने से पहले इसकी तैयारी करने में सक्षम बनाता है।

53. आपराधिक मुकदमे में, यह माना जाता है कि जाँच

अभियोजन पक्ष ने मुकदमा शुरू होने से पहले एक अभियुक्त के खिलाफ अपना मामला पूरा कर लिया है। यह आगे तय कानून है कि अभियोजन पक्ष को मुकदमे के दौरान किसी भी कमी को भरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो v में मान्यता प्राप्त है। आर. एस. पाई (2002) 5 एस. सी. सी. 82, इस सामान्य नियम का एकमात्र अपवाद यह है कि यदि अभियोजन पक्ष ने 'गलती से' दस्तावेज़ दायर नहीं किया था, तो उक्त दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 7. उपरोक्त उप-धाराओं से यह स्पष्ट है कि आम तौर पर,

जाँच अधिकारी को सभी प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।आरोप पत्र जमा करते समय दस्तावेज। साथ ही, चूंकि कोई विशिष्ट निषेध नहीं है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि

बाद में अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। अगर कुछ

प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने में गलती की गई हैरिपोर्ट या आरोप पत्र जमा करने का समय, यह हमेशा होता है

जाँच अधिकारी को उसी के साथ पेश करने के लिए खुला अदालत की अनुमति "।

54. इसलिए, सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में, अभियोजन है

मुकदमा शुरू होने से पहले उन सभी दस्तावेजों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है जिन पर किसी अभियुक्त को भरोसा किया जा सकता है। इस प्रकार, आपराधिक मुकदमों में अदालतों द्वारा साक्षय दायर करने की अनुमति देने में शक्ति का प्रयोग

( v) मजिस्ट्रेट को भेजे गए किसी अन्य दस्तावेज या उसके प्रासंगिक उद्धरण के साथ -

धारा 173 की उप-धारा (5) के तहत पुलिस रिपोर्ट:

बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, खंड (iii) में निर्दिष्ट बयान के किसी ऐसे हिस्से को देखने के बाद और अनुरोध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, निर्देश दे सकता है कि बयान के उस हिस्से या उसके ऐसे हिस्से की एक प्रति जो मजिस्ट्रेट उचित समझे, अभियुक्त को प्रस्तुत की जाएगी: बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि खंड (v) में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज विशाल है,

तो वह अभियुक्त को उसकी एक प्रति प्रस्तुत करने के बजाय निर्देश देगा कि उसे केवल व्यक्तिगत रूप से या अदालत में वकील के माध्यम से इसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी। अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

बाद के चरण में अभियुक्त के प्रति गंभीर या अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 या 311 या साक्षय की धारा 165 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी आवेदन की जांच करने में अदालत द्वारा पक्षों के अधिकारों के संबंध में एक संतुलन अभ्यास किया जाना चाहिए।

एक्ट करें। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, और न्यायालय यह देखने के बाद विवेक का प्रयोग करते हुए कि अभियुक्त निष्पक्ष मुकदमे के अभाव में पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, न्यायालय उचित मामलों में अभियोजन पक्ष को बाद में ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। यदि यह अभियुक्त है जो अपने बचाव के हिस्से के रूप में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो यह फिर से मामले के न्याय पर निर्भर करेगा-कानून के अनुसार न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग किया जाना।

55. पारस जैन बनाम में राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान राज्य 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 8331 ने एक प्रारंभिक आपत्ति का फैसला किया जो मामले के तथ्यों पर धारा 65 बी के लागू होने पर उठाई गई थी। उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को इस प्रकार तैयार किया गया था:

" 3. ( i) क्या बातचीत के प्रतिलेखन और उस मामले के लिए आरोप पत्र के साथ दायर की गई उसी की सीडी नहीं हैं।

कार्यवाही के इस चरण में भी साक्षय के रूप में स्वीकार्यआवश्यकतानुसार प्रमाण पत्र यू/सेक। 65 - साक्षय अधिनियम का बी उक्त सीडी की खरीद के समय प्राप्त नहीं किया गया था

संबंधित सेवा प्रदाता और इसका साथ में उत्पादन नहीं किया गया था

निर्धारित प्रपत्र में आरोप पत्र और ऐसा प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है

बाद में दाखिल किया जाए। "

अनवर पी. वी. (ऊपर) का उल्लेख करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 15. यद्यपि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि अपेक्षित प्रमाणपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए, जिसके संबंध में एक बयान को साक्षय में देने की मांग की जाती है, जब उसे साक्षय में पेश किया जाता है, लेकिन मेरे विचार में इसका मतलब यह नहीं है कि इसे आरोप पत्र के साथ पेश किया जाना चाहिए और यदि इसे आरोप पत्र के साथ पेश नहीं किया जाता है, तो न्यायालय के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं और इसे बाद में किसी भी परिस्थिति में पेश नहीं किया जा

सकता है। साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में द्वितीयक साक्षय की स्वीकार्यता से संबंधित है।

और पालन की जाने वाली प्रक्रिया और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, इससे पहले कि इस तरह के साक्षय को साक्षय में स्वीकार्य माना जा सके, न कि उस चरण के साथ जिस पर ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।न्यायालय के समक्ष। [2020] 7 एस. सी. आर. के लिए उत्पन्न होने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले में विचार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रवेश की प्रकृति और तरीका था।

16. उपरोक्त मामले के तथ्यों से यह पता चलता है कि केरल राज्य की विधानसभा के लिए प्रत्यर्थी के चुनाव को अपीलार्थी-श्री अनवर पी. वी. द्वारा केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी और इसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था और उस आदेश को अपीलार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव को प्रत्यर्थी द्वारा की गई भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर चुनौती दी गई थी और इसके समर्थन में चुनाव याचिका के साथ कुछ सीडी पेश की गई थीं, लेकिन परीक्षण के दौरान भी साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और आवश्यक प्रमाण पत्र के अभाव में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में माध्यमिक साक्षय के रूप में सीडी की स्वीकार्यता के सवाल पर विचार किया गया था और यह माना गया था कि प्रमाण पत्र के अभाव में सबूत में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्वीकार्य नहीं है। मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जिस स्तर पर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश किया जाना है, वह प्रश्न माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं था।

17. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उसके द्वारा की गई टिप्पणियां साक्षय अधिनियम की धारा 59,65-ए और 65 बी के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के द्वितीयक साक्षय के संबंध में हैं और यदि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग साक्षय अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्षय के रूप में किया जाता है, तो यह साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी की शर्तों का पालन किए बिना साक्षय में स्वीकार्य है।

18. याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए मुद्दे पर उचित तरीके से विचार करने के लिए, मैं मुझसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या कोई सबूत और

अधिक विशेष रूप से आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए दस्तावेज़ के रूप में साक्षय को बाद में किसी भी परिस्थिति में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस सवाल का मेरा जवाब नकारात्मक है और मेरी राय में इस तरह के सबूत बाद में भी पेश किए जा सकते हैं।

चूँकि यह अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है कि आपराधिक मुकदमे का लक्षय सच्चाई की खोज करना और उस लक्षय को प्राप्त करना है, इसलिए सबसे अच्छा संभव सबूत रिकॉर्ड पर लाया जाना है।

19. उप-खंड का प्रासंगिक भाग। ( 1 ) सेक. 91 <आई. डी. 1. में यह प्रावधान है कि जब भी कोई न्यायालय इस बात पर विचार करता है कि किसी भी जून पेंडित्राव खोटकार v.

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

कोई भी परीक्षण

दस्तावेज संहिता के तहत ऐसे न्यायालय द्वारा या उसके समक्ष आवश्यक या वांछनीय है, ऐसा न्यायालय उस व्यक्ति को समन जारी कर सकता है जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसा है

ऐसा माना जाता है कि दस्तावेज़ में भाग लेने और उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है

या समन में बताए गए समय और स्थान पर इसे प्रस्तुत करना। इस प्रकार, न्यायालय को एक व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किया गया है जो उसे मुकदमे के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को समन जारी करने में सक्षम बनाता है जिसके कब्जे या शक्ति में एक दस्तावेज के बारे में माना जाता है कि वहयदि न्यायालय समझता है कि ऐसे मुकदमे के प्रयोजनों के लिए ऐसे दस्तावेज का प्रस्तुत करना आवश्यक या वांछनीय है, तो उसके समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसी शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने से पहले कार्यवाही के किसी भी चरण में किया जा सकता है और न्यायालय को

इस बात पर विवाद था कि इस तरह के समन उस मामले के शिकायतकर्ता/मुखबिर/पीड़ित को भी जारी किए जा सकते हैं, जिसके कहने पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पंजीकृत किया। मेरा सुविचारित विचार है कि जब इस प्रावधान के तहत अदालत को दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी करने का अधिकार दिया गया है, तो अदालत के लिए किसी दस्तावेज को रिकॉर्ड में लेने की अनुमति देने पर कोई रोक नहीं हो सकती है, अगर वह पहले से ही उसके सामने है और अदालत को लगता है कि मामले के उचित निपटान के लिए यह आवश्यक है, भले ही वह इस तथ्य के बावजूद कि वह आरोप पत्र के साथ दायर नहीं किया गया था। मेरा यह भी विचार है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपने समक्ष इस तरह के दस्तावेज को पेश करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए।

20. सेक के अनुसार। 311 Cr.P.C., कोई भी न्यायालय, किसी भी स्तर पर

संहिता के तहत मुकदमा, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाना, या उपस्थित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करना, हालांकि गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है, या

पहले से ही जाँच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाना या फिर से जाँच करना; और न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगा और जाँच करेगा या वापस बुलाएगा और फिर से जाँच करेगा यदि उसका साक्षय मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। इस प्रावधान के तहत भी न्यायालय को अपनी शक्ति और सर्वोपरि प्रयोग करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किया गया है।विचार केवल मामले का निर्णय है। मेरी राय में इस प्रावधान के तहत न्यायालय के लिए यह अनुमत है कि वह अपने समक्ष एक दस्तावेज पेश करने का आदेश भी दे, यदि यह न्यायालय के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक है।

मामला। 21. धारा 173 (8) Cr.P.C के अनुसार, [2020] 7 एस. सी. आर. दाखिल करने के बाद भी आगे की जांच और अतिरिक्त साक्षय का संग्रह करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरोप पत्र पुलिस का एक वैधानिक अधिकार है और इसके लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि इस तरह की आगे की जांच के दौरान अतिरिक्त साक्षय, या तो मौखिक या वृत्तचित्र, पुलिस द्वारा एकत्र किया जाता है, इसे पूरक आरोप पत्र के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे की जांच और संग्रह के लिए प्रमुख विचार

अतिरिक्त साक्षय सत्य तक पहुँचने और वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए है। आगे के दौरान एकत्र की गई सामग्री

जाँच को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मुकदमे के चरण में दायर की गई है।

22. धारा 211 Cr.P.C के अनुसार, अभियोजन पक्ष किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में पेश करने का हकदार है, भले ही ऐसे व्यक्ति का नाम आरोप पत्र में न हो।

23. जब कानूनी स्थिति वह अतिरिक्त साक्षय है, मौखिक यादस्तावेजी, मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है यदि अदालत की राय में मामले के उचित निपटारे के लिए इसका उत्पादन आवश्यक है, तो यह कैसे माना जा सकता है कि प्रमाण पत्र के रूप में

साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी के तहत आवश्यक साक्षय को बाद में किसी भी परिस्थिति में पेश नहीं किया जा सकता है यदि इसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ प्राप्त नहीं किया गया था और आरोप पत्र के साथ अदालत में पेश नहीं किया गया था। मेरी राय में यह केवल एक अनियमितता है। मामले की जड़ तक नहीं जाना और इसका इलाज किया जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रमाण पत्र को आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यह उचित रूप में नहीं था, लेकिन इन याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के दौरान, इसे निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया गया है।"

56. कुंदन सिंह (उपरोक्त) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने कहा:

" 50. अनवर पी. वी. (ऊपर) ने नवजोत संधू (ऊपर) में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (अभिलेखों) को साबित करने की प्रक्रिया पर उच्चतम न्यायालय के पहले के फैसले को आंशिक रूप से खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि धारा 65 बी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (अभिलेखों) की स्वीकार्यता से संबंधित एक विशिष्ट प्रावधान है और इसलिए, धारा 65 बी (4) के तहत एक प्रमाण पत्र का उत्पादन है

अनिवार्य है। अनवर पी. वी. (ऊपर) यह नहीं कहता है या यह नहीं मानता है कि उक्त प्रमाण पत्र को धारा 311 Cr.P.C के तहत या अपीलीय स्तर पर निचली अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेश नहीं किया जा सकता है।धारा 391 Cr.P.C साक्षय अधिनियम एक प्रक्रियात्मक कानून है और अनवर पी. वी. (ऊपर) में आंशिक रूप से अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम को ओवररूल करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

नवजोत संधू (ऊपर), अभियोजन पक्ष उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने का हकदार हो सकता है, जब उचित और आवश्यक हो। बेशक, यह उस समय अदालत/पीठासीन अधिकारी के लिए खुला है यह पता लगाएँ और सत्यापित करें कि क्या जिम्मेदार अधिकारी उक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकता है और धारा 65 बी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

57. ऊपर पैराग्राफ 50 और 54 में दी गई चेतावनी के अधीन, इन दोनों उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून में हमारी सहमति है। तो।

जब तक किसी मुकदमे में सुनवाई अभी समाप्त नहीं हुई है, तब तक आवश्यक प्रमाण पत्र को किसी भी स्तर पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर्म में निहित जानकारी को तब स्वीकार किया जा सके और साक्षय में भरोसा किया जा सके।

58. यह भी देखा जा सकता है कि जो व्यक्ति यह प्रमाण पत्र देता है, वह कई व्यक्तियों में से कोई भी हो सकता है जो एक 'जिम्मेदार अधिकारी' है।

संबंधित उपकरण के संचालन के संबंध में 'स्थिति', और वह व्यक्ति भी जो अन्यथा 'प्रासंगिक गतिविधियों के प्रबंधन' में हो सकता है

धारा 65 ख की उप-धारा (4) में उल्लिखित है। यह देखते हुए कि ऐसा प्रमाण पत्र कंप्यूटर द्वारा वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाने के लंबे समय बाद भी दिया जा सकता है, धारा 65 बी (4) यह स्पष्ट करती है कि यह पर्याप्त है कि ऐसा व्यक्ति "अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास" के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र देता है (जाहिर है, शब्द "और" धारा 65 बी (4) में ज्ञान और विश्वास के बीच "को" या "के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही समय में अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास की गवाही नहीं दे सकता है)।

59. इसलिए हम दोहरा सकते हैं कि धारा 65 बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र साक्षय की स्वीकार्यता के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।

इस न्यायालय के निर्णयों की संख्या भी लागू की जा सकती है। साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी (4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि द्वितीयक साक्षय केवल तभी स्वीकार्य है जब बताए गए तरीके से नेतृत्व किया जाए और अन्यथा नहीं। अन्यथा अभिनिर्धारित करने से धारा 65 बी (4) अनुचित हो जाएगी।60. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, के. रामाज्यम (ऊपर) में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसमें कहा गया है कि अन्य साक्षय भी हो सकते हैं

साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के स्थान पर कंप्यूटर उपकरण के प्रभारी व्यक्ति के माध्यम से दिया जाना भी कानून का एक गलत बयान है और तदनुसार, खारिज कर दिया जाता है।

[ 2020 ] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

61. जबकि इस विषय पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि दूरसंचार विभाग के लाइसेंस की शर्तें [यानी 'के लिए लाइसेंस' के तहत

2007 में तैयार की गई 'एकीकृत अभिगम सेवाओं' का प्रावधान, साथ ही बाद में 'एकीकृत लाइसेंस के लिए लाइसेंस समझौता' और 'लाइसेंस'

इंटरनेट सेवा के प्रावधान के लिए समझौता] आम तौर पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और मोबाइल टेलीफोनी प्रदाताओं को एक वर्ष की सीमित अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लॉग के रिकॉर्ड को संरक्षित करने और बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। इसलिए, यदि पुलिस या अन्य व्यक्ति (इच्छुक, या मुकदमेबाजी के किसी भी रूप में पक्ष) उन अभिलेखों को सुरक्षित करने में विफल रहते हैं।

या अभिलेखों को सुरक्षित करें लेकिन प्रमाणपत्र को सुरक्षित करने में विफल रहें-इसके भीतर

इस अवधि में, एक उत्तर-दिनांकित प्रमाण पत्र (यानी परीक्षण शुरू होने के बाद जारी किया गया) प्रस्तुत करने से डेटा के असत्यापित होने की पूरी संभावना है। यह अभियुक्त को एक खतरनाक स्थिति में रखता है, जैसे कियदि अभियुक्त साक्षय अधिनियम की धारा 45 ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्षय परीक्षक की राय लेकर इस प्रमाण पत्र की वास्तविकता को चुनौती देना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (यानी सेवा प्रदाता के कंप्यूटर में कॉल लॉग के बारे में डेटा) गायब हो सकता है।

62. इसे रोकने के लिए सेलुलर को सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं।

सी. डी. आर. और अन्य को बनाए रखने के लिए कंपनियाँ और इंटरनेट सेवा प्रदाता

यदि उक्त अवधि में जांच के दौरान कोई विशेष सीडीआर या अन्य रिकॉर्ड जब्त किया जाता है तो संबंधित अवधि के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड (साक्षय अधिनियम की धारा 39 के अनुरूप) अलग और सुरक्षित तरीके से। संबंधित पक्ष तब बचाव साक्षय के स्तर पर ऐसे रिकॉर्ड को बुला सकते हैं, या यदि किसी विशेष गवाह से जिरह करने के लिए इस तरह के डेटा की आवश्यकता होती है। यह निर्देश आपराधिक मुकदमों में लागू होगा, जब तक कि लागू लाइसेंसों की प्रासंगिक शर्तों के तहत या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 सी के तहत उचित निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं, जो निम्नानुसार है:

" 67 सी. द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण मध्यस्थ। - ( 1 ) मध्यस्थ इस प्रकार का संरक्षण और रखरखाव करेगा।

' देखें, 'एकीकृत अभिगम सेवाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस समझौते' का खंड 41.17: एल. आई. सी. ए. एन. एस. ई. के संबंध में सभी वाणिज्यिक रिकॉर्ड बनाए रखेगा

नेटवर्क पर संचार का आदान-प्रदान हुआ। इस तरह के रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से लाइसेंसकर्ता द्वारा जांच के लिए कम से कम एक वर्ष के लिए संग्रहीत किए जाएंगे और उसके बाद नष्ट किए जा सकते हैं जब तक कि लाइसेंसकर्ता द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है; 'एकीकृत लाइसेंस के लिए लाइसेंस समझौते' का खंड <ID1: लाइसेंसधारी नेटवर्क पर आदान-प्रदान किए गए 39 संचारों के संबंध में सभी वाणिज्यिक रिकॉर्ड/कॉल विवरण रिकॉर्ड (सी. डी. आर.)/विनिमय विवरण रिकॉर्ड (ई. डी. आर.)/आई. पी. विवरण रिकॉर्ड (आई. पी. डी. आर.) बनाए रखेगा। इस तरह के अभिलेख सुरक्षा कारणों से लाइसेंसकर्ता द्वारा जांच के लिए कम से कम एक वर्ष के लिए संग्रहीत किए जाएंगे और उसके बाद नष्ट किए जा सकते हैं जब तक कि लाइसेंसदाता द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है। लाइसेंसर समय-समय पर सी. डी. आर./आई. पी. डी. आर./ई. डी. आर. के संबंध में निर्देश/निर्देश जारी कर सकता है।

अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

जानकारी जो ऐसी अवधि के लिए और उस तरीके और प्रारूप में निर्दिष्ट की जा सकती है जो केंद्र सरकार निर्धारित करे।

( 2 ) कोई भी मध्यस्थ जो जानबूझकर या जानबूझकर उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे तीन साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और

जुर्माना भी लगाया जा सकता है। "

63. इस संदर्भ में यह याद रखना भी उपयोगी है कि 23 अप्रैल 2016 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक साक्षय के ग्रहण को नियंत्रित करने के लिए एक समान मंच और दिशानिर्देश बनाने का संकल्प लिया गया। मुखिया।

पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के न्यायाधीशों को एक समिति का गठन करने की आवश्यकता थी ताकि "नियमों का मसौदा तैयार किया जा सके जो नियमों को अपनाने के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। उच्च न्यायालय "। तदनुसार 28 जुलाई, 2018 को पांच न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया गया था। व्यापक विचार-विमर्श और कई पुलिस, जांच और अन्य एजेंसियों के साथ बैठकों के बाद, समिति ने नवंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। रिपोर्ट में व्यापक दिशानिर्देशों का सुझाव दिया गया और कार्यवाही की कई श्रेणियों में अदालतों में उपयोग के लिए उन्हें अपनाने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के ग्रहण, पुनर्प्राप्ति, प्रमाणीकरण और संरक्षण के लिए मसौदा नियम भी शामिल थे। न्यायालय की राय में, इलेक्ट्रॉनिक साक्षय के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के संबंध में न्यायालयों का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें वैधानिक बल देने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों द्वारा इन मसौदा नियमों की जांच की जानी चाहिए।

64. अब हम अपने सामने मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हैं। वर्तमान मामले में, दिनांक 24.11.2017 के विवादित फैसले द्वारा, चुनाव याचिका

6/2014 और चुनाव याचिका 9/2014 को क्रमशः अनुमति दी गई है और आंशिक रूप से अनुमति दी गई है, आर. सी. के चुनाव को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के तहत अमान्य घोषित किया जा रहा है, अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि अनुक्रमिक संख्या 43 और 44 पर नामांकन पत्र आर. सी. द्वारा 27.09.2014 पर दोपहर 3 बजे से पहले प्रस्तुत नहीं किए गए थे, ऐसे नामांकन पत्र अनुचित रूप से स्वीकार किए गए थे। 65. हालाँकि, दिनांक 08.12.2017 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलार्थी की चुनाव अपील को स्वीकार कर लिया, और विवादित फैसले पर रोक लगा दी।

और आदेश दें।

66. पांच साल के विधान सभा के बाद हमने इस मामले पर सुनवाई की है।

विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2019 में समाप्त हो रहा है। इस मामले में, आम तौर पर,

8 समिति में राजेश बिंदल, एस. मुरलीधर, राजीव सहाय एंडलॉ, राजीव नारायण रैना और आर. के. गौबा, जे. जे. शामिल थे।



हमारे समक्ष मामले के गुण-दोष पर निर्णय लेना अनावश्यक होगा, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। हालाँकि, विवादित निर्णय को पढ़ने के बाद, यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य से व्यथित थे कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने खुले तौर पर अपीलार्थी का पक्ष लेकर पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार किया। इस तथ्य के बावजूद कि आवश्यक प्रमाण पत्र के अभाव में धारा

65 बी (4) के "पर्याप्त अनुपालन" का कारण कानूनी रूप से गलत है, फिर भी, यह देखते हुए कि प्रतिवादी ने प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया था

उपयुक्त अधिकारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र, जिसमें आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय के निर्देश शामिल हैं, ऐसा कोई प्रमाण पत्र सामने नहीं आ रहा था। घोड़े को पीने के लिए पानी पर ले जाने का निर्देश दिया गया था-लेकिन उसने पीने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप इस निर्णय का अनुच्छेद 49 (ऊपर)।

67. अन्यथा भी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में निहित साक्षय के अलावा, उच्च न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचाः

" 48.श्रीमती की प्रतिपरीक्षा में साक्षय। मुथा बताती हैं कि जब लबाडे को नामांकन पत्र एकत्र करने के लिए मार्ग पर भेजा गया था, तो उन्होंने अपने कार्यालय में इच्छुक उम्मीदवारों और उनके प्रस्तावकों से सीधे नामांकन पत्र स्वीकार करना जारी रखा। उनके साक्षय से पता चलता है कि 27.9.2014 पर अंतिम नामांकन पत्र जो थासीधे उन्हें आनंद म्हास्के का फॉर्म नंबर 38 प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रपत्र की प्राप्ति का समय नामांकन प्रपत्रों के रजिस्टर में दोपहर 2.55 बजे बताया गया था। सीनियर नंबर से बाद के नामांकन पत्रों के संबंध में। 39 64 तक, स्वीकृति का समय दोपहर 3 बजे के रूप में उल्लिखित है। मुथा स्वीकार करते हैं कि नामांकन फॉर्म के उम्मीदवार संख्या। 39 64 तक (फॉर्म संख्या 64 दाखिल किया गया अंतिम फॉर्म था) दोपहर 3 बजे उनके सामने शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यहाँ यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि आर. सी. की फॉर्म संख्याएँ 43 और 44 हैं। मौखिक साक्षय और नामांकन प्रपत्रों के रजिस्टर जैसे अभिलेख उस प्रपत्र संख्या को नहीं दर्शाते हैं। 43 और 44 प्रस्तुत किए गए थे 27.9.2014 के दोपहर 2.20 बजे आरओ। श्रीमती के साक्षय के अनुसार। मुथा और रिकॉर्ड, एक अरविंद चव्हाण, एक उम्मीदवार जिनके पास फॉर्म संख्या है। 33 , 34 और 35 दोपहर 2.15 बजे से 2:30 बजे के बीच उसके सामने मौजूद थे। नामांकन प्रपत्र रजिस्टर में, यह दिखाने वाली कोई प्रविष्टि नहीं है कि कोई नामांकन प्रपत्र दोपहर 2.20 बजे प्राप्त हुआ था। प्रपत्र संख्या। 36 और सुनील खरे के 37 लोगों को दोपहर 2.40 बजे रजिस्टर में दर्ज किया गया।

अतः, श्रीमती के अनुसार। मुथा, प्रपत्र संख्या 38, जिसे उनके द्वारा उम्मीदवार से सीधे स्वीकार किया गया था, उन्हें 2.55 अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम पर निविदा दी गई थी।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

पी. एम. 27.9.2014 और उसके बाद उसने प्रपत्र संख्या 38 की प्रारंभिक परीक्षा की थी और उसके द्वारा उस उम्मीदवार को जाँच सूची दी गई थी। इस प्रकार, यह संभव नहीं है कि संख्या। 43 और 44 को सीधे श्रीमती को सौंप दिया गया। आर. सी. द्वारा मुथा दोपहर 2.20 बजे या

यहां तक कि 27.9.2014 के दोपहर 3 बजे भी।

50. श्रीमती. मुथा (पीडब्लू 2) ने आर. सी. को चेक सूची सौंपने का समय दोपहर 2.20 बजे नहीं दिखाया और उन्होंने समय दोपहर 3 बजे दिखाया, लेकिन इस बार सीनियर नंबर से शुरू होने वाले सभी फॉर्मों के संबंध में दिखाया गया था। 39 64 तक। इस प्रकार, श्रीमती का ठोस प्रमाण। मुथा और उपरोक्त अभिलेख आर. सी. के इस तर्क को गलत साबित करते हैं कि उन्होंने नामांकन पत्र (प्रपत्र संख्या) सौंप दिए थे। 43 और 44) सीधे आर. ओ. को दोपहर 3 बजे से पहले, 2.20 बजे

अपराह्न 99 बजे

68. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में साक्षय के अलावा, अन्य साक्षयों पर भी भरोसा किया गया था एक ही निष्कर्ष। इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

69. हालाँकि, श्री अदसुरे ने विवादित फैसले पर हमला किया जब यह माना गया कि आर. सी. के नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति।स्वयं इस मामले में शामिल होने के कारण, चुनाव "भौतिक रूप से प्रभावित" है या नहीं, इस पर आगे कोई अभिवचन और विवरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह माना जा सकता है कि यदि इस तरह की याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है, तो चुनाव भौतिक रूप से प्रभावित होगा क्योंकि चुनाव को अलग कर दिया जाएगा। उन्होंने राजेंद्र कुमार मेशराम बनाम में इस न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले का हवाला दिया।

वंशमणि प्रसाद वर्मा (2016) 10 एस. सी. सी. 715, जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ एक चुनाव याचिका दायर की गई थी, अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि अपीलार्थी-लौटाया गया उम्मीदवार-एक सरकारी कर्मचारी था, उसके नामांकन को अनुचित तरीके से स्वीकार कर लिया गया था। अदालत ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) (डी) की आवश्यकता यह है कि चुनाव को केवल तभी दरकिनार किया जा सकता है जब नामांकन की इस तरह की अनुचित स्वीकृति ने चुनाव के परिणाम को "भौतिक रूप से प्रभावित" किया हो, और इस आशय का कोई अभिवचन या सबूत नहीं होने के कारण, चुनाव याचिका विफल होनी चाहिए। इस न्यायालय ने कहा:

" 9. जैसा कि ऊपर निकाले गए मुद्दे 1 और 2 का जवाब वापस लौटे उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया है और कोई प्रति-अपील नहीं है, यह केवल शेष मुद्दे हैं जो विचार के लिए बचे हैं। उक्त सभी मुद्दे अनुचित स्वीकृति के सवाल पर केंद्रित हैं।

लौटे उम्मीदवार का नामांकन पत्र। इस संबंध में, अंक 6 जो अनुचित [2020] 7 एस. सी. आर. के भौतिक प्रभाव का सवाल उठाता है।

परिणाम पर लौटे उम्मीदवार के नामांकन की स्वीकृति

चुनाव पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकता है। 10. धारा 100 (1) (डी) के तहत, एक चुनाव को नामांकन की अनुचित स्वीकृति के आधार पर अमान्य घोषित किया जा सकता है यदि -

नामांकन की ऐसी अनुचित स्वीकृति ने भौतिक रूप से

चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया। यह धारा 100 (1) (सी) अर्थात नामांकन की अनुचित अस्वीकृति के विपरीत है जो स्वयं चुनाव के परिणाम पर ऐसी अस्वीकृति के भौतिक प्रभाव के प्रमाण की किसी और आवश्यकता के बिना चुनाव को अमान्य करने के लिए पर्याप्त आधार है। उपरोक्त अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उक्त आधार पर कार्यवाही करते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने आगे के प्रश्न में जाने का प्रयास नहीं किया जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता होगी, भले ही यह माना जाता हो कि अपीलार्थी ने मतदाता सूची या उसकी प्रमाणित प्रति दाखिल नहीं की थी और इसलिए, 1951 के अधिनियम की धारा 33 (5) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया था।

11. दूसरे शब्दों में, उपरोक्त आधार पर चुनाव को रद्द करने से पहले, उच्च न्यायालय को यह पता लगाने के लिए एक और अभ्यास करना चाहिए था कि क्या चुनाव की अनुचित स्वीकृति

नामांकन ने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया था। यह जारी किए गए अंक 6 के बावजूद नहीं किया गया है जो है -

विशेष रूप से उपरोक्त प्रभाव के लिए। उच्च न्यायालय विफल रहा है उक्त मुद्दे का निर्धारण करें अर्थात अंक 6, स्वाभाविक रूप से, इसे अधिकार नहीं दिया गया था

अपीलार्थी द्वारा वापस किए गए उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करना, भले ही हम यह मान लें कि वापस किए गए उम्मीदवार के नामांकन की स्वीकृति अनुचित थी।

70. दूसरी ओर, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने मैरेम्बम पृथ्वीराज बनाम में एक खंड पीठ के फैसले का हवाला दिया। पुखरम शरतचंद्र

सिंह (2017) 2 एससीसी 487। इस फैसले में, इस न्यायालय के कई पहले के फैसलों का हवाला दिया गया था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) (डी) (आई) के तहत नामांकन की अनुचित स्वीकृति से चुनाव "भौतिक रूप से प्रभावित" हुआ था। दुरई मुथुस्वामी बनाम का उल्लेख करने के बाद। एन.

नचियप्पन और ओआरएस। 1973 ( 2 ) एस. सी. सी. 45 और जगजीत सिंह बनाम धरम पाल सिंह 1995 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 422, इस न्यायालय ने तब वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को संदर्भित किया। देव चंद्र

1955 ( 1 ) एस. सी. आर. 509 निम्नानुसार है:

जुन पन्डित्राव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 25. यह इस न्यायालय द्वारा वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम में अभिनिर्धारित किया गया था। देव

चंद्रा [(1955) 1 एस. सी. आर. 509] निम्नानुसार है:

" 9. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील यह स्वीकार करते हैं कि यह साबित करने का बोझ कि नामांकन की अनुचित स्वीकृति ने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है, याचिकाकर्ता पर निर्भर करता है, लेकिन उनका तर्क है कि सवाल तीन में से एक में उत्पन्न हो सकता है।

तरीके:

( 2 ) जहाँ ऊपर उल्लिखित व्यक्ति ने अधिक वोट प्राप्त किए, और ( 3 ) जहाँ वह व्यक्ति जिसका नामांकन अनुचित तरीके से किया गया है

वापस लौटे उम्मीदवार को ही स्वीकार किया जाता है।

यह सहमति है कि पहले मामले में चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि यदि सभी बर्बाद मतों को सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों में जोड़ा जाता है, तो इससे परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लौटने वाला उम्मीदवार अपनी सीट बरकरार रखेगा। अन्य दो मामलों में यह तर्क दिया जाता है कि परिणाम है

भौतिक रूप से प्रभावित। जहाँ तक तीसरे मामले का संबंध है, यह

यह आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि यह निष्कर्ष होगा।

अदालत ने तब निष्कर्ष निकाला:

" 26. केवल यह निष्कर्ष निकालना कि इसकी अनुचित स्वीकृति हुई है

नामांकन इस घोषणा के लिए पर्याप्त नहीं है कि चुनाव धारा 100 (1) (डी) के तहत अमान्य है। वहाँ और अधिक दलील और सबूत होना चाहिए कि लौटे उम्मीदवार के चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित था। लेकिन, वापस लौटे उम्मीदवार के नामांकन को अनुचित रूप से स्वीकार किए जाने के रूप में घोषित किए जाने की स्थिति में किसी भी सबूत की आवश्यकता नहीं होगी, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां केवल दो उम्मीदवार मैदान में हैं। यदि लौटाया जाता है

उम्मीदवार के नामांकन को अनुचित घोषित किया गया है

यह स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे और लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था, इसे आगे साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

71. इस न्यायालय के पहले के किसी भी निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया है।

एम्बाम पृथ्वीराज (सुप्रा) को राजेंद्र [2020] 7 एस. सी. आर. में जोड़ा गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री अदसुरे द्वारा उद्धृत कुमार मेशराम (ऊपर)। विशेष रूप से वशिष्ठ नारायण शर्मा मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों का फैसला

( उपर्युक्त) ने विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां जिस व्यक्ति का नामांकन अनुचित रूप से स्वीकार किया गया है, वह स्वयं लौटाया गया उम्मीदवार है, तो यह आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि यह निष्कर्ष यह होना चाहिए कि चुनाव का परिणाम "भौतिक रूप से प्रभावित" होगा, बिना इसे साबित करने की कोई आवश्यकता है। राजेंद्र कुमार मामले में फैसलामेशराम (ऊपर) ने अपने ऊपर बाध्यकारी एक बड़ी ताकत के इन पहले के फैसलों का उल्लेख नहीं किया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने कानून की घोषणा की है।

सही है। इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय इस मुद्दे पर भी अपने निष्कर्ष में सही है।

72. इस प्रकार संदर्भ का उत्तर यह कहते हुए दिया जाता है कि:

( क) अनवर पी. वी. (उपर्युक्त), जैसा कि हमने ऊपर स्पष्ट किया है, साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी पर इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून है। फैसला टोमासो में ब्रूनो (ऊपर), इनक्यूरियम के अनुसार, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है। इसके अलावा, एसएलपी (सी. आर. एल.) में निर्णय। 2011 का सं. 9431 शफी मोहम्मद (ऊपर) के रूप में रिपोर्ट किया गया और निर्णय दिनांक 03.04.2018

(2018) 5 एस. सी. सी. 311 के रूप में सूचित, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करते हैं और इसलिए खारिज कर दिए जाते हैं।

( ख) ऊपर उल्लिखित स्पष्टीकरण यह है कि धारा 65 बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र अनावश्यक है यदि मूल दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत किया गया है। यह एक लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या यहां तक कि एक मोबाइल फोन के मालिक द्वारा गवाह बॉक्स में कदम रखकर और यह साबित करके किया जा सकता है कि संबंधित उपकरण, जिस पर मूल जानकारी पहली बार संग्रहीत की गई है, उसके स्वामित्व में है और/या उसके द्वारा संचालित है। ऐसे मामलों में जहां "कंप्यूटर" एक "कंप्यूटर प्रणाली" या "कंप्यूटर नेटवर्क" का हिस्सा होता है और ऐसी प्रणाली या नेटवर्क को भौतिक रूप से न्यायालय में लाना असंभव हो जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी प्रदान करने का एकमात्र साधन धारा के अनुसार हो सकता है।

65 बी (1), धारा 65 बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ। अनवर पी. वी. (उपर्युक्त) में अंतिम वाक्य जो इस प्रकार है ". यदि साक्षय अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्षय के रूप

में किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है", इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है। इसे "साक्षय अधिनियम की धारा 62 के तहत" शब्दों के बिना पढ़ा जाना है। इस स्पष्टीकरण के साथ, अनवर पी. वी. (ऊपर) के पैराग्राफ 24 में बताए गए कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

( ग) अनुच्छेद 62 (उपर्युक्त) में जारी किए गए सामान्य निर्देशों का पालन इलेक्ट्रॉनिक साक्षय से निपटने वाले न्यायालयों द्वारा अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम को किया जाएगा।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ आर. एफ. नरीमन, जे.]

उचित स्तर पर उनके संरक्षण और प्रमाण पत्र का उत्पादन सुनिश्चित करें। ये निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 सी के तहत नियमों और निर्देशों और दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन के लिए डेटा प्रतिधारण शर्तों को तैयार किए जाने तक सभी कार्यवाहियों में लागू होंगे।

( घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रयोग में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करके उपयुक्त नियम और निर्देश बनाए जाने चाहिए - धारा 67 सी, और डेटा के प्रतिधारण के लिए उपयुक्त नियम भी तैयार करना।

मुकदमों और अपीलों की पूरी अवधि के लिए अपराधों के मुकदमे, उनके पृथक्करण, हिरासत की श्रृंखला के नियमों, मुद्रांकन और रिकॉर्ड रखरखाव में शामिल हैं, और भ्रष्टाचार से बचने के लिए मेटा डेटा के संरक्षण के संबंध में भी। इसी तरह, अप्रैल, 2016 में मुख्य न्यायाधीश के सम्मेलन द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संरक्षण, पुनर्प्राप्ति और उत्पादन के लिए उपयुक्त नियम बनाए जाने चाहिए, जैसा कि पहले संकेत दिया गया था।

73. इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का खर्च श्री अर्जुन पंडितराव खोटकर (यानी अपीलार्थी) द्वारा भुगतान किया जाता है।

सी. ए. सं. 20825-20826 2017) श्री कैलाश कुषाणराव गोरंटचाल और श्री विजय चौधरी दोनों को।

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. जबकि मैं उनके द्वारा लिखी गई राय से पूरी तरह सहमत हूं।

( इसके बाद "साक्षय अधिनियम") (ii) प्रक्रिया के मौजूदा नियमों के बावजूद, अदालतों ने बिना किसी विधायी हस्तक्षेप के कैसे अच्छा प्रदर्शन किया,एनालॉग रूप में साक्षय के साथ काम करते हुए, और (iii) एनालॉग रूप में मशीनों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में मशीनों को कैसे रास्ता दिया, निश्चित रूप से

दुनिया के क्षेत्राधिकारों ने भ्रम और संघर्षों से बचने के लिए समय के साथ कानून में उपयुक्त संशोधन करके अपने कानूनी परिदृश्य को बदल दिया।

I. धारा 65 बी के पीछे की कटुता के कारण

2. मौखिक साक्षय के विपरीत दस्तावेजी साक्षय को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति देने से पहले कुछ जांच चौकियों से गुजरना पड़ता है, जैसे (i) स्वीकार्यता (ii) प्रासंगिकता और (iii) प्रमाण। कई बार, यह पहचानना मुश्किल होता है कि इनमें से किस चेक पोस्ट को पहले पास करना है, किसे आगे पास करना है और किसे बाद में पास करना है।



कम से कम व्यवहार में, जिस क्रम में साक्षय को इन तीन जांच चौकियों से गुजरना पड़ता है, वह बदल जाता है। आम तौर पर और सैद्धांतिक रूप से, स्वीकार्यता प्रासंगिकता पर निर्भर करती है। साक्षय अधिनियम की धारा 136 के तहत, स्वीकार्यता से निपटने से पहले प्रासंगिकता स्थापित की जानी चाहिए। इसलिए यदि हम धारा 136 के अनुसार चलते हैं, तो एक पक्ष को पहले प्रासंगिकता दिखानी चाहिए, जिससे यह पहला चेक पोस्ट और स्वीकार्यता दूसरा बन जाए। लेकिन कुछ दस्तावेज, जैसे कि साक्षय अधिनियम की धारा 68 में बताए गए दस्तावेज, जो पारित हो जाते हैं।प्रासंगिकता की पहली जाँच चौकी और स्वीकार्यता की दूसरी जाँच चौकी का कोई मूल्य नहीं हो सकता है जब तक कि प्रमाणक गवाह की जाँच नहीं की जाती है। का प्रमाण

कानून द्वारा स्थापित तरीके से ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन, इस प्रकार तीसरी जाँच चौकी का गठन करता है। यहाँ फिर से, निष्पादन का प्रमाण सामग्री के प्रमाण से अलग आधार पर खड़ा है।

3. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो कुछ भी प्रासंगिक है वह हमेशा नहीं भी हो सकता है

स्वीकार्य होगा, यदि कानून कुछ शर्तें लगाता है। उदाहरण के लिए, एक दस्तावेज़, जिसकी सामग्री प्रासंगिक है, स्वीकार्य नहीं हो सकता है, यदि यह एक दस्तावेज़ है जिस पर मुहर लगाने और पंजीकरण की आवश्यकता है, लेकिन विधिवत मुहर नहीं लगाई गई थी और पंजीकृत नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, यदि स्वीकार्यता गाड़ी है, तो धारा 136 के तहत घोड़े की प्रासंगिकता है। लेकिन कानून के कुछ प्रावधान गाड़ी को घोड़े से पहले रखते हैं और धारा 65 बी इनमें से एक प्रतीत होती है।उन्हें।

4. धारा 136, जो न्यायाधीश को साक्षय की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेने का विवेकाधिकार प्रदान करती है, निम्नानुसार है:

136. साक्षय की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेने के लिए न्यायाधीश।

जब कोई भी पक्ष किसी तथ्य का साक्षय देने का प्रस्ताव करता है, तो न्यायाधीश साक्षय देने का प्रस्ताव करने वाले पक्ष से पूछ सकता है कि कथित तथ्य, यदि साबित हो जाता है, तो किस तरह से

प्रासंगिक होगा; और न्यायाधीश साक्षय को स्वीकार करेगा यदि वह सोचता है कि तथ्य, यदि साबित हो जाता है, तो प्रासंगिक होगा, और अन्यथा नहीं।

यदि साबित करने के लिए प्रस्तावित तथ्य उन साक्षयों में से एक है

केवल किसी अन्य तथ्य के प्रमाण पर ही स्वीकार्य, इस तरह के अंतिम उल्लिखित तथ्य को पहले उल्लिखित तथ्य का साक्षय देने से पहले साबित किया जाना चाहिए, जब तक कि पक्षकार इस तरह के तथ्य का प्रमाण देने का वचन न दे, और न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो कि

उपक्रम।

यदि एक कथित तथ्य की प्रासंगिकता एक अन्य कथित तथ्य के पहले साबित होने पर निर्भर करती है, तो न्यायाधीश अपने कथन में,

विवेकाधिकार से, या तो पहले तथ्य के साक्षय को अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम दिए जाने की अनुमति दें।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

इससे पहले कि दूसरा तथ्य साबित हो जाए, या पहले तथ्य का साक्षय दिए जाने से पहले दूसरे तथ्य का साक्षय दिए जाने की आवश्यकता हो।

तथ्य।

5. धारा 136 के तीन भाग हैं। पहला भाग साक्षय को स्वीकार करने के न्यायाधीश के विवेक से संबंधित है, यदि वह सोचता है कि

साबित करने के लिए चाहा गया तथ्य प्रासंगिक है। धारा 136 का दूसरा भाग

इसमें कहा गया है कि यदि साबित करने के लिए प्रस्तावित तथ्य एक है, जिसमें से साक्षय केवल किसी अन्य तथ्य के प्रमाण पर ही स्वीकार्य है, तो पहले उल्लिखित तथ्य का साक्षय देने से पहले इस तरह के अंतिम उल्लिखित तथ्य को साबित किया जाना चाहिए। लेकिन यह नियम एक छोटी सी रियायत के अधीन है, अर्थात्, यदि पक्षकार बाद में अंतिम उल्लिखित तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करने का उपक्रम करता है और न्यायालय ऐसे उपक्रम के बारे में संतुष्ट होता है, तो न्यायालय पहले उल्लिखित तथ्य के साक्षय को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ सकता है। धारा 136 का तीसरा भाग एक कथित तथ्य की प्रासंगिकता से संबंधित है, जो इस पर निर्भर करता है -

एक अन्य कथित तथ्य पहले साबित किया जा रहा है। धारा 136 के तीसरे भाग की हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है।

6. धारा 136 के तहत चित्रण (बी) एक आसान उदाहरण प्रदान करता है

धारा 136 का दूसरा भाग। चित्रण (बी) इस प्रकार है:

( ख) यह एक प्रति द्वारा, खोए हुए दस्तावेज़ की सामग्री को साबित करने के लिए प्रस्तावित है।यह तथ्य कि मूल खो गया है, व्यक्ति द्वारा साबित किया जाना चाहिए

प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का प्रस्ताव।

7. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रवेश के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में धारा 65 बी में जो निर्धारित किया गया है, वह उसमें दिए गए प्रावधान से मिलता-जुलता है।

धारा 136 का दूसरा भाग। उदाहरण के लिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी) की सामग्री के माध्यम से किसी तथ्य को साबित करने की कोशिश की जाती है, तो न्यायाधीश को पहले यह देखने की आवश्यकता होती है कि क्या यह प्रासंगिक है, क्या धारा 136 का पहला भाग लागू माना जाता है।

8. लेकिन धारा 65 बी प्रमाणन सहित कुछ शर्तों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी की स्वीकार्यता बनाता है। प्रमाणन यह साबित करने के उद्देश्य से है कि कंप्यूटर आउटपुट का गठन करने वाली जानकारी एक द्वारा उत्पादित की गई थीकंप्यूटर जिसका उपयोग जानकारी को संग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए नियमित रूप से किया जाता था और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में नियमित रूप से कंप्यूटर में डाला जाता था।

9. दूसरे शब्दों में, यदि हम धारा 136 की आवश्यकताओं के अनुसार चलते हैं, तो कंप्यूटर आउटपुट स्वीकार्य हो जाता है यदि तथ्य को साबित करने की कोशिश की जाती है [2020] 7 एस. सी. आर.



प्रासंगिक है। लेकिन ऐसा तथ्य केवल किसी अन्य तथ्य के प्रमाण पर ही स्वीकार्य है, अर्थात् कि इसे नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर आदि से निकाला गया था। सरल शब्दों में, कंप्यूटर आउटपुट में जो निहित है, उसे पहले उल्लिखित तथ्य के बराबर माना जा सकता है और प्रमाणन की आवश्यकता को अंतिम उल्लिखित तथ्य के बराबर माना जा सकता है, जिसे धारा 136 के दूसरे भाग में चित्रण (बी) के साथ पढ़ा गया है।

स्वीकार्यता के लिए पूर्व शर्त। ऐसा करते समय, यह बात नहीं करता हैप्रासंगिकता। एक तरह से, धारा 65 ए और 65 बी को अगर एक साथ पढ़ा जाए, तो प्रमाण और स्वीकार्यता दोनों को मिला दें, लेकिन प्रासंगिकता के बारे में बात न करें। धारा 65 ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री को साबित करने के उद्देश्य से धारा 65 बी में निर्धारित प्रक्रिया को संदर्भित करती है, लेकिन धारा 65 बी पूरी तरह से स्वीकार्यता के लिए पूर्व शर्तों के बारे में बताती है। नतीजतन, धारा 65 बी स्वीकार्यता को पहली या सबसे

बाहरी जांच चौकी के रूप में रखता है, जो बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक साक्षय के सीमा पर भी दूर जाने में सक्षम है।

जाँच, यदि उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है।

11. धारा 65 बी द्वारा पहली या सीमा जांच चौकी के रूप में स्वीकार्यता की नियुक्ति, इस तथ्य के साथ कि विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व वाले कई 'कंप्यूटर सिस्टम' (जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 (1) में परिभाषित किया गया है), एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उत्पादन में शामिल हो सकते हैं, जिसमें 'प्रवर्तक' (जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 (जेडए) में परिभाषित किया गया है) से अलग है।प्राप्तकर्ताओं या भागीदारों ने धारा 65 बी के पीछे बहुत कड़वाहट पैदा की है, जो एक पेंडुलम की तरह झूलती न्यायिक राय से स्पष्ट है।

II. अदालतें अनुरूप रूप में साक्षय से कैसे निपटती हैं

विधायी हस्तक्षेप और बदलाव के बिना

प्राचीन, सदियों पुराने साक्षय के नियमों का ढांचा। ऐसा नहीं था कि अनुरूप रूप में साक्षय में हेरफेर करने में असमर्थ था। लेकिन अदालतों ने हेरफेर किए गए लोगों से वास्तविक का पता लगाने के लिए समय पर परखे गए नियमों को लागू करके शो को अच्छी तरह से प्रबंधित किया।13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालतों ने जिस खुशी के साथ अनुरूप रूप में साक्षय की सराहना करने के लिए खुद को अनुकूलित किया, वह मुख्य रूप से कारण था

इस तथ्य के लिए कि एनालॉग तकनीक में, जो कुछ हो रहा है उसे देखने और/या समझने में सक्षम है। एनालॉग तकनीक में, एक तरंग को अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम दर्ज किया गया है।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

या अपने मूल रूप में उपयोग किया जाता है। जब कोई बोलता है या गाता है, तो एक संकेत है यदि हम एक एनालॉग टेप रिकॉर्डर का उदाहरण लेते हैं तो इसे सीधे माइक्रोफोन द्वारा लिया जाता है और एक टेप पर रखा जाता है। दोनों, लहर से

माइक्रोफोन और टेप पर लहर, एनालॉग हैं और टेप पर लहर को पढ़ा जा सकता है, प्रवर्धित किया जा सकता है और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए स्पीकर को भेजा जा सकता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी में, एनालॉग तरंग का कुछ अंतराल पर नमूना लिया जाता है और फिर डिजिटल उपकरण में संग्रहीत संख्याओं में बदल दिया जाता है। इसलिए, जो संग्रहीत हैं, वे संख्या के संदर्भ में हैं और वे, बदले में, वोल्टेज तरंगों में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि जो संग्रहीत किया गया था उसका उत्पादन किया जा सके।

14. एनालॉग रूप में कुछ और डिजिटल रूप में एक ही चीज़ के बीच का अंतर और डिजिटल प्रारूप फेंकने का कारण 'इलेक्ट्रॉनिक' शीर्षक से एक लेख में अधिक चुनौतियों को प्रस्तुत किया गया था।

साक्षय और "मूल" का अर्थ, 1 स्टीफन मेसन द्वारा (इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक साक्षय पर बैरिस्टर और मान्यता प्राप्त प्राधिकरण)। दोनों प्रकार के रूप में एक तस्वीर का उदाहरण लेते हुए, विद्वान लेखक निम्नलिखित कहते हैं:

उदाहरण के लिए, एक एनालॉग कैमरे से ली गई तस्वीर।( अर्थात्, एक फिल्म वाला कैमरा) केवल एक ही वस्तु रह सकता है।

इसे अन्य तस्वीरों में विलय नहीं किया जा सकता है, और अलग किया जा सकता है।

एक बार फिर। यह एक भौतिक वस्तु बनी हुई है। साथ में ली गई तस्वीरडिजिटल कैमरा स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। डिजिटल वस्तु, बनाई गई

शून्य और संख्या एक की एक श्रृंखला के ऊपर, हो सकता है, और

अक्सर हेरफेर और परिवर्तित किया जाता है (विशेष रूप से फैशन में)

हेरफेर डिजिटल छवि को भी इसके रूप में विभाजित किया जा सकता हैघटक भाग।

दिलचस्प बात यह है: जब पानी की तीन बूंदें

फ्यूज करें और फिर तीन बूंदों में अलग करें, इस पर सवाल उठाया जाना चाहिए

क्या तीन बूंदें जो बड़ी बूंद से मिल जाती हैं

समान बूंदें थीं जो उनके विलय से पहले मौजूद थीं। इसी तरह, एक डिजिटल वस्तु पर विचार करें जो

हेरफेर किया जाता है और इसमें जोड़ा जाता है, और फिर प्रक्रिया को उलट दिया जाता है।

उपयोग की गई मूल वस्तु बनी हुई है (जब तक कि इसे कभी भी स्वतंत्र रूप से सहेजा नहीं गया था, और छवि में किए गए परिवर्तन थे

' स्टीफन मेसन, इलेक्ट्रॉनिक साक्षय और "मूल" का अर्थ, 79 एमिकस क्यूरी 26 (2009)



मूल फ़ाइल में सहेजा गया), लेकिन एक और वस्तु, समान छवि के साथ (या लगभग समान, सिस्टम सॉफ़्टवेयर और एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के आधार पर) अब मौजूद है। अवधारणात्मक रूप से, यह तर्क देना संभव है कि दो डिजिटल छवियाँ अलग-अलग हैं: एक मूल है, दूसरा मूल की एक प्रति है जिसे हेरफेर किया गया था और अपनी मूल स्थिति में वापस कर दिया गया था (जो भी "मूल" का अर्थ है)।

लेकिन दोनों छवियाँ समान हैं, कुछ अतिरिक्त मेटा डेटा के अलावा जो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

निर्णायक। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि छवियाँ, यदि एक साथ देखी जाती हैं, तो समान हैं-समान होंगी, और दर्शक यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं होंगे कि कौन सी मूल है, और किस छवि में हेरफेर किया गया था। इस संबंध में, डिजिटल छवियां बारिश की उन बूंदों से अलग नहीं हैं जो गिरती हैं, मिल जाती हैं, फिर विभाजित होती हैं: यह नहीं बताया जा सकता है कि विभाजित होने वाली बूंदें उन बूंदों के समान हैं जो बड़ी बूंद बनाने के लिए एक साथ आई थीं।

15. यह कि अदालतों को अनुरूप रूप में साक्षय के साथ कोई समस्या नहीं थी, यू. के. में कई न्यायिक उदाहरणों द्वारा स्थापित किया गया है, जिनका हमारी अदालतों द्वारा भी पालन किया गया था। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक उपकरण को हैरी पार्कर बनाम मेसन 2 में वादी की ओर से धोखाधड़ी साबित करने की अनुमति दी गई थी। जबकि हैरी पार्कर एक दीवानी कार्यवाही कर रहा था, उसमें निर्धारित सिद्धांत को आर बनाम हैरी पार्कर मामले में आपराधिक मुकदमे में स्वीकृति मिली। बर और सुलिवन। 3 द

स्कॉटलैंड में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय ने होप्स एंड लावेरी बनाम एच. एम. एडवोकेट्स में शिकायतकर्ता और एक ब्लैक मेलर के बीच बातचीत के टेप रिकॉर्ड को साक्षय में स्वीकार किया। पुलिस में रिकॉर्ड की गई बातचीत

सेल ने बिना किसी धोखे के सुना, एक टेप रिकॉर्डर स्थापित करने से परे

बिना किसी चेतावनी के, आर बनाम में साक्षय में स्वीकार किया गया था। मिल्स। 5

16. फिर आर बनाम आया। मकसूद अली 'जहाँ मार्शल जे. ने टेप-रिकॉर्डिंग और तस्वीरों के बीच एक सादृश्य बनाया और कहा कि दूरबीन या दूरबीन के माध्यम से देखी गई चीजों के साक्षय को स्वीकार किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि उन चीजों को नग्न आंखों से नहीं उठाया जा सकता है, बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को भी स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते रिकॉर्डिंग की सटीकता साबित की जा सके और आवाजों को ठीक से पहचाना जा सके।

2 [ 1940 ] 2 के. बी 590

3 3 [1956] क्रिम एलआर 442

4 [ 1960 ] क्रिम एलआर 566

5 [ 1962 ] 3 सभी ई. आर. 298

6 [ 1965 ] 2 सभी ई. आर. 464 अर्जुन पंतराव खोकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

17. उपरोक्त उदाहरणों का अनुसरण करते हुए, इस न्यायालय ने एस. प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य, यूसुफल्ली इस्माइल नगरी बनाम राज्य मामले में भी निर्णय दिया।

महाराष्ट्र के 3 एन. श्री रामारेड्डी बनाम वी. वी. गिरि, आर. एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1 0 जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम बृजमोहन रामदास मेहरा, 1 1 राम सिंह बनाम कर्नल राम सिंह, 1 2 तुकाराम एस. दिघोले बनाम माणिकराव शिवाजी कोकाटे, 1 3 कि बातचीत और भाषणों के टेप रिकॉर्ड कुछ शर्तों के अधीन भारतीय साक्षय अधिनियम के तहत साक्षय में स्वीकार्य हैं। जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी और तुकाराम एस. दिघोले के मामले में यह अदालत आगे

अभिनिर्धारित किया कि टेप अभिलेख साक्षय अधिनियम की धारा 3 के तहत अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर "दस्तावेज" का गठन करते हैं। इस प्रकार, समय-समय पर आवश्यक संशोधनों के साथ आने के लिए कानून निर्माताओं की ओर देखे बिना, अदालतों ने स्वयं इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता का परीक्षण करने के लिए कुछ समय के लिए कुछ नियम विकसित किए और ये नियम वास्तव में अच्छी तरह से काम करते हैं।18. एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी था जिसने अदालतों को अनुरूप रूप में साक्षय से निपटने के दौरान परेशान किया। यह था कि क्या

साक्षय प्रत्यक्ष या सुनी-सुनाई थी। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में, सप्पोरो मारू एम/एस (मालिक) बनाम। स्टीम टैंकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (मालिक), 1 4 अपनी सीमा के भीतर जहाजों की प्रतिध्वनियों के एक रडार सेट की फिल्म रिकॉर्डिंग को वास्तविक सबूत माना गया था। अदालत ने कहा कि हाथ से कैमरा चलाने वाले फोटोग्राफर और हाथ से कैमरा चलाने वाले फोटोग्राफर के बीच कोई अंतर नहीं है।

एक बैरोमीटर प्रचालक या उसके समकक्ष संचालन की टिप्पणियाँ

19. लेकिन जब कंप्यूटर आउटपुट की बात आती है, तो यह उन शुरुआती मामलों में से एक है जहां अपील न्यायालय को साक्षय के साथ व्यवहार करना पड़ता थाकंप्यूटर से एक प्रिंटआउट का आर बनाम आर में था। पेटीग्रू। 15 उस मामले में, बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक कर्मचारी द्वारा संचालित कंप्यूटर से प्रिंटआउट को अफवाह माना गया था। लेकिन के बारे में अकादमिक राय

7 ( 1964 ) 4 एससीआर 753 8 (1967) 3 एससीआर 720 9 एआईआर 1972 एससी 1162 10 एआईआर 1973 एससी 157

( 1976 ) 2 एससीसी 17

12 ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 3 1 3 13 (2010) 4 एस. सी. सी. 329 14 [1968] 2 सभी ई. आर. 195 15 [ 1980 ] 71 क्र. ऐप.

निर्णय की शुद्धता तेजी से विभाजित थी। जबकि प्रोफेसर स्मिथ ने इस मामले में साक्षय को प्रत्यक्ष माना और सुनी-सुनाई नहीं, प्रोफेसर टैपर ने यह विचार रखा कि प्रिंटआउट आंशिक रूप से सुनी-सुनाई थी और आंशिक रूप से नहीं। प्रोफेसर सेंग 1 8 ने सोचा कि दोनों विचार प्रशंसनीय थे।

20. लेकिन अंतर्निहित सिद्धांत जिसके आधार पर शिक्षाविद

उपरोक्त निर्णय की आलोचना यह है कि जहां भी मानव हस्तक्षेप के बिना उत्पादन का उत्पादन संभव बनाया गया था, साक्षय को प्रत्यक्ष के रूप में लिया जाना चाहिए। कैसल बनाम क्रॉस, 1 9 में इस स्थिति की व्याख्या इस आधार पर की गई थी कि इंटूक्सीमीटर के प्रिंटआउट को प्रत्यक्ष माना गया था न कि सुनी-सुनाई बातों के आधार पर कि प्रिंटआउट में सांस के अल्कोहल मूल्य में इंटूक्सीमीटर द्वारा डेटा के बिना उत्पादित जानकारी शामिल थी।मानव मस्तिष्क के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है।

21. आर बनाम रॉबसन मिशेल और रिचर्ड्स में, मोबाइल टेलीफोन पर किए गए टेलीफोन कॉल के 20 प्रिंटआउट को नंबर के साथ किए गए और प्राप्त किए गए कॉल के प्रमाण के रूप में लिया गया था। अदालत ने कहा कि "जहां एक मशीन एक तथ्य का निरीक्षण करती है और उसे दर्ज करती है, वह रिकॉर्ड एक तथ्य बताता है। यह इस बात का प्रमाण है कि मशीन ने क्या रिकॉर्ड किया और यह मुद्रित किया गया था। अभिलेख तथ्य नहीं बल्कि तथ्य का प्रमाण था।

22. लेकिन साइबर स्पेस में गुमनामी में काम करने की सुविधा ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हेरफेर के लिए अधिक प्रवण बना दिया है और इसके परिणामस्वरूप संदेह की अधिक मात्रा हो गई है। इसलिए, कानून निर्माताओं ने हस्तक्षेप किया,

कभी-कभी अदालतों के लिए चीजों को आसान बनाना और कभी-कभी बहुत भ्रम पैदा करना। लेकिन समय के साथ, कुछ क्षेत्राधिकार उचित रूप से अच्छे समाधान के साथ आए हैं। आइए अब उन पर एक नज़र डालें।

III. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता पर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में विधायी विकास

अमेरिका में स्थिति

16

प्रोफेसर स्मिथ आपराधिक कानून और साक्षय के कानून पर एक प्रसिद्ध अधिकारी थे; जे. सी. स्मिथ, कंप्यूटर द्वारा बयानों की स्वीकार्यता, क्रिम एल. आर. 387,388 (1981)। 17 प्रोफेसर टैपर साक्षय के कानून पर एक प्रसिद्ध अधिकारी हैं; कॉलिन टैपर, कंप्यूटर से आउटपुट के संबंध में साक्षय के कानून का सुधार, 3 इंटलजे एल एंड इंफो टेक 87 (1995)।

18 प्रोफेसर सेंग सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक सहयोगी प्रोफेसर हैं; डैनियल के बी सेंग, सबूत के रूप में कंप्यूटर आउटपुट, सिंग जेएलएस 139 (1997)। 19 ] 1 डब्ल्यूएलआर 1372 [1984]

23. संयुक्त राज्य अमेरिका के रिका के संघीय साक्षय नियम (एफ. आर. ई.) को 01.12.2017 से संशोधित किया गया है।कोनिक रिकॉर्ड बनाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक से अधिक विकल्पों की क्षमता। संशोधित नियमों के तहत, एक व्यक्ति नियम 901 के तहत या तो अतिरिक्त मार्ग का पालन कर सकता है या नियम 902 के तहत आत्म-प्रमाणीकरण के मार्ग का पालन कर सकता है, जिसके तहत प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र इसके मान को बढ़ाएगा। एफ. आर. ई. के नियम 901 और 902 इस प्रकार हैं:

नियम 901। साक्षय को प्रमाणित करना या पहचानना

( 2 ) हस्तलेखन के बारे में गैर-विशेषज्ञ राय। एक गैर-विशेषज्ञ की राय है कि हस्तलेखन वास्तविक है, जो एक परिचितता पर आधारित है इसके साथ जो वर्तमान मुकदमे के लिए अधिग्रहित नहीं किया गया था।

( 3 ) एक विशेषज्ञ गवाह या तथ्य के परीक्षणकर्ता द्वारा तुलना। ए.

एक विशेषज्ञ गवाह या तथ्य के परीक्षण द्वारा प्रमाणित नमूने के साथ तुलना। ( 4 ) विशिष्ट विशेषताएँ और इसी तरह। दिखने में,

सामग्री, पदार्थ, आंतरिक प्रतिरूप, या वस्तु की अन्य विशिष्ट विशेषताएँ, सभी के साथ एक साथ ली गई

( 5 ) एक आवाज के बारे में राय। किसी व्यक्ति की आवाज़ की पहचान करने वाली एक राय-चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से सुनी गई हो या यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक संचरण या रिकॉर्डिंग के माध्यम से-सुनने के आधार पर किसी भी समय उन परिस्थितियों में आवाज उठाएँ जो इसे आवाज़ से जोड़ती हैं

कथित वक्ता।( 6 ) एक टेलीफोन वार्तालाप के बारे में साक्षय। ए के लिए

टेलीफोन पर बातचीत, इस बात का प्रमाण कि उस समय दिए गए नंबर पर कॉल किया गया था:

( ख) एक विशेष व्यवसाय, यदि कॉल किसी व्यवसाय को किया गया थाऔर व्यवसाय से संबंधित कॉल का टेलीफोन पर उचित रूप से लेन-देन किया गया।

( 7 ) सार्वजनिक अभिलेखों के बारे में साक्षय। इस बात का प्रमाण है:

( बी) एक कथित सार्वजनिक रिकॉर्ड या बयान उस कार्यालय से है जहां इस तरह की वस्तुओं को रखा जाता है।( 8 ) प्राचीन दस्तावेजों या डेटा संकलनों के बारे में साक्षय। किसी दस्तावेज़ या डेटा संकलन के लिए, यह प्रमाण दें कि:

( ए) ऐसी स्थिति में है जो इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह पैदा नहीं करती है;

( बी) एक ऐसी जगह पर था जहां, यदि प्रामाणिक है, तो यह संभवतः होगा; और

निम्नलिखित साक्षय स्वप्रमाणक हैं; उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रामाणिकता के किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है:( 1 ) घरेलू सार्वजनिक दस्तावेज़ जो सील किए जाते हैं और हस्ताक्षर किए जाते हैं। एक दस्तावेज़ जिस पर लिखा है:

( ए) संयुक्त राज्य अमेरिका की होने वाली एक मुहर; संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई भी राज्य, जिला, राष्ट्रमंडल, क्षेत्र या द्वीपीय अधिकार; पूर्व पनामा नहर क्षेत्र; ट्रस्ट जून पेंड्राव खोतकर बनाम।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

( 2 ) घरेलू सार्वजनिक दस्तावेज़ जो सील नहीं किए गए हैं लेकिन हस्ताक्षरित और प्रमाणित हैं। एक दस्तावेज जिस पर कोई मुहर नहीं है यदि: ( (क) उस पर किसी अधिकारी या कर्मचारी के हस्ताक्षर होते हैं।

नियम 902 (1) (ए) में नामित इकाई; और

( बी) एक अन्य सार्वजनिक अधिकारी जिसके पास उसी इकाई के भीतर एक मुहर और आधिकारिक कर्तव्य हैं, वह मुहर या इसके समकक्ष के तहत प्रमाणित करता है कि हस्ताक्षरकर्ता के पास आधिकारिक क्षमता है और हस्ताक्षर वास्तविक है।

( 3 ) विदेशी सार्वजनिक दस्तावेज। एक दस्तावेज जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या सत्यापित होने का तात्पर्य रखता है जो ऐसा करने के लिए किसी विदेशी देश के कानून द्वारा अधिकृत है। दस्तावेज़ होना चाहिए

एक अंतिम प्रमाणन के साथ जो हस्ताक्षरकर्ता या प्रमाणक या किसी भी विदेशी अधिकारी के हस्ताक्षर और आधिकारिक स्थिति की वास्तविकता को प्रमाणित करता है जिसका प्रमाण पत्रवास्तविकता हस्ताक्षर या प्रमाणन से संबंधित है या हस्ताक्षर या प्रमाणन से संबंधित वास्तविकता के प्रमाण पत्रों की एक श्रृंखला में है। प्रमाणन एक सचिव द्वारा किया जा सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास या लीगेशन का; संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य दूत, उप वाणिज्य दूत, या वाणिज्य दूत एजेंट द्वारा; या संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपे गए या मान्यता प्राप्त विदेशी देश के राजनयिक या वाणिज्य दूत अधिकारी द्वारा। यदि सभी पक्षों को दस्तावेज़ की प्रामाणिकता और सटीकता की जांच करने का उचित अवसर दिया गया है, तो अदालत, अच्छे कारण के लिए, या तो:

( ए) आदेश दें कि इसे अंतिम प्रमाणन के बिना अनुमानित रूप से प्रामाणिक माना जाए; या

( बी) इसे या के साथ एक सत्यापित सारांश द्वारा प्रमाणित करने की अनुमति दें।

अंतिम प्रमाणन के बिना। ( 4 ) सार्वजनिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ। एक आधिकारिक रिकॉर्ड की एक प्रति-या एक दस्तावेज़ की एक प्रति जो कानून द्वारा अधिकृत सार्वजनिक कार्यालय में दर्ज या दायर की गई थी-यदि प्रतिलिपि द्वारा सही के रूप में प्रमाणित किया गया है:



( ए) संरक्षक या ऐसा करने के लिए अधिकृत कोई अन्य व्यक्तिप्रमाणन; या

( बी) एक प्रमाण पत्र जो नियम 902 (1), (2), या (3), एक संघीय क़ानून, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम का अनुपालन करता है।

( 5 ) आधिकारिक प्रकाशन। एक किताब, पर्चा, या अन्य

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाने वाला प्रकाशन।

( 6 ) समाचार पत्र और पत्रिकाएँ। मुद्रित सामग्री का उद्देश्य

एक समाचार पत्र या आवधिक होना।

( 7 ) व्यापार शिलालेख और इसी तरह। एक शिलालेख, चिह्न, टैग या लेबल जो इस दौरान चिपकाया गया था

व्यवसाय और उत्पत्ति, स्वामित्व या नियंत्रण का संकेत देना। ( 8 ) मान्यता प्राप्त दस्तावेज़। के साथ एक दस्तावेज़

एक नोटरी सार्वजनिक या कोई अन्य अधिकारी जो लेने के लिए अधिकृत है स्वीकारोक्ति।

( 9 ) वाणिज्यिक पत्र और संबंधित दस्तावेज। वाणिज्यिक

कागज, उस पर हस्ताक्षर और संबंधित दस्तावेज, सामान्य वाणिज्यिक कानून द्वारा अनुमत सीमा तक।

( 10 ) एक संघीय क़ानून के तहत अनुमान। एक हस्ताक्षर,

दस्तावेज़, या कुछ और जिसे एक संघीय क़ानून घोषित करता है

अनुमानित रूप से या प्रथम दृष्टया वास्तविक या प्रामाणिक होना।

( 11 ) नियमित रूप से किए जाने वाले प्रमाणित घरेलू अभिलेख

गतिविधि। मूल या घरेलू अभिलेख की एक प्रति जो नियम 803 (6) (ए)-(सी) की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जैसा कि संरक्षक या किसी अन्य योग्य व्यक्ति के प्रमाणन द्वारा दिखाया गया है कि

एक संघीय क़ानून या द्वारा निर्धारित नियम का अनुपालन करता हैसुप्रीम कोर्ट। मुकदमे या सुनवाई से पहले, प्रस्तावक

एक प्रतिकूल पक्ष को उचित लिखित सूचना देनी चाहिए अभिलेख प्रस्तुत करने का इरादा और अभिलेख बनाना चाहिए और

निरीक्षण के लिए प्रमाणन उपलब्ध है ताकि पार्टी के पास एक

उन्हें चुनौती देने का उचित अवसर।

( 12 ) नियमित रूप से आयोजित किए जाने वाले प्रमाणित विदेशी अभिलेख

गतिविधि। दीवानी मामले में, मूल या किसी विदेशी की प्रति अभिलेख जो नियम 902 (11) की आवश्यकताओं को पूरा करता है, निम्नानुसार संशोधित किया गया है: प्रमाणन, एक के साथ अनुपालन करने के बजाय

संघीय कानून या उच्चतम न्यायालय के नियम पर अर्जुन पंडितराव खोतर बनाम में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

( 13 ) इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न प्रमाणित अभिलेखया प्रणाली। इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न अभिलेख या

प्रणाली जो एक सटीक परिणाम उत्पन्न करती है, जैसा कि एक द्वारा दिखाया गया है एक योग्य व्यक्ति का प्रमाणन जो अनुपालन करता है

नियम 902 (11) या (12) की प्रमाणन आवश्यकताएँ। द.

प्रस्तावक को नियम की सूचना आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए।

902 ( 11 ) .

( 14 ) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भंडारण से प्रमाणित डेटा की प्रतिलिपि

मध्यम, या फ़ाइल। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणसँ प्रतिलिपि कयल डेटा,

भंडारण माध्यम, या फ़ाइल, यदि डिजिटल प्रक्रिया द्वारा प्रमाणित किया जाता है

पहचान, जैसा कि एक योग्य व्यक्ति के प्रमाणन द्वारा दिखाया गया है

जो नियम की प्रमाणन आवश्यकताओं का अनुपालन करता है

902 ( 11 ) या (12)। प्रस्तावक को नोटिस को भी पूरा करना होगा।

नियम 902 (11) की आवश्यकताएँ। 24. इस पर अमेरिकी न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय

मुद्दा मैरीलैंड जिले के मुख्य मजिस्ट्रेट न्यायाधीश द्वारा दिया गया थालोरेन बनाम मार्केल अमेरिकन इंश्योरेंस Co.2[1] 21 इस मामले में, पॉल

गिरम, जे. एक में मध्यस्थ के फैसले को चुनौती देते हुए

इलेक्ट्रॉनिक पर एफ. आर. ई. के नियम 901 और 902 की प्रयोज्यता का विस्तार करते हुएसाक्षय, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत की स्वीकार्यता के लिए एक व्यापक परीक्षण निर्धारित किया गया

जानकारी दी। 22 यह निर्णय 2007 में लिया गया था और एफ. आर. ई. 2017 में संशोधित।

21 241 एफआरडी 534 (2007)

22 अनुच्छेद 2: " जब भी ई. एस. आई. को साक्षय के रूप में पेश किया जाता है, या तो मुकदमे में या संक्षिप्त निर्णय में, निम्नलिखित साक्षय नियमों पर विचार किया जाना चाहिए: ( 1 ) क्या ई. एस. आई. नियम 401 द्वारा निर्धारित प्रासंगिक है (क्या यह किसी ऐसे तथ्य को बनाने की प्रवृत्ति रखता है जो मुकदमेबाजी के परिणामस्वरूप कम या ज्यादा संभावित है जो अन्यथा होगा); (2) यदि 401 के तहत प्रासंगिक है, तो क्या यह नियम 901 (ए) द्वारा आवश्यक प्रामाणिक है (क्या प्रस्तावक यह दिखा सकता है कि ई. एस. आई. वही है जो वह होने का इरादा रखता है); (3) यदि ई. एस. आई. को इसकी मूल सच्चाई के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो क्या यह नियम 801 द्वारा परिभाषित सुनी-सुनाई बात है, और यदि ऐसा है, तो क्या यह एक लागू अपवाद (नियम 803,804 और 807) द्वारा कवर किया गया है; (4) ई. एस. आई. का वह रूप है जिसे मूल लेखन नियम के तहत एक मूल या डुप्लिकेट सबूत के रूप में पेश किया जा रहा है।

नियम 403 द्वारा पहचाने गए कारक, जैसे कि इसकी प्रासंगिकता के बावजूद इसे बाहर रखा जाना चाहिए।

25. उप-नियम (13) और (14) को नियम 902 में शामिल किया गया था।

वर्ष 2017 का संशोधन। तब तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को ज्यादातर नियम 901 (कुछ को छोड़कर) का पालन करना पड़ता था।

नियम 902 के उप-नियम (11) और (12) के अंतर्गत आने वाले मामले। इसका मतलब यह है कि आत्म-प्रमाणीकरण का लाभ तब तक [उप-नियम (13) और (14) के आने तक, उप-नियम (11) और (12) के दायरे में आने वाले मामलों को छोड़कर] उपलब्ध नहीं था। फिर भी, नियम 902 में उप-नियम (13) और (14) की शुरूआत ने सामान्य के अनुप्रयोग को पूरी तरह से बाहर नहीं किया।

नियम 901 के प्रावधान।

26. नियम 901 सभी साक्षयों पर लागू होता है। यह एक सामान्य

प्रावधान। लेकिन नियम 902 एक विशेष प्रावधान है जो स्वयं प्रमाणित करने वाले साक्षय से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया या प्रणाली द्वारा उत्पन्न अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भंडारण माध्यम या फाइल से प्रतिलिपि किए गए डेटा को संघीय साक्षय नियमों के नियम 902 के उप-नियमों (13) और (14) में शामिल किया गया है।

27. लेकिन एफ. आर. ई. 902 एफ. आर. ई. 901 के आवेदन को बाहर नहीं करता है। यह.

नियम 902 केवल तभी लागू होता है जब कोई पक्ष स्व-प्रमाणीकरण का लाभ उठाना चाहता है। यदि कोई पक्ष स्व-प्रमाणीकरण के लाभ का दावा नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो वह नियम 901 के तहत आने के लिए स्वतंत्र है, भले ही प्रस्तुत किया जाने वाला साक्षय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत जानकारी (ई. एस. आई.) का हो।

28. 'ई-डिस्कवरी' शीर्षक वाले एक लेख में: सामान्य प्रकारों को प्रमाणित करना

पॉल डब्ल्यू. ग्रिम (लोरेन में फैसला देने वाले न्यायाधीश) द्वारा लिखित और ग्रेगरी पी. जोसेफ द्वारा सह-लिखित और थॉमसन रॉयटर्स (2017) द्वारा प्रकाशित ईएसआई चार्ट के विद्वान लेखकों ने विभिन्न प्रकार के ईएसआई (इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत जानकारी) के प्रमाणीकरण के विभिन्न तरीकों का एक स्नैपशॉट दिया है। वेबसाइट पर 'जटिल खोज' शीर्षक 'ग्रिम-ब्रैडी चार्ट' (पॉल डब्ल्यू. ग्रिम और केविन एफ. ब्रैडी का जिक्र करते हुए) के तहत प्रकाशित 'इलेक्ट्रॉनिक साक्षय की स्वीकार्यता' शीर्षक वाले एक बाद के लेख (2018) में। कॉम ", एक संघनित चार्ट प्रदान किया जाता है जो ई. एस. आई. के प्रमाणीकरण के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालता है। संघीय साक्षय नियमों के नियम 901 और 902 के प्रासंगिक उप-नियमों के विशेष संदर्भ के साथ चार्ट को एक तालिका के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है:

एस. नं. ई. एस. आई. का प्रकार

संभावित प्रमाणीकरण विधियाँ

1 .

व्यक्तिगत ज्ञान के साथ गवाह (901 (बी) (1)) विशेषज्ञ गवाही या प्रमाणित के साथ तुलना

ईमेल, पाठ संदेश औरतत्काल संदेश

उदाहरण (901 (बी) (3))

साक्षय (901 (बी) (4)) विश्वसनीय और भरोसेमंद परिणाम साबित करने में सक्षम प्रणाली या प्रक्रिया (901 (बी) (9))

अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

व्यापारिक शिलालेख (902 (7))व्यावसायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियाँ (902 (11)) इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न प्रमाणित अभिलेख या

प्रणाली (902 (13))

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भंडारण माध्यम या फाइल से प्रमाणित डेटा की प्रतिलिपि (902 (14))

2 . चैट रूम पोस्टिंग,

व्यक्तिगत ज्ञान के साथ गवाह (901 (बी) (1)) विशेषज्ञ गवाही या प्रमाणित के साथ तुलना

ब्लॉग, विकिस औरअन्य सोशल मीडिया

उदाहरण (901 (बी) (3)) परिस्थिति सहित विशिष्ट विशेषताएँ

बातचीत.

साक्षय (901 (बी) (4))विश्वसनीय और भरोसेमंद परिणाम साबित करने में सक्षम प्रणाली या प्रक्रिया (901 (बी) (9))

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भंडारण माध्यम या फाइल से प्रमाणित डेटा की प्रतिलिपि (902 (14)) व्यक्तिगत ज्ञान के साथ साक्षी (901 (बी) (1))

3 . सोशल मीडिया साइट्स

विशेषज्ञ की गवाही या प्रमाणित के साथ तुलना

( फेसबुक, लिंक्डइन,

उदाहरण (901 (बी) (3))

ट्विटर,

परिस्थिति सहित विशिष्ट विशेषताएँ

इंस्टाग्राम, और स्नैपचैट)

साक्षय (901 (बी) (4))

सार्वजनिक अभिलेख (901 (ख) (7))

विश्वसनीय और भरोसेमंद परिणाम साबित करने में सक्षम प्रणाली या प्रक्रिया (901 (बी) (9)) आधिकारिक प्रकाशन

( 902 ( 5 ) )

इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न प्रमाणित अभिलेख या

प्रणाली (902 (13))

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भंडारण से प्रमाणित डेटा की प्रतिलिपि

मध्यम, या फाइल (902 (14))

डिजिटल रूप से संग्रहीत डेटा और

व्यक्तिगत ज्ञान के साथ साक्षी (901 (बी) (1))

4 .

इंटरनेट ऑफ थिंग्स

विशेषज्ञ की गवाही या प्रमाणित उदाहरणों के साथ तुलना (901 (बी) (3))

परिस्थिति सहित विशिष्ट विशेषताएँ

साक्षय (901 (बी) (4))

विश्वसनीय साबित करने में सक्षम प्रणाली या प्रक्रिया और

इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया या प्रणाली द्वारा उत्पन्न प्रमाणित अभिलेख (902 (13))इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भंडारण माध्यम या फाइल से प्रमाणित डेटा की प्रतिलिपि (902 (14))

व्यक्तिगत ज्ञान के साथ साक्षी (901 (बी) (1))

5 . कंप्यूटर प्रक्रियाएँ,

विशेषज्ञ की गवाही या प्रमाणित के साथ तुलना

एनिमेशन, आभासी वास्तविकता और अनुकरण

उदाहरण (901 (बी) (3))

विश्वसनीय साबित करने में सक्षम प्रणाली या प्रक्रिया और

विश्वसनीय परिणाम (901 (बी) (9))इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया या प्रणाली द्वारा उत्पन्न प्रमाणित अभिलेख (902 (13))

व्यक्तिगत ज्ञान के साथ साक्षी (901 (बी) (1))

6. डिजिटल तस्वीरें

विश्वसनीय और भरोसेमंद परिणाम प्रदान करने में सक्षम प्रणाली या प्रक्रिया (901 (बी) (9))

आधिकारिक प्रकाशन (902 (5))इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया या प्रणाली द्वारा उत्पन्न प्रमाणित अभिलेख (902 (13))

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भंडारण से प्रमाणित डेटा की प्रतिलिपि

मध्यम, या फाइल (902 (14))

[ 2020 ] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जबकि भारतीय साक्षय अधिनियम है

वर्ष 1872 में, संघीय साक्षय नियमों को ठीक 100 साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अपनाया गया था।

1972 और उन्हें कांग्रेस द्वारा किए गए संशोधनों के साथ अधिनियमित किया गया था

01.07.1975 पर प्रभाव डालें। फिर भी, ये नियम उभरती स्थितियों से निपटने के लिए अपर्याप्त पाए गए और इसलिए, 2017 में किए गए संशोधन सहित कई संशोधन किए गए, जिसमें विशिष्ट प्रावधान शामिल थे

एफ. आर. ई. 902 के उप-नियम (13) और (14) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित। इस संशोधन के बाद, बहुत सारे विकल्प उपलब्ध कराए गए हैंवादकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत जानकारी पर भरोसा करना चाहते हैं, उनमें से एक एफ. आर. ई. 902 के उप-नियमों (13) और (14) द्वारा प्रदान

किया गया मार्ग है। अमेरिका में कानून के इस विकास से पता चलता है कि भारत के विपरीत, कानून ने काफी हद तक प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बनाए रखा है।

ब्रिटेन में स्थिति

30. जैसा कि मुख्य राय में बताया गया है, धारा 65 ख, अपने वर्तमान में

प्रपत्र, यू. के. नागरिक साक्षय अधिनियम, 1968 की धारा 5 का एक खराब पुनरुत्पादन है। उप-धारा (2), (3), (4) और (5) में प्रयुक्त भाषा

धारा 65 बी लगभग समान रूप से (मामूली अंतरों के साथ) है।

यू. के. सिविल साक्षय अधिनियम, 1968 की धारा 5 की उप-धारा (2) से (5)। तथापि, धारा 65 ख की उप-धारा (1) यू. के. सिविल साक्षय अधिनियम, 1968 की धारा 5 की उप-धारा (1) से काफी भिन्न है। लेकिन इसमें उप-धारा (1) में कुछ अतिरिक्त शब्द भी शामिल हैं, अर्थात् "मूल के आगे प्रमाण या उत्पादन के बिना"। आसान तुलना के लिए

और प्रशंसा, भारतीय साक्षय की धारा 65 बी की उप-धारा (1)

यू. के. सिविल साक्षय अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अधिनियम और उप-धारा (1) को सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

भारतीय साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी (1),

धारा 5 (1), सिविल साक्षय अधिनियम, 1968

1872

[ यूके]

इसमें कुछ भी निहित होने के बावजूद

किसी भी दीवानी कार्यवाही में एक बयान

अधिनियम में निहित कोई भी जानकारी

ए द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ में निहित

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो एक पर मुद्रित होता है

कंप्यूटर, न्यायालय के नियमों के अधीन,

कागज, ऑप्टिकल में संग्रहीत, रिकॉर्ड या प्रतिलिपि किया गया

किसी भी तथ्य के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होना

या कंप्यूटर द्वारा निर्मित चुंबकीय माध्यम

जिसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष मौखिक

( इसके बाद कंप्यूटर के रूप में संदर्भित

साक्षय स्वीकार्य होगा, यदि यह है

आउटपुट) को भी एक माना जाएगा

दर्शाता है कि में उल्लिखित शर्तें

दस्तावेज़, यदि उल्लिखित शर्तेंइस धारा के संबंध में संतुष्ट हैं

निम्नलिखित उप-धारा (2) में संतुष्ट हैं -

विचाराधीन जानकारी और कंप्यूटर और

बयान और कंप्यूटर के संबंध में

किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगा,

सवाल करते हैं।

अधिक प्रमाण या उत्पादन के बिना

मूल, किसी भी सामग्री के प्रमाण के रूप में

मूल या उसमें बताए गए किसी तथ्य काकौन सा प्रत्यक्ष साक्षय स्वीकार्य होगा।

अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

31. लेकिन 1968 के यू. के. अधिनियम की उपर्युक्त धारा 5 को नागरिक साक्षय अधिनियम, 1995 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। सिविल साक्षय अधिनियम, 1995 की धारा 15 (2) ने अनुसूची II में निर्दिष्ट अधिनियमों को निरस्त कर दिया।

उसमें। 1995 के अधिनियम की अनुसूची II के तहत, 1968 के अधिनियम के भाग I जिसमें धारा 1-10 शामिल थी, को निरस्त कर दिया गया था। प्रभाव यह है कि जब यू. के. सिविल साक्षय अधिनियम, 1968 की धारा 5 की उप-धारा (2) से (5) की प्रतिलिपि बनाकर 2000 के अधिनियम 21 द्वारा भारतीय साक्षय अधिनियम में धारा 65 बी को शामिल किया गया था, तो 1995 के अधिनियम के तहत इसके निरसन के परिणामस्वरूप यू. के. की कानून पुस्तिका में धारा 5 स्वयं नहीं थी।

32. 1995 के अधिनियम के तहत धारा 5 का निरसन सितंबर 1993 में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की अगली कड़ी थी। विधि आयोग की रिपोर्ट का भाग III जिसका शीर्षक 'द हियर्स रूल इन

सिविल प्रोसीडिंग्स ने 1968 के अधिनियम के साथ समस्याओं का उल्लेख किया, जिनमें से एक कंप्यूटर रिकॉर्ड से संबंधित था। विधि आयोग की रिपोर्ट के भाग III में अनुच्छेद 3,14 से 3.21 निम्नानुसार है:

कंप्यूटर रिकॉर्ड

3.14 एक मौलिक अविश्वास और त्रुटि या यांत्रिक विफलता की संभावना के डर का पता लगाया जा सकता है

धारा 5 में कंप्यूटर रिकॉर्ड को नियंत्रित करने वाली सावधानियाँ

1968 एक्ट करें। विधि सुधार समिति ने ऐसे अभिलेखों के लिए विशेष प्रावधानों की सिफारिश नहीं की थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 5 एक विचार के बाद की बात थी, जिसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए थे ताकि उस समय साक्षय का एक नया रूप स्वीकार किया जा सके। पँचिश साल बाद, प्रौद्योगिकी इस हद तक विकसित हुई है कि व्यवसाय के हर क्षेत्र में कंप्यूटर और कंप्यूटर से उत्पन्न दस्तावेजों पर भरोसा किया जाता है और बैंकिंग और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख रखने के क्षेत्रों में इसे लंबे समय से स्वीकार किया गया है। शर्तें थीं

दैनिक आधार पर इसी तरह के हजारों लेनदेन करता है। 3.15 जहाँ तक वैधानिक शर्तों का संबंध है, वहाँ

यह साबित करने की आवश्यकता पर भारी निर्भरता है कि दस्तावेज़ व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में और गतिविधि के निर्बाध पाठ्यक्रम में प्रस्तुत किया गया है। यह कम से कम संदिग्ध है कि क्या ये आवश्यकताएँ किसी भी वास्तविक सुरक्षा उपाय प्रदान करती हैं।

हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता के संबंध में [2020] 7 एस. सी. आर.



चिंतित हैं। इसके अलावा, वे संचालन करने में सक्षम हैं

दस्तावेजों की व्यापक श्रेणियों को बाहर करें, विशेष रूप से वे जो किसी मूल या "एक बार" किए गए कार्य के परिणामस्वरूप प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा, वे डेटा के गलत इनपुट के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।

3.16 हम पहले ही धारा 4 और 5 के बीच ओवरलैप का उल्लेख कर चुके हैं। यदि धारा 5 का अनुपालन एक पूर्व शर्त है, तो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न दस्तावेज जो धारा 5 (2) में निर्धारित शर्तों को पारित करते हैं,

इस तथ्य के बावजूद स्वीकार्य होंगे कि वे मानव स्रोतों की एक श्रृंखला से उत्पन्न हुए हैं और यह स्थापित नहीं किया गया है कि

चेन ने एक कर्तव्य के तहत काम किया। दूसरे शब्दों में, धारा 4 के अभिलेख प्रावधान, जो मुख्य जानकारी की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं, अस्वीकृत होने में सक्षम हैं। हमारे प्रस्तावित सुधारों के संदर्भ में, हम यह नहीं मानते कि इस स्पष्ट विसंगति का कोई महत्व है, सिवाय इसके कि यह इस तथ्य को दर्शाता है कि धारा 5 एक विचार के बाद की बात थी।

3.17 कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न साक्षय दो श्रेणियों में आते हैं। सबसे पहले, 1968 के अधिनियम द्वारा परिकल्पित स्थिति है, जहां कंप्यूटर का उपयोग उन्हें प्रदान की गई जानकारी को फाइल करने और संग्रहीत करने के लिए किया जाता है।

मनुष्यों द्वारा। दूसरा, ऐसा मामला है जहां रिकॉर्ड स्वयं कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया है, कभी-कभी पूरी तरह से स्वयं द्वारा लेकिन संभवतः किसी अन्य मशीन की भागीदारी के साथ। इस स्थिति के उदाहरण कंप्यूटर हैं जो निगरानी उपकरणों द्वारा जानकारी प्रदान करते हैं। एक विशेष उदाहरण स्वचालित स्टॉक नियंत्रण प्रणाली है, जो अब आम उपयोग में है और जो खरीद आदेशों को स्वचालित रूप से उत्पादित करने की अनुमति देता है। ऐसी प्रणालियों के तहत अनुबंध निर्माण का प्रमाण पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में स्वतः निहित होगा।विक्रेता और खरीदार के कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न। यह देखना आसान है कि अदालतें इस तरह के अनुबंधों के सबूत और प्रवर्तनीयता से कैसे निपट सकती हैं, इस बारे में अनिश्चितता इस तरह की तकनीक के पूर्ण विकास और प्रभावी उपयोग को रोकने की संभावना है।

इसके अलावा, अनिश्चितता पक्षों को इस बात पर सहमत होने से रोक सकती है कि इस तरह से किए गए अनुबंध अंग्रेजी कानून द्वारा शासित होने चाहिए और अंग्रेजी अदालतों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।3.18 कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अभिलेखों की स्वीकार्यता की तुलना करने के तकनीकी तरीके की तुलना करना दिलचस्प है जिसमें जून पंतराव खोडकर बनाम.

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

रडार रिकॉर्ड (सप्पोरो मारू (मालिक) बनाम देखें। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (मालिक) [1968] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 739)। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मामले में रडार रिकॉर्ड, मानव भागीदारी के बिना उत्पादित औरफोटोग्राफिक रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया, यह स्थापित करने के लिए स्वीकार्य माना गया कि दो जहाजों की टक्कर कैसे हुई थी। यह माना गया कि यह "वास्तविक" सबूत था, जो बातचीत की निगरानी की गई टेप रिकॉर्डिंग से अलग नहीं था। इसके अलावा, इन मामलों में, विश्वसनीयता के किसी भी अतिरिक्त परीक्षण को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है और सामान्य कानून खंडन योग्य धारणा लागू की जाती है, कि

सामग्री के समय मशीन क्रम में थी। यही धारणा इनटॉक्सिमीटर प्रिंटआउट पर भी लागू की गई है (कैसल वी। क्रॉस [1984] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1372)।

3.19 ऐसे कई मामले हैं जो उस तरीके को स्थापित करते हैं जिसमें अदालतों ने विभिन्न प्रकारों के बीच अंतर करने की कोशिश की है। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न साक्षय, उपयुक्त मामलों में यह पता लगाकर कि विशेष प्रक्रियाएं लागू नहीं होती हैं क्योंकि

साक्षय मूल या प्रत्यक्ष साक्षय होता है। जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न साक्षय पर मामला कानून चोरी या धोखाधड़ी के आपराधिक मामलों द्वारा उत्पन्न होने की अधिक संभावना है, जहां इस तरह के साक्षय की घटना अधिक है और

स्वीकार्यता परिणाम के लिए महत्वपूर्ण होने की अधिक संभावना है और इसलिए सहमत होने के लिए कम उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए, यहां तक कि मामलों की पहली श्रेणी में, जहां मानव भागीदारी मौजूद है,

कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न दस्तावेज़ को सुनी-सुनाई बात नहीं माना जा सकता है यदि कंप्यूटर का उपयोग मनुष्यों द्वारा दिए गए डेटा से गणना करने के लिए केवल एक उपकरण के रूप में किया गया है, चाहे गणना कितनी भी जटिल क्यों न हो, या मनुष्यों के लिए अपने काम को पुनः पेश करना कितना भी कठिन क्यों न हो, बशर्ते कि कंप्यूटर था।

"अपने स्वयं के ज्ञान का योगदान नहीं" (आर वी। वुड (1983) 76 करोड़। ऐप. आर. 23)।

3.20 इस विचार से कोई असहमति नहीं थी कि कंप्यूटर रिकॉर्ड से संबंधित प्रावधान पुराने हो गए थे और रिकॉर्ड रखने या बनाए रखने के विभिन्न रूपों के बीच अंतर करने का कोई अच्छा कारण नहीं था।

कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न दस्तावेजों के प्रवेश के लिए व्यवस्था। 1988 के अधिनियम के तहत स्कॉटलैंड में यह स्थिति है।



इसके अलावा, हमें इस आशंका के बारे में सूचित किया गया था कि अनिश्चितता खत्म हो जाएगी।

संयुक्त राज्य में दीवानी मुकदमेबाजी में ऐसे अभिलेखों का उपचार

राज्य वाणिज्य और आवश्यकता के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा थी।

सुधार।

3.21 वाणिज्य दूतों ने माना कि चिंता का वास्तविक मुद्दा

यह प्रामाणिकता थी कि यह एक ऐसा मामला था जिसे सबसे अच्छी तरह से निपटाया गया था

एक सतर्क रवैये के साथ जो वजन पर केंद्रित है

साक्षय के साथ संलग्न किया जाना, की परिस्थितियों में

व्यक्तिगत मामला, जटिल और सुधार के बजाय

स्वीकार्यता के रूप में लचीली स्थितियाँ।

( जोर दिया गया)

33. 1993 की रिपोर्ट के भाग IV में, जिसका शीर्षक था 'सिफारिशों के लिए

आर. एम. ', पैराग्राफ 4.43 कंप्यूटर रिकॉर्ड के संबंध में लॉ मिशन की सिफारिशों से संबंधित है। कानून का अनुच्छेद 4.43

अनुशंसा संख्या के साथ मिशन की रिपोर्ट। 13 , 14 और 15 आसान संदर्भ के लिए प्रस्तुत किया गया:

( ख) कम्प्यूटरीकृत अभिलेख

4.43 वर्तमान प्रावधानों की आलोचनाओं के आलोक में

और परामर्श पर प्रतिक्रिया, हमने तय किया है सिफारिश की जाए कि इसके संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाए

कम्प्यूटरीकृत अभिलेख। स्कॉटलैंड में यह स्थिति है

1988 अधिनियम और के भारी दृष्टिकोण को दर्शाता है

टिप्पणीकार, अभ्यासी और अन्य। इसका मतलब यह नहीं है कि

कंप्यूटर की अंतर्निहित विश्वसनीयता में विश्वास बढ़ा है, इसलिए दुरुपयोग की संभावना पर चिंता है, के माध्यम से

जानकारी को हैक करने, भ्रष्ट करने या बदलने की क्षमताजो अज्ञात है। हम इन खतरों को कम नहीं आंकते हैं।

तथापि धारा 5 क वर्तमान प्रावधान एकर सामर्थ्य नहि दैत अछि।

कोई भी संरक्षण और संरक्षणात्मक रूप से कानून बनाना संभव नहीं है।

हमारे प्रस्तावों में कुछ भी या तो दुरुपयोग को प्रोत्साहित नहीं करेगा, या

कम्प्यूटरीकृत की स्वीकार्यता के लिए एक उचित चुनौती को रोकें

ऐसी समस्याएं हैं जिन पर क्षेत्र के विशेषज्ञ लगातार ध्यान दे रहे हैं और यह एक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएँ

सी. बी. आई. जैसे इस क्षेत्र ने इस बात पर जोर दिया कि, जबकि कंप्यूटर

उत्पन्न की गई जानकारी को अन्य जून पंडितराव खोतर बनाम के समान माना जाना चाहिए।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

अभिलेख, ऐसे साक्षय को इसके अनुसार तौला जाना चाहिए

विश्वसनीयता, पार्टियों को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है उनके सिस्टम की सुरक्षा के बारे में जानकारी। हमारे पास है।

"दस्तावेज़" शब्द के लिए एक व्यापक परिभाषा प्रस्तावित की। यह

किसी भी रूप में दस्तावेजों को शामिल करेगा और विशेष रूप से होगाकंप्यूटर द्वारा उत्पन्न जानकारी को कवर करने के लिए पर्याप्त चौड़ी।

इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि:

13. कंप्यूटर द्वारा संग्रहीत दस्तावेजों सहित, जो

किसी व्यवसाय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अभिलेखों का हिस्सा होना चाहिए

हमारे मसौदे के खंड 1 के तहत सुनी-सुनाई गवाही के रूप में स्वीकार्य हो

विधेयक और साधारण सूचना और वजन उपबंधों को

आवेदन करें।

14. प्रमाण के तरीके को नियंत्रित करने वाले वर्तमान प्रावधान

व्यावसायिक अभिलेखों को एक सरल व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो

अनुमति देता है, जब तक कि अदालत अन्यथा निर्देश नहीं देती है, एक दस्तावेज़ के लिए

किसी व्यवसाय या सार्वजनिक अभिलेख का हिस्सा बनने के लिए लिया जाए

प्राधिकरण, यदि यह इस प्रकार प्रमाणित है, और साक्षय में प्राप्त किया जाता है

अदालत में बात किए बिना। कोई विशेष प्रावधान नहीं होना चाहिए।

कम्प्यूटरीकृत प्रमाण के तरीके के संबंध में बनाया जाना चाहिए

अभिलेख।15. प्रविष्टि की अनुपस्थिति होने में सक्षम होनी चाहिए

औपचारिक रूप से व्यवसाय के एक अधिकारी के शपथ पत्र द्वारा साबित किया गया या

अधिकार जिससे अभिलेख संबंधित हैं।

( मूल में जोर)

34. विधि आयोग (यू. के.) की उपरोक्त सिफारिशें

1993 में, एस अधिनियम के तहत 1968 अधिनियम की धारा 5 को निरस्त कर दिया गया। सिविल मामलों में साक्षय के नियम, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक आर. डी. एस. का संबंध है, इस प्रकार यू. के. में 1995 में निरसन के साथ मुक्त हो गए।यू. के. सिविल साक्षय अधिनियम, 1968 की धारा 5।

35. लेकिन यू. के. में एक अलग अधिनियम है, जिसमें

आपराधिक कार्यवाहियों में साक्षय और वह है पुलिस और

अंतर् साक्षय अधिनियम, 1984। उक्त अधिनियम की धारा 69 में नियम निर्धारित किए गए हैं

कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ में एक कथन को समाप्त करना

उसमें बताए गए किसी भी तथ्य के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। धारा 69

ई ने कहा कि अधिनियम ने तीन शर्तें निर्धारित की हैं (बहुत सारे नकारात्मक हैं)

ई-धारा 69 में प्रयुक्त भाषा)। सरल शब्दों में, उन्हें [2020] 7 एस. सी. आर. की आवश्यकता है।



कि यह दिखाया जाना चाहिए (i) यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं हैं कि कथन के अनुचित उपयोग के कारण कथन गलत नहीं है

कंप्यूटर; (ii) सभी भौतिक समय पर कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था और (iii) अदालत द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों को भी पूरा किया गया है।36. पुलिस और आपराधिक साक्षय अधिनियम, 1984 (पेस) की उपर्युक्त धारा 69 को युवा न्याय और आपराधिक साक्षय अधिनियम, 1999 की धारा 60 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यह निरसन विधि आयोग द्वारा जून 1997 में "आपराधिक कार्यवाही में साक्षय" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट के तहत की गई सिफारिशों की अगली कड़ी भी थी। श्रवण और संबंधित विषय "। विधि आयोग की रिपोर्ट के भाग 13 में कंप्यूटर साक्षय के बारे में विस्तार से बताया गया है। 1984 के अधिनियम की धारा 69 के साथ समस्याएं, परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्रतिक्रिया और अंतिम

यू. के. विधि आयोग की सिफारिशें अनुच्छेद 13.1 से 13.23 में निहित हैं। उन्हें उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जाता है:

13.1 नाबालिगों में ([1989] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 441,443 डी-ई.) स्टेन जे का सारांश

द्वारा साक्षय के नियमों के लिए उत्पन्न प्रमुख समस्या

कंप्यूटर आउटपुट:

अक्सर लेन-देन का एकमात्र रिकॉर्ड, जिसे किसी से याद रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, कंप्यूटर की स्मृति में होगा। यदि कंप्यूटर आउटपुट को आपराधिक मामलों में साक्षय के रूप में अपेक्षाकृत आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो बहुत सारे अपराध (और विशेष रूप से बेईमानी से जुड़े अपराध) व्यवहार में अभियोजन से मुक्त होंगे। दूसरी ओर, कंप्यूटर

दोषरहित नहीं हैं। वे कभी-कभी खराबी करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रणालियों में अक्सर "बग" होते हैं। ..... वास्तव में, इसलिए, कंप्यूटर को अपूर्ण उपकरण माना जाना चाहिए।

13.2 विधायिका ने पेस की धारा 69 द्वारा इस दुविधा से निपटने की मांग की, जो महत्वपूर्ण अतिरिक्त आवश्यकताओं को लागू करती है जिन्हें कंप्यूटर साक्षय प्रस्तुत करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए- चाहे वह सुनी-सुनाई बात हो या नहीं (शेफर्ड [1993] एसी 380)।

13.3 व्यवहार में, बहुत सारे सुनी-सुनाई साक्षय कंप्यूटर पर रखे जाते हैं, और इसलिए धारा 69 सावधानीपूर्वक ध्यान देने की गारंटी देती है। यह इस आवश्यकता के खिलाफ जांच की जानी चाहिए कि कंप्यूटर साक्षय के उपयोग को अनावश्यक रूप से बाधित नहीं किया जाना चाहिए, देते समयकंप्यूटर की दोषपूर्णता के कारण वजन।

जुन पन्डित्राव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

13.4 परामर्श पत्र में हमने धारा 69 की आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से बताया: संक्षेप में यह प्रावधान करता है कि कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ को दस्तावेज़ में बताए गए किसी भी तथ्य के प्रमाण के रूप में तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था और अनुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा था। यदि इस बारे में कोई विवाद है कि क्या धारा 69 की शर्तों को पूरा किया गया है, तो अदालत को यह तय करने के लिए मुकदमे के भीतर मुकदमा चलाना चाहिए कि क्या पक्ष मांग कर रहा है।दस्तावेज़ पर भरोसा करने के लिए धारा 69 की बुनियादी आवश्यकताएँ स्थापित की गई हैं।

13.5 संक्षेप में, कंप्यूटर साक्षय पर भरोसा करने वाले पक्ष को पहले यह साबित करना होगा कि कंप्यूटर विश्वसनीय है-या, यदि सबूत

एक से अधिक कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया गया था, कि उनमें से प्रत्येक विश्वसनीय है (कोक्रेन [1993] क्रिम एलआर 48)। इसे लिखित प्रमाण पत्र देकर या मौखिक साक्षय देकर साबित किया जा सकता है। कंप्यूटर साक्षय प्रस्तुत करने वाले पक्ष के लिए इस धारणा पर भरोसा करना संभव नहीं है कि कंप्यूटर सही ढंग से काम कर रहा है (शेफर्ड [1993] एसी 380,384 ई)। कंप्यूटर रिकॉर्ड के लिए खुद को अदालत में पेश करना भी आवश्यक है (बर बनाम डी. पी. पी. [1996] क्रिम एल. आर. 324)।

वर्तमान कानून के साथ समस्याएं

13.6 परामर्श पत्र में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्तमान कानून पांच कारणों से असंतोषजनक था।

13.7 पहला, धारा 69 कंप्यूटर साक्षय में अशुद्धता के प्रमुख कारणों को संबोधित करने में विफल रहती है। जैसा कि प्रोफेसर टैपर ने बताया है, "अधिकांश कंप्यूटर त्रुटि या तो तुरंत पता लगाने योग्य होती है या मशीन में दर्ज किए गए डेटा में त्रुटि के परिणामस्वरूप होती है"।

13.8 दूसरा, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति धारा 69 का पालन करना तेजी से कठिन बनाती है: यह "कंप्यूटर संचालन की सभी पेचीदगियों की जांच करना (और इसलिए प्रमाणित करना) तेजी से अव्यावहारिक होता जा रहा है"। नेटवर्किंग के आम होने से पहले से ही ये समस्याएं मौजूद थीं।

13.9 तीसरी समस्या कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ के प्राप्तकर्ता के सामने आने वाली कठिनाइयों में निहित है जो [2020] 7 एस. सी. आर. करना चाहता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसे सबूत के रूप में प्रस्तुत करें: प्राप्तकर्ता कंप्यूटर के संचालन के बारे में अदालत को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं हो सकता है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि प्राप्तकर्ता का प्रतिद्वंद्वी ऐसा करने के लिए बेहतर स्थिति में हो।

13.10 चौथा, यह अतार्किक है कि धारा 69 वहां लागू होती है जहां दस्तावेज़ साक्षय में प्रस्तुत किया जाता है (शेफर्ड [1993] एसी 380), लेकिन वहां नहीं जहां इसका उपयोग किसी विशेषज्ञ द्वारा अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किया जाता है (गोलीजादेह [1995] क्रिम एलआर 232), और न ही जहां कोई गवाह अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए इसका उपयोग करता है।

( सोफोक्लियस बनाम रिगर [1988] आरटीआर 52)। यदि ऐसे साक्षय को स्वीकार करना सुरक्षित है जो परिणाम पर निर्भर करता है और इसमें शामिल होता है

कंप्यूटर में, यह देखना मुश्किल है कि वह आउटपुट स्वयं स्वीकार्य क्यों नहीं होना चाहिए; और इसके विपरीत, यदि आउटपुट को स्वीकार करना सुरक्षित नहीं है, तो गवाह के लिए उस पर भरोसा करना शायद ही सुरक्षित हो सकता है। 13.11 परामर्श पत्र के प्रकाशन के समय धारा 69 की व्याख्या से भी समस्या

उत्पन्न हुई थी। मैककॉन बनाम डी. पी. पी. ([1995] क्रिम एल. आर. 69) में डिवीजनल कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कंप्यूटर साक्षय अस्वीकार्य है यदि यह साबित नहीं किया जा सकता है कि कंप्यूटर

ठीक से काम करना-भले ही कंप्यूटर की खराबी का उत्पादित सामग्री की सटीकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार, उस मामले में, कंप्यूटर साक्षय पर भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि एक इंटॉक्सीमीटर मशीन के घड़ी भाग में खराबी थी, हालांकि इसका प्रिंटआउट (अल्कोहल रीडिंग) के सामग्री भाग की सटीकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अपील पर, इस व्याख्या को अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा खारिज कर दिया गया है: केवल खराबी जो रास्ते को प्रभावित करती है

जिसमें एक कंप्यूटर कथन उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी को संसाधित करता है, संग्रहीत करता है या पुनर्प्राप्त करता है, धारा 69 (डी. पी. पी. बनाम मैककॉन; डी. पी. पी. बनाम जोन्स [1997] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 295) के लिए प्रासंगिक है।

13.12 हमारे इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि वर्तमान कानून संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहा है, हमने नोट किया कि स्कॉटलैंड, कुछ ऑस्ट्रेलियाई राज्यों, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, कंप्यूटर साक्षय के लिए कोई अलग योजना नहीं है, और फिर भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। हमारा अस्थायी दृष्टिकोण यह था कि धारा 69 किसी भी उपयोगी उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहती है, और

कि अन्य प्रणालियाँ इसके बिना प्रभावी और कुशलता से काम करती हैं यह।

जुन पन्डित्राव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

13.13 हमने अस्थायी रूप से प्रस्ताव दिया कि पेस की धारा 69 को बिना बदले निरस्त कर दिया जाए। धारा 69 के बिना, एक सामान्य कानून अनुमान लागू होता है (फिपसन, पैरा 23-14, कैसल बनाम क्रॉस [1984] 1 डब्ल्यूएलआर 1372,1377 बी में डिवीजनल कोर्ट द्वारा अनुमोदित):

इसके विपरीत साक्षय के अभाव में, अदालतें मान लेंगी कि यांत्रिक उपकरण क्रम में थे

भौतिक समय। 13.14 जहाँ एक पक्ष ने अनुमान पर भरोसा करने की मांग की, वहाँ उसे इस बात का सबूत देने की आवश्यकता नहीं होगी कि कंप्यूटर था

विचाराधीन अवसर पर ठीक से काम करना जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि यह उस मामले में नहीं हुआ होगा जिसमें पक्ष को यह साबित करना होगा कि यह (अभियोजन पक्ष के मामले में उचित संदेह से परे और बचाव पक्ष के मामले में संभावनाओं के संतुलन पर) था। यह सिद्धांत स्पीडोमीटर (निकोलस बनाम पेनी [1950] 2 KB 466) और ट्रैफिक लाइट (टिंगल जैकब्स एंड कंपनी बनाम कैनेडी [1964] 1 WLR 638) जैसे उपकरणों पर लागू किया गया है, और परामर्श में

कागज पर हमने कोई कारण नहीं देखा कि इसे कंप्यूटर पर क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए।

परामर्श पर प्रतिक्रिया

13.15 इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने वालों में से अधिकांश ने हमसे सहमति व्यक्त की। पक्ष में कई लोगों ने कहा कि धारा 69 ने बहुत कम लाभ के साथ बहुत परेशानी पैदा की थी।

13.16 हमारे प्रस्ताव के खिलाफ सबसे ठोस विपरीत तर्क डेविड ऑर्मेरोड से आया था। अपने उपयोगी जवाब में, उन्होंने तर्क दिया कि नियमितता का सामान्य कानून अनुमान

उन मामलों में विस्तार नहीं हो सकता है जिनमें कंप्यूटर साक्षय केंद्रीय है। उन्होंने डिलन बनाम आर में प्रिवी काउंसिल के दावे का हवाला दिया ( [ 1982 ] ए. सी. 484) कि "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अदालतें उन तथ्यों के अस्तित्व को नहीं मानेंगी जो किसी अपराध के लिए केंद्रीय हैं"। अगर यह सचमुच सच होता तो यह बहुत अच्छा होता।

उन मामलों में महत्व जहां कंप्यूटर साक्षय केंद्रीय है, जैसे कि इंटॉक्सीमीटर मामले (आर बनाम मेडवे मजिस्ट्रेट कोर्ट, एक्स पी गोडार्ड [1995] आरटीआर 206)। लेकिन इस तरह के साक्षय को अक्सर अभियोजन मामले के एक केंद्रीय तत्व को संतुष्ट करने की अनुमति दी गई है। इनमें से कुछ मामलों का फैसला धारा 69 लागू होने से पहले किया गया था (कैसल बनाम क्रॉस [1984] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1372); अन्य में [2020] 7 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( अब गलत माना जाता है) (शेफर्ड [1993] एसी 380) कि यह लागू नहीं हुआ क्योंकि कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत बयान सुनी-सुनाई नहीं थी (स्पिबी (1990) 91 करोड़ ऐप आर 186; नेविल [1991] क्रिम एलआर 288)। अनुमान अवश्य ही लागू हुआ होगा; फिर भी डिलन में जिस तर्क पर सफलतापूर्वक भरोसा किया गया है, वह उठाया गया प्रतीत नहीं होता है।

13.17 यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि डिलन का सरोकार मशीनों के बारे में अनुमान से नहीं था, बल्कि

आधिकारिक कार्रवाई की नियमितता का अनुमान। यह बाद वाला

अनुमान वह सादृश्य था जिस पर मशीनों के लिए अनुमान मूल रूप से आधारित था; लेकिन यह विशेष रूप से निकट सादृश्य नहीं है, और दोनों अनुमान अब स्पष्ट रूप से हैं।

विशिष्ट।

13.18 यहां तक कि जहां अनुमान लागू होता है, एक बार खराबी का सबूत मिल जाने के बाद इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सवाल यह है कि बचाव पक्ष को किस तरह का सबूत पेश करना चाहिए, और यह मान लेना कितना यथार्थवादी है कि बचाव पक्ष मशीन के काम करने की जानकारी के बिना इसे पेश करने में सक्षम होगा? एक ओर साक्षय बोझ की अवधारणा लचीली है: किसी पक्ष को साक्षय के रूप में उससे अधिक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है जो उसकी स्थिति में किसी से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकती है। इसलिए अनुमान का खंडन करने में बहुत कम समय लग सकता है, अगर जिस पक्ष के खिलाफ सबूत पेश किया गया था, उससे अधिक पेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी।

मशीन में ही खराबी, शराब की मात्रा के बारे में गवाही देकर (या दूसरों को गवाही देने के लिए बुलाकर) जो उसने पी थी।13.19 दूसरी ओर यह मान लेना अवास्तविक हो सकता है कि

ऐसी परिस्थितियों में अनुमान प्रबल नहीं होगा। क्रैकनेल बनाम विलिस में लॉर्ड गिफिथ्स ([1988] पी 468 सी डी पर एसी 450) ने कहा:

यदि संसद यह प्रावधान करना चाहती है कि या तो एक निर्विवाद धारणा होनी चाहिए कि श्वास परीक्षण मशीन विश्वसनीय है या इस धारणा को केवल संयुक्त राष्ट्र पन्डित्राव खोतकर बनाम द्वारा चुनौती दी जा सकती है।

कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

एक विशेष प्रकार के साक्षय के बाद संसद को इस तरह से निर्णय लेने और अपने इरादे को स्पष्ट भाषा में स्पष्ट करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तब तक मैं वह सबूत रखूंगा जो, यदि विश्वास किया जाए, तो ऐसी सामग्री प्रदान करता है जिससे उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मशीन थी

अविश्वसनीय स्वीकार्य है।

लेकिन उनकी प्रभुता जारी रही:

मुझे खुद उम्मीद है कि मजिस्ट्रेटों की अच्छी समझ और मोटर चलाने वाली जनता द्वारा की गई प्राप्ति ने इसे मंजूरी दी।

सांस परीक्षण मशीनें विश्वसनीय साबित हो रही हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन करेंगी कि कुछ प्रतिवादी शराब के सेवन के नकली सबूतों द्वारा सांस के विश्लेषण को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। मजिस्ट्रेटों को याद होगा कि कानून की धारणा यह है कि मशीन विश्वसनीय है और वे निस्संदेह ह्यूजेस बनाम मैककोनेल ([1985] आरटीआर 244) द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षय पर आलोचनात्मक नज़र से देखेंगे, इससे पहले कि उन्हें यह समझाया जाए कि यह पढ़ने पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है ([1988] एसी 450,468 डी-ई)।

13.20 लॉर्ड गॉफ ने लॉर्ड ग्रिफिथ्स के इस आशावाद को साझा नहीं किया कि मोटर चालक शराब के सेवन के नकली सबूतों द्वारा विश्लेषण को चुनौती देने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को साझा किया।

मजिस्ट्रेटों की अच्छी समझ, जो अधिनियम में प्रतिवादियों के लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए, निस्संदेह ऐसे बचावों की उचित जांच करेंगे, और एक अनुमोदित उपकरण से लिए गए प्रिंटआउट द्वारा प्रदान किए गए साक्षय की ताकत के बारे में पूरी तरह से अवगत होंगे।

वैधानिक प्रक्रिया ([1988] पी 472 बी-सी पर एसी 450)।

तकनीकी रूप से स्वीकार्य लेकिन शायद ही कभी अनुमति दी जानी चाहिए सफल होते हैं। हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड गॉफ ने प्रतिवादियों के लिए सुरक्षा उपायों को उद्धृत करते हुए मार्ग का उल्लेख किया है जो

शराब पीकर गाड़ी चलाने का कानून बनाया गया हैअपराध। अन्य प्रकार के कंप्यूटर साक्षय के मामले में, [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ (धारा 69 के अलावा) ऐसे कोई वैधानिक सुरक्षा उपाय नहीं हैं।

मौजूद है, हम सोचते हैं कि अदालतों को लागू करने के लिए भरोसा किया जा सकता है

अनुमान इस तरह से कि सामने आने वाली कठिनाई को पहचाने

एक प्रतिवादी द्वारा जो अभियोजन पक्ष को चुनौती देना चाहता है

साक्षय लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। द.

अनुमान के अलावा अन्य मशीनों पर लागू होना जारी है

कंप्यूटर (और हाल तक गैर-सुनी-सुनाई बातों पर लागू किया जाता था)अनुभाग की सुरक्षा के बिना) कंप्यूटर द्वारा कथन

69 ; और हम किसी भी मामले के बारे में नहीं जानते हैं जहां यह हुआ है

अन्याय क्योंकि बचाव पक्ष पर साक्षय का बोझ डाला गया

अनावश्यक रूप से कठिन था। यह ध्यान में रखते हुए कि यह एक प्राणी है

सामान्य कानून, और एक तुलनात्मक रूप से आधुनिक, हम सोचते हैं

यह संभावना नहीं है कि इसे अन्याय करने की अनुमति दी जाएगी।

13.22 अंत में यह नहीं भूलना चाहिए कि धारा 69 लागू होती है।

जो एक प्रतिवादी को प्रासंगिक और ठोस पेश करने से रोकता हैसबूत, केवल इसलिए कि कोई सकारात्मक सबूत नहीं है कि

13.23 हम संतुष्ट हैं कि धारा 69 कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करती है। हम उनमें आने वाली किसी भी कठिनाई से अवगत नहीं हैं।

अधिकार क्षेत्र जिनका कोई समकक्ष नहीं है। हम संतुष्ट हैं कि

उचित कार्यकरण की धारणा कंप्यूटरों पर लागू होगी,

इस प्रकार विरोधी पक्ष पर साक्षय का बोझ डालते हुए,

यह सुनिश्चित करें कि अनुमान के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि न हो केवल इसलिए कि बचाव पक्ष सबूत पेश करने में विफल रहा था

खराबी जो वह जोड़ने की स्थिति में नहीं थी। हम मानते हैं,

जैसा कि हमारे उत्तरदाताओं के विशाल बहुमत ने किया, कि ऐसी व्यवस्था

निष्पक्षता से काम लेंगे। हम धारा 69 को निरस्त करने की सिफारिश करते हैं।पेस। ( अनुशंसा 50)

( जोर दिया गया)

37. यू. के. कानून की उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर

मिशन, पेस, 1984 की धारा 69 को धारा 60 द्वारा घोषित किया गया था।

युवा न्याय और आपराधिक साक्षय अधिनियम, 1999 समाप्त हो गया है

प्रभाव पड़ता है। 1999 के अधिनियम की धारा 60 इस प्रकार है:

अर्जुन पंतराव खोतकर बनाम। कैलाश कुशनराव गारंटी और हमारा। [ वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

" पुलिस और आपराधिक साक्षय अधिनियम, 1984 की धारा 69

( कंप्यूटर रिकॉर्ड से साक्षय अस्वीकार्य है जब तक किकंप्यूटर के उचित उपयोग और संचालन से संबंधित शर्तें

संतुष्ट दिखाया गया) का प्रभाव समाप्त हो जाएगा "

38. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब हमारे सांसदों ने वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक पारित किया था, जिसमें यूके नागरिक साक्षय अधिनियम, 1968 की धारा 5 की भाषा को काफी हद तक अपनाया गया था, तो उक्त प्रावधान को यूके नागरिक साक्षय अधिनियम, 1995 द्वारा पहले ही निरस्त कर दिया गया था और यहां तक कि पुलिस और आपराधिक साक्षय अधिनियम, 1984 को 1999 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था ताकि पी. ए. सी. ई., 1984 की धारा 69 को निरस्त करके सुनाई देने वाले साक्षय की अनुमति दी जा सके।

कनाडा में स्थिति

39. सौ साल पहले कैनेडियन बार एसोसिएशन द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के अनुसार, सभी प्रांतीय सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे

प्रांतों के बीच कानून की एकरूपता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आयुक्तों की नियुक्ति, 1918 में मॉन्ट्रियल में आयुक्तों की एक बैठक हुई। उक्त बैठक में, पूरे कनाडा में कानूनों की एकरूपता पर आयुक्तों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1974 में इसका नाम बदलकर यूनिफॉर्म लॉ कॉन्फ्रेंस ऑफ कनाडा कर दिया गया। सम्मेलन का उद्देश्य मुख्य रूप से मौजूदा विधानों द्वारा कवर किए गए विषयों में एकरूपता प्राप्त करना है। उक्त सम्मेलन ने सितंबर 1998 में समान इलेक्ट्रॉनिक साक्षय पर एक मॉडल कानून की सिफारिश की।

40. समान विधि सम्मेलन की उपरोक्त सिफारिशों ने बाद में कनाडा साक्षय में संशोधन के रूप में आकार लिया।अधिनियम, 1985। उक्त अधिनियम की धारा 31.1 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से संबंधित है और यह निम्नानुसार है:

इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का प्रमाणीकरण

31.1 कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ को स्वीकार करना चाहता है साक्षय में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ के निष्कर्ष का समर्थन करने में सक्षम साक्षय द्वारा अपनी प्रामाणिकता को साबित करने का बोझ होता है

यह वही है जो माना जाता है।

41. धारा 31.2 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के संबंध में 'सर्वोत्तम साक्षय नियम' के अनुप्रयोग से संबंधित है और यह निम्नानुसार है:

सर्वोत्तम साक्षय नियम का अनुप्रयोग-इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज

31.2 ( 1 ) इलेक्ट्रॉनिक के संबंध में सबसे अच्छा साक्षय नियमदस्तावेज़ संतुष्ट है

( ए) इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रणाली की अखंडता के प्रमाण पर या जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ दर्ज या संग्रहीत किया गया था; या

( (ख) यदि धारा के अधीन कोई साक्षय संबंधी अनुमान स्थापित किया जाता है।31.4 लागू होता है।

प्रिंटआउट

( 2 ) उप-धारा (1) के बावजूद, इसके विपरीत साक्षय के अभाव में, एक प्रिंटआउट के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ सर्वोत्तम साक्षय नियम को संतुष्ट करता है यदि प्रिंटआउट किया गया है प्रिंटआउट में दर्ज या संग्रहीत जानकारी के रिकॉर्ड के रूप में स्पष्ट रूप से या लगातार काम किया, उस पर भरोसा किया या उपयोग किया।

42. धारा 31.3 की सत्यनिष्ठा को सिद्ध करने की विधि को इंगित करता है विवर्तनिक दस्तावेज़ प्रणाली, या जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ आदेशित या संग्रहीत। धारा 31.3 इस प्रकार है: सत्यनिष्ठा का अनुमान

31.3 उप-धारा 31.2 (1) के प्रयोजनों के लिए, इसके विपरीत साक्षय के अभाव में, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रणाली की अखंडता साबित होती है या जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ दर्ज या संग्रहीत किया जाता है।

( क) इस निष्कर्ष का समर्थन करने में सक्षम साक्षय द्वारा कि हर भौतिक समय पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रणाली द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर सिस्टम या अन्य समान उपकरण काम कर रहा था। ठीक से या, यदि ऐसा नहीं था, तो इसके ठीक से काम नहीं करने के तथ्य ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ की अखंडता को प्रभावित नहीं किया और सत्यनिष्ठा पर संदेह करने के लिए कोई अन्य उचित आधार नहीं हैं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रणाली;

( ख) यदि यह स्थापित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ था किसी पक्ष द्वारा अभिलिखित या संग्रहीत किया गया जो ब्याज में प्रतिकूल है पार्टी इसे पेश करना चाहती है; या

( ग) यदि यह स्थापित हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ को अर्जुन पंतराव खोतकर v के सामान्य और सामान्य पाठ्यक्रम में दर्ज या संग्रहीत किया गया था।

एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय जो एक पक्ष नहीं है और जिसने नहीं किया हैइसे अभिलिखित करें या पक्ष के नियंत्रण में रखेंइसका परिचय दें।

43. धारा 31.5 एक दिलचस्प प्रावधान है जो किसी भी मानक, प्रक्रिया, उपयोग या संबंध में साक्षय प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को दर्ज करने या संग्रहीत करने के तरीके से संबंधित अभ्यास। यह कानून के किसी भी नियम के तहत यह निर्धारित करने के उद्देश्य से है कि क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ स्वीकार्य है। धारा 31.5 इस प्रकार है:

मानकों पर विचार किया जा सकता है

31.5 कानून के किसी भी नियम के तहत यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ स्वीकार्य है, किसी भी मानक, प्रक्रिया, उपयोग के संबंध में साक्षय प्रस्तुत किया जा सकता है।या उस तरीके से संबंधित अभ्यास जिसमें इलेक्ट्रॉनिकइलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ का उपयोग करने, रिकॉर्ड करने या संग्रहीत करने वाले व्यवसाय, उद्यम या प्रयास के प्रकार और प्रकृति और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज़ों को दर्ज या संग्रहीत किया जाना है।इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़।

44. धारा 31.6 (1) के तहत, धारा 31.2 (2) द्वारा कवर किए गए मामले, अर्थात् एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ का प्रिंटआउट, द्वारा कवर किए गए मामलेधारा 31.3, अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रणाली की अखंडता, और धारा 31.5 द्वारा कवर किए गए मामले, अर्थात् किसी भी मानक, प्रक्रिया, उपयोग या अभ्यास के संबंध में साक्षय, शपथ पत्र द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। धारा 31.6 इस प्रकार है:

शपथ पत्र द्वारा प्रमाण

31.6 ( 1 ) उप-धारा 31.2 (2) और धारा 31.3 और 31.5 में निर्दिष्ट मामले और धारा के तहत बनाए गए विनियम

क्रॉस-परीक्षा

( 2 ) एक पक्ष उप-धारा (1) में निर्दिष्ट शपथ पत्र के एक प्रतिनिधि की प्रतिपरीक्षा कर सकता है जिसे इसमें प्रस्तुत किया गया है।सबूत

( ए) सही के रूप में, यदि प्रतिनिधि एक प्रतिकूल पक्ष है या एक प्रतिकूल पक्ष के नियंत्रण में है; और

( ख) किसी अन्य प्रतिवादी के मामले में अदालत की अनुमति के साथ।

45. हालाँकि कनाडा साक्षय अधिनियम, 1985 की धारा 31.3 और 31.6 (1) का एक संयुक्त अध्ययन एक धारणा देता है जैसे किभारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत आवश्यकता के समान कनाडा के कानून में भी जगह मिलती है, कनाडा के कानून में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। धारा 31.3 (बी) एक आकस्मिकता का ध्यान रखती है जहां इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ को दर्ज या संग्रहीत किया गया था।एक पक्ष द्वारा जो इसे प्रस्तुत करने की इच्छा रखने वाले पक्ष के हित में प्रतिकूल है। इसी तरह, धारा 31.3 (सी) एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ पर भरोसा करने वाले पक्ष को यह स्थापित करने के लिए लाभ प्रदान करती है कि इसे किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य और सामान्य व्यवसाय में दर्ज या संग्रहीत किया गया था। जो एक पक्ष नहीं है और जिसने इसे प्रस्तुत करने की इच्छा रखने वाले पक्ष के नियंत्रण में इसे रिकॉर्ड या संग्रहीत नहीं किया है।

IV. निष्कर्ष

46. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि दुनिया के प्रमुख क्षेत्राधिकार समय के परिवर्तन और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ सहमत हुए हैं और अपने कानूनों को ठीक किया है। इसलिए, यह समय की आवश्यकता है कि भारतीय साक्षय अधिनियम की धारा 65 बी पर फिर से विचार किया जाए, जिसे 20

साल पहले 2000 के अधिनियम 21 द्वारा पेश किया गया था, और जिसने कानून में बदलाव के साथ एक बड़ी न्यायिक उथल-पुथल पैदा कर दी हैपिछले 15 वर्षों में एक चरम से दूसरे चरम पर नवजोत संधू 2 3 3 23 से लेकर अनवर P.V.24 से लेकर टोमासो ब्रूनो 25 से लेकर सोनू 26 से लेकर शफी मोहम्मद तक। 27

47. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, मैं आर. एफ. नरीमन, जे. द्वारा किए गए निष्कर्षों से सम्मानपूर्वक सहमत हूं कि अपीलों को प्रस्तावित लागत के साथ खारिज किया जाना है।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।